लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

Unit.
1-9-92
Library

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 29, गुरुवार, 14 जुलाई, 1977/23 आसाढ़, 1899 (शक)

No. 29, Thursday, July 14, 1977/Asadha 23, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	1—11
*तारांकित प्रश्न संख्या 465, 466, 468 और 469	*Starred Questions Nos. 465, 466, 468 and 469	1—11
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 18	Short Notice Question No. 18	11—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	15—93
तारांकित प्रश्न संख्या 467 और 470 से 484	Starred Questions Nos. 467 and 470 to 484	15—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 3462 से 3470, 3473 से 3477, 3480 से 3488, 3490 से 3504, 3506 से 3526, 3528 से 3531, 3533 से 3562 और 3564 से 3591	Unstarred Questions Nos. 3462 to 3470, 3473 to 3477, 3480 to 3488, 3490 to 3504, 3506 to 3526, 3528 to 3531, 3533 to 3562 and 3564 to 3591 . . .	24—93
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	93
नियम 377 के अधीन मामले :	Matters under Rule 377—	
(एक) गृह मंत्री द्वारा 13 जुलाई, 1977 को दिये गये वक्तव्य में की गई टिप्पणी	(i) Certain Remarks made by the Home Minister in his speech on 13th July, 1977	94—96 94-95
(दो) श्री संजय गांधी और श्रीमती मेनका गांधी के नामों से विदेशों में खोले गये कथित बैंक खाते	(ii) Alleged bank accounts abroad in the names of Shri Sanjay Gandhi and Shrimati Maneka Gandhi . .	96
अनुदानों की मांगें, 1977-78—	Demands for Grants, 1977-78—	96—124
ऊर्जा मंत्रालय :	Ministry of Energy :	
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	98-99

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री युवराज	Shri Yuvraj	103
डा० बी० एन० सिंह	Dr. B.N. Singh . .	103-04
श्री आर० वेंकटरमन	Shri R. Venkataraman	105-06
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan .	106-07
श्री ए० के० राय	Shri A.K. Roy . . .	107-08
श्री गौरीशंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai . .	108-09
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand . .	109
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	109—11
श्री सुभाष आहूजा	Shri Subhash Ahuja . .	111-12
श्री तुलसीदास दासप्पा	Shri Tulsidas Dassappa . .	112-13
श्री आर० एल० पी० वर्मा	Shri R.L.P. Verma . .	113
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo . .	114-15
श्री श्रीकृष्ण सिंह	Shri Shrikrishna Singh .	115
श्री पी० रामचन्द्रन	Shri P. Ramachandran . .	116—20
दिल्ली में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों के बारे में वक्तव्य	Statement re. Deaths due to consumption of poisonous liquor in Delhi . .	107
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . .	107
पत्तन तथा गोदी मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य	Statement re. Agreement arrived at between the Port and Dock Workers and Management	116
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma . . .	116
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977	Appropriation (No. 2) Bill, 1977—	124-25
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	124
खण्ड 2 से 4 और 1 पारित करने का प्रस्ताव	Clauses 2 to 4 and 1] Motion to pass—	125
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	125

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 14 जुलाई, 1977/23 आषाढ़, 1899 (शक)

Thursday, July 14, 1977/Asadha 23, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एशियाई सामूहिक सुरक्षा

***465. डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). सोवियत संघ ने 1969 में एशियाई सामूहिक सुरक्षा की संकल्पना तो प्रस्तुत की थी लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं किए गए हैं। हमारे विचार में, यह इस क्षेत्र के देशों का काम है कि वे इस विषय पर विभिन्न विचारों पर बातचीत करें और परस्पर परामर्श करके द्विपक्षीय और क्षेत्रीय आधार पर शान्ति, स्थिरता बढ़ाने और पारस्परिक लाभप्रद सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए तरीके तथा साधन विकसित करें।

डा० हेनरी आस्टिन : 1969 में विभिन्न एशियाई देशों की सुरक्षा को जो खतरा उत्पन्न होने लगा तो सोवियत संघ ने उस खतरे को दूर करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे थे। उसके बाद जुलाई 1975 में यूरोप में सहयोग और सुरक्षा के बारे में हेलसिंकी में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए एक नीति तैयार की गई थी। यद्यपि उस सम्मेलन में लिए गए इस निर्णय से ऐसा लगता है कि यूरोपीय तथा उत्तरी अटलांटिक शक्तियों को भी कुछ सुरक्षा मिलेगी किन्तु अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इस नीति का लाभ केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित रहे। मैं सभा को इस स्थिति से अवगत कराना चाहता था। एशिया में उत्पन्न हो रही स्थिति

का इससे सम्बन्ध जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हेलसिंकी सम्मेलन के पश्चात् एशिया तथा अफ्रीका में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ? यह प्रश्न काल है।

डा० हेनरी आस्टिन : अंत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे देश के अन्दर तथा इसके चारों ओर असुरक्षा की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। सामाचारपत्रों से पता चलता है .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। यह न तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, न ही कोई विधेयक जिस पर कि आप लम्बा भाषण दे सकें, आपको विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहिए।

डा० हेनरी आस्टिन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि हमारे चारों ओर के देशों, विशेषकर साउदी अरेबिया, ईरान, तथा पाकिस्तान में अन्धाधुन्ध रूप से तक हथियारों को एकत्र करने की होड़ सी लगी हुई है और क्या इन घटनाओं को रोकने और एशिया को परमाणु हथियारों से मुक्त रखने में रुचि रखने वाले देशों के साथ मिलकर सामूहिक सुरक्षा प्रबन्ध करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : सैनिक सुरक्षा के लिए ब्लाक व्यवस्था में हिस्सा लिए बिना हम समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किन्तु यह केवल हमारे पर ही निर्भर नहीं करता। हम शक्तियों के ब्लाक आदि में विश्वास नहीं करते। सोवियत संघ ने अभी तक यह स्पष्ठ नहीं किया है कि जो कुछ वे कह रहे हैं, उसका क्या अर्थ है।

डा० हेनरी आस्टिन : हाल के सप्ताहों में मास्को के कुछ समाचार पत्र इस एशियाई सुरक्षा के बारे में स्थिति स्पष्ठ कर रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पड़ोसी देशों के साथ विचार विमर्श करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : हम उन सबसे विचार विमर्श करेंगे जो हमसे इस सम्बन्ध में बात करना चाहेंगे।

श्री के० लकप्पा : क्या हाल ही में हेलसिंकी सम्मेलन में लिए गए निर्णयों और तनाव में कमी की भावना को एशियाई सुरक्षा क्लब पर भी लागू की जायेगी। क्या हमारा देश इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरा यहां हेलसिंकी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi : I am happy that the Prime Minister has clearly stated that we do not believe in any military pact or block. I want to know whether you have made any arrangement for the economic security of Asian countries, because at present all the big blocks are exploiting them. Have you formulated any scheme for their economic security ?

Shri Morarji Desai : I am helpless if any country is being exploited or want to be exploited.

Chaudhry Balbir Singh : The big powers on the name of Asian Collective Security and such other bodies are interfering in their territorial matters. I would like to know whether the Government of India would initiate so that these big powers could not interfere and Asia could remain a peace zone ?

Shri Morarji Desai : We need not to make allegation on others, but we will not allow any one to dominate us.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जब सोवियत संघ के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी तो क्या उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था । यदि हां, तो क्या वह मूल सिद्धान्त से कुछ भिन्न था । दूसरे, सावियत संघ भी अपने आपको एशियाई राष्ट्र मानता है । अतः जब प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह काम इस क्षेत्र के देशों का है कि वह अपनी सुरक्षा समस्या पर विचार करें, तो क्या उन्होंने उन देशों में सोवियत संघ को भी सम्मिलित किया है ?

श्री मोरार जी चेदेसाई : मैंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है ।

Shri Tej Partap Singh : I want to know whether all the countries of Asia sub-continent have thought of any policy for the Asian security ?

Shri Morarji Desai : We are already doing our best for our security.

श्री समर गुह : परमाणु शस्त्रों में न्यूट्रोन बम तथा लेसर-पावर-बेस जैसे हथियारों का निर्माण हो चुका है । क्या सोवियत संघ का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जायेगा कि एशिया में वास्तविक सामूहिक सुरक्षा केवल तभी हो सकती है यदि महा शक्तियां परमाणु शस्त्रों तथा अन्य विध्वंसक हथियारों के निर्माण की होड़ को त्याग दें । यदि हां, तो क्या भारत संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यह मामला उठायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : इससे पहले कि हम इसमें पहल करें हमें अपनी सामर्थ्य के आधार पर अपने आपको योग्य बनाना होगा । सबसे पहले हमें विश्व में अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी होगी । मुझे इस बात में बिलकुल भी संदेह नहीं है कि एशिया या विश्व में तब तक सुरक्षा नहीं हो सकती जब तक कि यहां परमाणु शस्त्र हैं । अतः हमारी यह चेष्टा रही है कि इस तरह के हथियार समाप्त हो जायें ।

श्री वसन्त साठे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सोवियत संघ ने बार-बार कहा है कि उनके हिन्द महासागर या विश्व के इस भाग में कोई अड्डे नहीं हैं तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि अमरीका दियागो गार्सिया के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में भी अपना अड्डा स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो कि एशियाई सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्या सरकार अमेरिका के इस रवैये का विरोध करने के लिए कुछ कार्यवाही कर रही है क्योंकि इससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और एशियाई सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सोवियत संघ द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : एशियाई सुरक्षा के सभी प्रश्नों में अड्डों का प्रश्न भी सम्मिलित है । सामहिक सुरक्षा से अड्डों का मामला अलग नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम विशेष रूप से सोवियत संघ द्वारा पेश किये गए एशियाई सामूहिक सुरक्षा प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : प्रश्न यह है "कि क्या सोवियत संघ ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट किए है....." इसमें अड्डों का प्रश्न भी सम्मिलित है । यदि आप कहते हैं कि यह सम्मलित नहीं है तो आप हमें बताएं ?

श्री मोरार जी देसाई : पहली गलत बात माननीय सदस्य ने यह कही है कि सोवियत संघ का वहां कोई अड्डा नहीं है। इसका भी हिन्द महासागर में प्रभाव है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह तो दो महा शक्तियों में होड़ सी लगी हुई है। अब तो हमें एशिया की रक्षा करनी है। हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा प्रकाशित साप्ताहित तथा मासिक पत्रिकाएं

*466. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सोवियत रूस, पूर्व यूरोपीय देशों तथा अमरीका के दूतावासों द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं के नाम क्या हैं और उनका परिचालन कितना है ;

(ख) क्या उन्हें बेचा जाता है अथवा निःशुल्क बांटा जाता है ;

(ग) क्या उन देशों में भारतीय दूतावासों द्वारा भी एसी ही साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उनका परिचालन कितना है ; और

(घ) क्या उपरोक्त सोवियत रूस तथा अन्य देश भारत में प्रचलित सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार की भांति रूसी पाठकों के लिये भारतीय पुरस्कार देने की अनुमति देते हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सम्बद्ध सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--695/77]

(ग) जी हां। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसका नाम "इण्डिया न्यूज़" है। अनुरोध पर यह पत्रिका निःशुल्क वितरित की जाती है और इसका औसत वितरण 32,000 से ऊपर है। मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास रूसी भाषा में 'इण्डिया" नामक एक त्रमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है जिसका औसत वितरण 40,000 से ऊपर है। इसका मूल्य 40 कोपेक (लगभग 4.75 रुपये) है।

(घ), जी हां।

1975-76 में मास्को स्थित हमारे राजदूतावास ने अपनी त्रमासिक पत्रिका "इण्डिया" के माध्यम से एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता आयोजित की थी। प्रथम पुरस्कार में भारत की दो सप्ताह की यात्रा कराने का प्रावधान था। । दूसरे पुरस्कार थे--स्मारिकाएं, नेहरू के सिक्के, लोंग प्लेइंग रिकार्ड, "इण्डिया" पत्रिका के जिल्दबंद विगत अकों का संग्रह तथा भारत विषयक पुस्तकें।

श्री समर गुह : सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उनसे पता चलता है कि भारत में एक महीने में लगभग 10 लाख "सोवियत साहित्य" सोवियत भूमि या विभिन्न नामों से विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। इसके अतिरिक्त अमरीकी साहित्य के स्पैन आदि प्रकाशन एक लाख के लगभग परिचालित होते हैं। सोवियत संघ द्वारा अधिकांश प्रकाशन, पत्रिकाएं, मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाएं आदि मुख्य रूप से अपने राजनीतिक समाचार तथा राजनीतिक जानकारी के लिए परिचालित किए जाते हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि अमरीका सहित सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों में जो हमारी पत्रिकाएं निकलती हैं, क्या उनमें भारत के बारे में राजनीतिक जानकारी दी जाती है या उनमें संस्कृति, शिक्षा तथा अन्य जानकारी भी दी जाती है ? यदि यह पता चलता है कि ये सभी पत्रिकाएं मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों से सम्बन्धित हैं तो क्या सरकार ऐसी पत्रिकाओं के वितरण पर रोक लगायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने कुछ पत्रिकाएं देखी हैं । मैं नहीं समझता कि उनमें उनकी राजनीतिक विचारधाराओं का प्रचार किया जाता है । वे अपने देश में हो रहे कार्यों का प्रचार करते हैं और इस तरह अपने देश का अच्छा चित्र पेश करते हैं । किन्तु यदि वे कोई आपत्तिजनक प्रचार करेंगे तो हम निश्चय ही उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । ऐसे प्रचार की अनुमति नहीं है । इसी तरह हम भी अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं और अपनी प्रगति तथा विकास के बारे में अन्य देशों को जानकारी देते हैं ।

श्री समर गुह : विदेश मंत्री की ओर से प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या वह संसद सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति करेंगे जो कि भारत में अमरीका, सोवियत संघ तथा अन्य देशों के दूतावासों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले साहित्य की जांच करेगी ? क्या राजनीतिक प्रचार भी किया जाता है या मित्र देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं ? क्या समिति छापेखानों के प्रश्न पर भी विचार करेगी ? यह एक गम्भीर मामला है । यह पता चला है कि यह साहित्य प्रकाशित करने वाले छापेखाने एक विशेष राजनीतिक दलके हैं जिसका अर्थ है कि उन्हें विदेशी दूतावासों से किसी न किसी प्रकार की सहायता मिल रही है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह संसदीय समिति के द्वारा कोई जांच कराएगी ?

श्री मोरारजी देसाई : खेद है कि मेरा विचार ऐसी कोई समिति नियुक्त करने का नहीं है ।

श्री समर गुह : क्या एक राजनीतिक दल प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की सहायता विदेशी दूतावासों से ले सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तीसरा प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : यह एक स्वतन्त्र देश है । तथा कोई अपने पैसे पर कुछ भी छाप सकता है । यदि वे दूतावास उन्हें छापाखानों में छपवाते हैं, तो वे ऐसा करने को स्वतन्त्र हैं । मैं उन्हें यहां या वहां छापने के लिए नहीं कह सकता । यदि वे एक ही छापेखाने में छपवाते हैं तो मेरे लिए . . .

एक माननीय सदस्य : यह भी सत्य नहीं है ।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं ।

श्री समर गुह : कल मेरी बात होगी । मैं बताऊंगा कि यह सच है या नहीं ।

श्री मोरारजी देसाई : जो कुछ आज हो रहा है, संसदीय समिति बैठाने का परिणाम भी वही निकलेगा । अतः ऐसा करने से काम नहीं चलेगा । (**व्यवधान**) संसदीय समिति विदेशी सम्बन्ध कायम नहीं रख सकती । ऐसा संरक्षण देने की अनुमति नहीं है और यदि वे ऐसा करते हैं तो जो दल वह प्राप्त करता है उसे अधिक लाभ नहीं होता, बल्कि इससे लोगों के मन पर उल्टा असर पड़ता है । अतः इसका अपना महत्व है ।

Shri Jagdish Chandra Mathur : Whether Government is aware of the fact that certain embassies give advertisements to some papers regularly ? Korean Embassy give full page advertisement regarding their President. Is it not a case of influencing the press ?

Shri Morarji Desai : All the news papers are free. We cannot stop any paper from publishing an advertisement. It is not correct.

Dr. Baldev Prakash : Whether he is aware of the fact that foreign Governments stock and sell their literature here and the profits they earn is spent on the activities of C.P.I. ? What arrangements have been made by the Government to check this ?

Shri Morarji Desai : I don't think it give them any profit. If they help, let them do that. It cannot give them success.

Shri Bharat Bhushan : It has been discussed several times that money comes here from foreign countries for political activities. It has also been discussed that it should be stopped. Is it not correct that money comes here from foreign countries ? Is it not correct that literature comes here from foreign countries in a large quantity and sold at nominarl price ? The money collected here is spent on political activities here. What steps have been taken to stop this ?

Shri Morarji Desai : Government have the knowledge of this, but there are certain things, which cannot be stopped.

Shri Ugra Sen : Asian Languages Research Institute of Moscow in Russia publishes, the translation of the books of prominent foreign languages. They have published the translation of Gita, Mahabharat and Rajtrangine (of Kannad). Whether Government will make arrangement to publish the translation of good works of Russian languages in Hindi and distribute them in foreign countries through Indian Missions ?

Shri Morarji Desai : I do not see any logic in distriburing something there after getting it translated here, so far as India in concerned. her literature is so much rich that she does not require the literature of others.

Shri Hukam Chand Kachhawai : Is it not correct that all the embassies distribute their published literature in India ? Whether there is any arrangement of publishing the translated version of Indian literature in foreign languages and get it distributed there ? Whether government will distribute some literature giving the picture of the actions of out-going government ?

Shri Morarji Desai : We do not want to take our differences to the outside world.

Ch. Balbir Singh : Prime Minister has just said that we do not interfere in the independence of any body, but it is very strange that we should not interfere in the matter of security of the country. The income earned through the sale of Soviet Land etc. does not go back and it is given to political parties here. Why government is unable to stop this, what is the hitch before them ?

Shri Morarji Desai : It has been already answered.

समेकित मैडिकल स्नातक

*468. **श्री धर्मसिंह भाई राठेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10-2-73 को भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद की 8 वीं कार्यकारी बैठक में बड़े आपरेशन करने के लिए समेकित मेडिकल स्नातकों की योग्यता का अनुमोदन किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि ऐसे संस्थानों की एक सूची बनाई जाये जिनके स्नातकों को यह अधिकार प्राप्त हो ; और

(ख) अब तक सूची न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes Sir.

The list could not be drawn up as the meaning of the term "Integrated medical graduates" was not quite clear since no integration of Indian and modern systems of medicine has taken place. However, in the seventh meeting of the Central Council of Indian Medicine held on the 3rd March 1977 it has been decided that a list of institutions and qualification in Indian medicine whose courses made adequate provision for training to undertake major operations should be prepared immediately and it should be circulated to all the members of the Council for their comments before the list was finalised.

Shri Dharamsinhbhai Patel : Upto which date the list will be given final shape ?

Shri Raj Narain : This question of finalisation is very difficult . There are 82 members in Indian Medical Council and its Chairman is Shri Shiv Sharma. This controversy of integrated course is coming from 1920. Both State and Central Government had given a thought to this. Still no final conclusion have come. Our Prime Minister and I myself also believe that no useful purpose has been served by integrating Ayurrveda and Homoeopathy with Alopathy and as such they should be taught separately. Just like British Imperialism this system of medicine has also influenced th Indian living. (*Interruptions*). If they do not want to listen I am sitting. If they want to listen I am ready to explain.

It is a matter of great controversy. Whether there was surgery in Ayrveda or not and whether they should be allowed to perform operations or not ? This is the question. Some are in favour, when others are against giving permission. One opinion is this that the students who have studied integrated course should be allowed to perform operations, while others say that after knowing the operation of the 82 members of the council a course should to be prepared and it should be taught properly . The scope of integrated course very wide. It should be defined properly. I will again discuss this matter with Shri Sharma. He is also of the openion that Ayurveda should be taught separately. There is no need of teaching integrated course.

Shri Dharmsinhbhai Patel : My question is that when this integration of old and new system of medicine will be done ?

Shri Raj Narain : There are number of opinions about this. I am ready to consider this again and for that I am inviting persons. So far as I am concerned the definition of integrated course given till now is wrong.

Shri Yagyha Datt Sharma : One thing I want to say is this that when we are not allowed to ask a big question the answer should also be brief one. I am a staunch supporter of Ayurveda. I want to know whether one who wants to have pure Ayurveda treatment will be given that treatment ?

Shri Raj Narain : I want that a person should be given treatment according to his living.

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं मंत्री महोदय को बता दूं कि उनके मंत्रालय का प्रतिवेदन अभी तक सदस्यों को नहीं दिया गया है । उसके मिलने पर हम इस विषय में अधिक जानकारी पा सकते थे । क्या वे उसे आज वितरित करा देंगे क्योंकि कल वित्त विधेयक पर चर्चा के समय इसके अभाव में हमें असुविधा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है । प्रश्न नहीं ।

Shri Bedalbrata Barua : Medical graduates generally go to the cities and Post graduates to England. Whether Minister will introduce base-foot doctors in India also, just on the line of China, so that they may serve the people in a greater way ?

Shri Raj Narayan : I have assured this question, the want to give cheap treatments to our villagers and for that we want to propagate Ayurveda, Homoeopathy and Unani system.

I do not want to degrade Alopathy, but I want that doctors should see towards the villagers and go to work there. All the private practitioners, whom I had a chance to meet, are ready to go to the villages for distributing free medicines provided they are given free transport.

Shri Vijay Kumar Malhotra : During the last 30 years not even one per cent was spent on Ayurveda. This one percent was also spent on Alopathy in the name of integrated course. 99 per cent persons coming out of these Ayurveda Colleges practice Alopathy and

add 'doctor' before their name. In this way Ayurveda is being destroyed. Hon. Minister wants to propagate Ayurveda. It has been decided to discontinue integrated Course in Health Ministers' Meeting, but facilities will be given to those who have been trained in that course. What action is being taken in the light of this decision.?

Shri Raj Narayin : It is correct that very little had been spent on Ayurveda and Unani system of medicines.

I. and Prime Minister are of the opinion that an adequate amount should be spent on Ayurveda and Unani system.

We are Calling a Conference of Health Ministers of States on 29th of this month. In that Conference we will put prepared courses. There is almost consensus regarding these courses.

Dr. Karan Singh : Shri Malhotra has asked two questions that whether alopathy and ayurveda etc. should be integrated in the future courses or not and whether the old integrated course is still being taught. I think it has been discontinued. Now the question is of doing practice by those who have completed that course. Hon. Minister may kindly let us know whether that integrated course still continues or not ?

Shri Raj Narayin : I thank Dr. Karan Singh for giving me an opportunity to bring many things into light. He himself should have answered the question, he has asked at this moment. More stress has been laid on the pure Ayurvedic system in the syllabus which has been introduced from 1977-78. The integrated course is in vogue since the period of Dr. Karan Singh as Health Minister. The course was introduced by Indian Medical Central Councils. We have said that integrated course will not be recognised now.

Dr. Karan Singh : Is it still in vogue or not?

Shri Raj Narain : I am referring to that. The act is with me. If you read the act, it seems that it is still in vogue. But in the meeting of State Health Ministers, Health Secretaries and the well known Ayurvedic acharyas it has been stressed that integrated course should not be allowed. The Committee constituted under the Chairmanship of Shri Shiv Sharma has also made the same recommendation. We are prepared to implement the recommendation fully. The matter will be discussed in the House. As I have already submitted a meeting is being called on the 29th to discuss implement the programme. I extend my invitation to my hon. friend Dr. Karan Singh to attend the meetings.

Dr. Sushila Nayar : I want to bring it to the notice of the hon. Minister, that the integrated course was discontinued much earlier than 1967, when Dr. Karan Singh became the Health Minister. At that time when I was connected with this Ministry, a pure Ayurvedic course was prepared. It was only after the repeated representations from the Ayurvedic student, that the integrated course was started again by the States in 1967. In case the same situation arises after the introduction of pure Ayurvedic course, then what will be his reaction?

Shri Raj Narain : I am sorry that I did not invite to Dr. Sushila Nayar, when I extended my invitation to Dr. Karan Singh. I also request her to make it convenient to attend the meeting to be held on 29th instant. She is a doctor of high repute and had also been the Health Minister and as such her participation in the metting will be of much use. Her statement is quite correct and most of the States are not fully agreeing to our proposal of pure Ayurvedic course. The meeting are being called again and again to bring them round to our view point. Once a meeting of the Health Ministers and Secretaries was held and again another meeting of the Secretaries was held. We are inviting the new Ministers who have taken over after the recent elections and we are extending the invitation of Ex-Health Minister, like Dr. Karan Singh and Dr. Sushila Nayar, who have rich experience in this regard. I also extend my invitation to the hon. Members of the House, who consider themselves competent of giving useful suggestions.

Dr. Sushila Nayar has said that she did not succeed in making the States agreeable to the point that pure Ayurvedic course should be introduced. Whatever she has said is quite correct. I remember the day when there were strike in U. P. in the days of Chief Ministership of Shri Sampurnanand. Though we made all out efforts for pure Ayurvedic system on behalf of the student, but we did not succeed. Now whatever will be done, will be done by an act of Parliament. The States will have agree to our point of view. So a bill will be passed by the Parliament in this regard.

खानों की सुरक्षा के बारे में सम्मेलन

*469. श्री शंकर सिंह जी बघैला :

श्री अनन्त दवे :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों की सुरक्षा के बारे में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन नई दिल्ली में मई, 1977 में आयोजित हुआ था ;

(ख) इस सम्मेलन में किन व्यक्तियों ने भाग लिया ;

(ग) सम्मेलन में की गई सिफारिशों अथवा दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने उन सिफारिशों या सुझावों की जांच की है ; और यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) खानों में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 18 मई, 1977 को त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी ।

(ख) सूची सभा की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) और (घ). विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—696/77]

Shri Shanker Singhji Vaghela : Mr. Speaker Sir, there have been three major accidents in the mine—one at Chasnala, one at Sudhamdhi and the other at Kesargarh. The managemnts are responsible for these accidents, as these have happened due to their negligence. May I know whether the Government have taken such steps that such accidents do not occur in future. I want to know whether Government have taken steps against the officers responsible for these accidents. May I know whether there is any act for providing adequate compansation to the families of those mine labourers who have been killed in the accidents, as there exit acts for Railways and airlines, if so the details in this regard ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, यह प्रश्न खानों की सुरक्षा संबंधी सम्मेलन के बारे में है। माननीय सदस्य ने चसनाला तथा अन्य खानों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में प्रश्न उठाया है। शायद माननीय सदस्य श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान उपस्थित नहीं थे, जब एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिये गये हैं। श्रम मंत्रालय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय है तथा सम्बन्धित राज्यों के मंत्रालय की प्रतिवेदन का अध्ययन करेंगे और विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करेंगे ।

Shri Shanker Singhji Vaghela : I want to know the time by which final decision will be taken in regard to the recommendations made in the conference on Mines Safety ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, बैठक इसलिए बुलाई गई थी, क्योंकि सरकार इस बात के लिए उत्सुक थी कि सुरक्षा संबंधी सब नियमों को लागू किया जाये। इस सम्मेलन में समीक्षा की गई थी, जिस में पहली बार केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, अन्य व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधि तथा प्रबन्धक और मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । यह सम्मेलन इसीलिए बुलाया गया था, क्योंकि सरकार चाहती थी कि सभी नियमों का पालन किया जाये ।

सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि समीक्षा समिति को पुनर्जीवित किया जाय तथा समीक्षा समिति सुरक्षा संबंधी उपायों की क्रियान्वित की प्रगति की जांच करे ।

श्री अनन्त देव : क्या सरकार ने खान श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय वह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता परन्तु यह एक सुझाव है तथा हम इस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Hukam Dev Narain Yadav : Mr. Speaker, Sir, the constitution guarantees equality to all citizens. How it is so that those who are killed in Railway or air accidents get compensation to the tune of Rs. 50,000 or Rs. 10,0000, but the amount of compensation is only Rs. 2,000, 4,000 or 6,000 in case of mine workers killed in mine accidents? When Constitution has given equal rights to all the citizens, then every one should be paid equal compensation, be he a Maharaja or a beggar in case of total accident,

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्य की सब नागरिकों की समानता सम्बन्धी भावना की कदर करता हूं । सरकार नागरिकों की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार करती है । मुआवजे का प्रश्न कई बातों से सम्बन्धित है । परन्तु माननीय सदस्य के प्रश्न की भावना को ध्यान में रखा जायेगा ।

Shri Harikesh Bahadur : Mr. Speaker, Sir, at the time of Chaslana mine accident an appeal was broadcast by the then Mines Minister to the Scientists to extend their help whatever they could do. On his behalf the Director of Institute of Technology, Banaras Hindu University Dr. S. S. Saliya went there and factricated a pump and demonstrated its working. The water would have been pumped out in two or three days, had the pump been used. But the officers there did not use the pump properly. Will the hon. Minister be pleased to state whether steps will be taken to develop that pump, because it can save lives, in case there is any such accident in future.

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसे उपकरणों से सुरक्षा में योगदान मिलता है । यह सरकार इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देगी । ऐसे उपकरण दुर्घटनाओं के होने से पहले बनाये जायेंगे, बाद में नहीं ।

श्री के० मालक्का : 18-5-1977 को एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र से कितने व्यक्तियों, गैर सरकारी क्षेत्र से कितने व्यक्तियों और कार्मिक संघों से कितने व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाये गये ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, प्रश्न के उत्तर में जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, उसमें आमंत्रित व्यक्तियों तथा उन संगठनों अथवा विभागों की सूची दी गई है जो जो इस बैठक में शामिल हुए थे । माननीय सदस्य संख्या का हिसाब लगा सकते हैं ।

Shri Mani Ram Bagri : Chaslana accident is the most tragic accident in the world. When we were in jails we used to feel that injustice is being done to the workers. We used to say that we would do everything for the workers. Now I would like to know from the Hon. Minister whether the present Government have taken any steps for the welfare of the workers and for Bringing to book those responsible committing injustice to the workers ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : जब चसनाला दुर्घटना हुई उस समय मैं भी जेल में था और मेरी भी भावनायें वही थी, जो माननीय सदस्य की हैं । जांच आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया और उसे सभा पटल पर रख दिया गया है । इन प्रतिवेदनों की विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जांच की जानी है ।

पहला प्राधिकरण है—राज्य सरकार, दूसरा श्रम मंत्रालय और तीसरा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् इस्पात और खान मंत्रालय। सब जगह प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है तथा उनका अध्ययन किया जा रहा है । चसनाला प्रतिवेदन में चार अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है । इस बात को देखते हुए कि उन व्यक्तियों का पता चल गया है जिन की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई, सरकार यह विचार करेगी कि श्रम मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय तथा बिहार सरकार के स्तर पर क्या कार्यवाही की जाये ।

Shri Jagdambi Prasad Yadav : I want to know from the hon. Minister whethr it is a fact that the post of the Director General of Mines Safety remained vacant for many years though there was prolonged correspondence in this regard. Is it also a fact that Chasnala maps were not correct. Is it also a fact that the then Labour Minister also wanted to conceal the facts about Chasnala accident, at the appointment of the Director General of Mines Safety was not made which was the responsibility of the Labour Ministry. I want to know the time from which the post of the Director General of Mines Safety is lying vacant and the person responsible therefor. Have the persons working in the mines safety department been found responsibee for this accident in the report and whether the report discloses that the maps were not correct ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य का प्रश्न जांच प्रतिवेदन के एक विशिष्ठ पहलू से सम्बन्धित है तथा इसके लिए बहुत लम्बे उत्तर की आवश्यकता होगी। परन्तु सक्षेप में मैं यह कह सकता हूं कि प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुछ कागजात जो कि खानों का राष्ट्रीयकरण करते समय उपलब्ध किये जाने चाहिये थे, उपलब्ध नहीं किये गये। जांच आयोग द्वारा प्रयास करने के बाद भी वे कागजात प्राप्त नहीं हो पाये । इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ बातें हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिएं थी ।

यह सच है कि गत तीन वर्षों से खान सुरक्षा महानिदेशक का पद नहीं भरा गया है । इस के कई कारण हैं, परन्तु वर्तमान सरकार उसके लिये उत्तरदायी नहीं है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भर्ती सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा यह पद और अन्य पद जो काफी सयम से खाली पड़े हैं निकट भविष्य में भरे जायेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाना

18. **श्री वसन्त साठे :**
श्री के० लक्कप्पा :
डा० हेनरी आस्टिन :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बारह महीने का औसत मई, 1977 में 305 अंक को पार कर गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने का निर्णय कर लिया है और यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय कितनी जल्दी कर लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) फरवरी, 1977 से लेकर उस महीने तक जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं या जिसके बारे में आंकड़े संगणित कर लिये गये हैं, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता 12 महीने के सूचकांक औसत 304 के संदर्भ में मिल रहा है । महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त की अदायगी के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब सूचकांक औसत में 304 से ऊपर 8 अंकों की वृद्धि हो जाए अर्थात् जब सूचकांक औसत 312 पर पहुंच जाए ।

(ग) फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 1977 के दौरान सूचकांक क्रमश: 310, 312, 313 और 318 था । इन महीनों के लिए सूचकांकों का तदनुरूपी 12 महीने का औसत क्रमश: 298.83, 301, 303, और 305.33 था ।

श्री वसन्त साठे : लगता है कि माननीय वित्त मंत्री ने जो जानकारी अभी दी है उसमें कुछ गड़बड़ है । पिछले वर्ष अक्तूबर में केन्द्रीय सरकार के और अन्य कर्मचारी 12 महीने के सूचकांक की औसत आठ अंक के ऊपर जाने के कारण मंहगाई भत्ते के हकदार हो गये थे और क्योंकि सूचकांक की औसत 304 अंक से नीचे चली गई थी तो उनका मंहगाई भत्ता कम कर दिया गया । पिछले अक्तूबर में उन्हें अधिक महगाई भत्ता दिया जाना चाहिए था जब औसत सूचकांक 304 से ऊपर चला गया था । आपको अगले दस महीनों में आठ अंक और बढ़ने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी । अब चूंकि औसत सूचकांक 304 से ऊपर चला गया है तो क्या आप उन्हें वह मंहगाई भत्ता देंगे तो उन्हें पिछले अक्तूबर में मिल रहा था ?

श्री एच०एम० पटेल: जैसा मैंने कहा, मंहगाई भत्ता बारह महीने के सूचकांक के औसत के हिसाब से दिया जाता है । जब आठ अंक बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो उसके हिसाब से मंहगाई भत्ता भी घट जाता है या बढ़ जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार पहले नौ किश्तें दी गई थीं । पहली किश्त 1 मई, 1973 को दी गई थी, दूसरी 1 अगस्त, 1973 को तीसरी 1 अक्तूबर, 1973 को, चौथी जनवरी, 1974 को, पांचवीं 1 फरवरी, 1974 को, छठी 1 अप्रैल, 1974 को, सातवीं 1 जून, 1974 को आठवीं, 1 जुलाई, 1974 को और नौवीं तिसम्बर, 1974 को दी गई थी । इस प्रकार 272 के सूचकांक की औसत के स्तर तक मूल्य वृद्धि तक महंगाई भत्ता दिया गया । उस समय तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कर्मचारियों के साथ बातचीत की गई और उस समय यह तय किया गया कि मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें दी जायें । यह किश्तें 1 अक्तूबर 1974 को, 1 नवम्बर, 1974 को, 1 दिसम्बर, 1974 को, 1 फरवरी, 1975 को और 1 मार्च, 1975 को दी गईं । इस प्रकार 312 के सूचकांक की औसत की मूल्य वृद्धि के स्तर तक महंगाई भत्ता दिया गया । 1 अप्रैल, 1975 में बारह महीने के सूचकांक की औसत 320 के अंक को पार कर गई पांचवीं अतिरिक्त किश्त की अदायगी पर चर्चा करते समय कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि छठी अतिरिक्त किश्त भी 1 मई, 1975 से दी जानी चाहिए । **(व्यवधान)**

राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव के कारण तत्कालीन सरकार मंहगाई भत्ते की छठी अतिरिक्त किश्त नहीं दे सकी । इस बीच जनवरी 1976 के अन्त में 12 महीने के सूचकांक की औसत 320 के अंक से नीचे चली गयी और इस प्रकार 1-2-1976 को मंहगाई भत्ते की छठी किश्त देने का आधार समाप्त हो गया । लेकिन जब मंहगाई भत्ते की छटी किश्त के लिये बारबार मांग की गयी तो सभा को

बताया गया कि गिरती हुई मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए छठी किश्त की अदायगी के प्रश्न पर विचार किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों से परामर्श किया जायेगा ।

अप्रैल 1976 में बारह महीने का सूचकांक 312 के अंक से नीचे चला गया और जून, 1976 में 304 से नीचे चला गया और इस प्रकार मंहगाई भत्ते की पांचवीं किश्त जो मंजूर कर ली गयी थी, 1-5-1976 से वापस ली जानी चाहिये थी और दूसरी किश्त 1 जुलाई, 1976 से वापस ली जानी चाहिये थी । संयुक्त सलाहकार तंत्र से इस मामले पर चर्चा करने के बाद सरकार ने 1 जुलाई, 1976 से केवल एक ही किश्त वापस लेने का फैसला किया । वापस लेने का आदेश अक्तूबर 1976 में जारी किया गया और बाद में कर्मचारियों के संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1976 से मंहगाई भत्ते की जो अतिरिक्त अदायगी हो गयी है उसे वापस वसूल न किया जाये । यह उस समय हुआ जब हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी ।

1 जुलाई, 1976 से 30 सितम्बर, 1976 तक जो अतिरिक्त अदायगी हो गई थी हमने उसे वापस नहीं लिया । दो किश्तों की बजाय 1 अक्तूबर, 1976 से मंहगाई भत्ते की एक ही किश्त वापस लेकर सरकार ने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की छठी किश्त न दिये जाने की क्षतिपूर्ति कर दी । दो किश्तों की बजाय एक ही किश्त वापस लेने का यह लाभ मई, 1977 के अन्त तक मिलता रहा जबकि इस मास तक सूचकांक की औसत 304 के अंक से नीचे रही । इस प्रकार कर्मचारियों को अधिक लाभ मिला । मई, 1977 के अन्त तक सूचकांक 318 था और 12 महीने के सूचकांक की औसत 305.33 थी । अब चूंकि कर्मचारियों को 304 के अंक पर महंगाई भत्ता मिल रहा है, महंगाई भत्ते की और किश्त देने की बात पर सूचकांक की औसत 8 अंक और बढ़ने पर विचार किया जा सकता है, अर्थात् अब महंगाई भत्ते की किश्त उसी समय देय होगी जब सूचकांक की औसत 312 पर पहुंच जायेगी ।

श्री वसन्त साठे : मेरा प्रश्न यह था कि महंगाई भत्ते को, जो 304 पर देय हो गया था और जिसे कम कर दिया गया था क्योंकि औसत 304 से घटकर 297 हो गई थी वापस दिया जाना चाहिए था क्योंकि आपने स्वीकार किया था कि सूचकांक फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में क्रमशः 310, 312, 313 और 318 हो गया था । जब यह देय था तो उन्हें क्यों नहीं दिया गया ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं एक बार फिर बता दूं कि महंगाई भत्ता 12 महीने के सूचकांक की औसत के अनुसार दिया जाता है ।

श्री वसन्त साठे : आप सभा को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : श्रीमन्, यह आरोप एक दम गलत है । मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं । महंगाई भत्ता देने के लिये 12 महीने के औसत को ध्यान में रखना होगा । मई में सूचकांक 318 था और 12 महीने की औसत 305.13 थी । इस का मतलब यह हुआ कि जून में 12 महीने की औसत 305.33 से अधिक होगी और इस प्रकार यह मूल्य वृद्धि होती रही तो यह औसत 312 तक पहुंच जायेगी और उस समय अगली किश्त देय होगी ।

श्री के० लकप्पा : महंगाई भत्ते की किश्त उस समय वापस ली गई थी जब सूचकांक 312 था । अब यह 318 है । कीमतें पिछले तीन महीनों से बढ़ती ही जा रही हैं । आपका यह सूचकांक बिल्कुल गलत है । जून और जुलाई के आंकड़े क्यों नहीं दिये गये हमने इस महीने के आंकड़े भी मांगे

हैं। कर्मचारियों की यह उचित मांग क्यों पूरी नहीं की गई ? क्या आप सूचकांक तैयार करने के तरीके की समीक्षा करेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : महंगाई भत्ता वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया जाता है। तीसरे वेतन आयोग ने जिस वेतन ढांचे की सिफारिश की थी वह औद्योगिक कर्मचारियों के 200 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्तर की 12 महीने की औसत से जोड़ा गया। वहां 12 महीने की औसत की स्पष्ट व्याख्या की गई है। इसी के आधार पर पिछली सरकार काम कर रही थी और इसी पर हम चल रहे हैं।

डा० हेनरी आस्टिन: क्या माननीय मंत्री "परिवर्तनशील औसत" के इस नये सिद्धान्त की व्याख्या करेंगे ? जनवरी, 1977 में सूचकांक 307 था, फरवरी में 312 और मार्च में यह 313 हो गया और इस प्रकार यह हर महीने बढ़ रहा है। इस परिवर्तनशील औसत के कारण कर्मचारियों की उचित मांगे पूरी नहीं हो पातीं। क्या यह सिद्धान्त उनकी आशाओं पर पानी फेरने के लिये ही बनाया गया है ?

श्री एच० एम० पटेल : इसमें व्याख्या करने की कोई बात नहीं है। 12 महीने की औसत का मतलब है कि हर महीने आप पिछल 12 महीनों को लीजिए और उनकी औसत निकाल लीजिए, मान लीजिए आप मई के महीने में औसत जानना चाहत हैं आप पिछले 11 महीनों को लीजिए। मई का महीना बारहवां महीना होगा। अब आप पिछल 12 महीने की औसत निकाल लीजिए। पिछल महीनों में यह औसत कम थी। यदि मूल्य बढ़ते जायेंगे तो 12 महीने की औसत बढ़ती जायेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महंगाई भत्ते और जीवन निर्वाह लागत के प्रश्नों और वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रमुख संघों से बातचीत पुनः आरम्भ करेंगे क्योंकि यह बातचीत आपात स्थिति के कारण स्थगित कर दी गई थी ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : माननीय मंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट है कि जब जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के कम होने की वजह से दो किश्तें कम होनी थीं तो पिछली सरकार ने केवल एक ही किश्त कम की और आगे यह रियायत भी दे दी कि दूसरी किश्त वापस न ली जाये। जिस प्रकार माननीय मंत्री ने हिसाब लगाया है उससे लगता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो पिछली सरकार ने रियायत दी थी वह वापस ले ली गई है।

श्री एच० एम० पटेल : हमने कोई रियायत वापस नहीं ली। हम तो तीसरे वेतन आयोग द्वारा अनमोदित योजना के अनुसार काम कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ जो तय किया गया है हम उस पर चल रहे हैं।

Smt. Ahilya P. Rangneker : The Hon. Minister is aware that the price index for workers is fraudulent. This question had been raised in the Tripartite Committee. Will the Government keep this fact in mind while considering the question of D. A. to the Central Government employees? When the price-index fell, Government had not recovered the D. A. that was being paid to the Central Government employees. Has the present Government made any recovery?

श्री एच० एम० पटेल : हमने आगे कोई कटौती नहीं की है।

Shri Vijay Kumar Malhotra : In March, the Hon'ble Minister had stated that one instalment had become due and one instalment had to be reduced, Government neither paid the instalment that was due nor reduced the instalment. Thus the employees did not lose anything. As such, the question of second instalment does not arise because the two instalments that were to be recovered, it was decided to withdraw the one and not to withdraw the other. Now the price index has gone up and therefore, one instalment has become due. There should not be any objection in paying the instalment that has become due consequent upon the rise in the price-index.

श्री एच० एम० पटेल : यह अभी देय नहीं है। जब सूचकांक 304 से बढ़कर 312 हो जायेगा तब यह देय हो जायेगी।

श्री वसन्त साठे : 297 के अंक पर महंगाई भत्ता कम कर दिया गया था अब यह 8 अंक बढ़ गया है इसलिए एक किश्त दी जानी चाहिये (**व्यवधान**)।

Shri Kanwar Lal Gupta : The calculation of the index is very complicated. There is a great deal of dissatisfaction amongst Government employees. As the prices are going up, the Government servants are becoming poorer day by day. Has the Hon'ble Minister received any representation from the Government employees and if so, will he furnish full details thereof, and specify the policy of the Government in regard thereto ?

श्री एच० एम० पटेल : कर्मचारियों के साथ बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं। कर्मचारी जो कहते हैं और हमारी चर्चा के जो परिणाम हुए हैं उनका विवरण मैं अवश्य दे दूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या उन्हें कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। लेकिन कर्मचारियों के साथ हमारी बैठकें हुई हैं।

श्री वयालार रवि : माननीय मंत्री ने कहा है कि जब सूचकांक 297 से नीचे चला गया तो पिछली सरकर ने दो किश्तें कम कीं और उनकी सरकार ने एक ही किश्त कम की है। अब सूचकांक 304 पर पहुंच गया है। इसलिए कर्मचारी एक और किश्त के हकदार हो गये हैं।

श्री एच० एम० पटेल : जब सूचकांक 320 पर पहुंच गया तो कर्मचारी एक किश्त के हकदार हो गये थे लकिन सरकार ने कहा कि आर्थिक कठिनाई के कारण वह किश्त नहीं देगी जब कर्मचारियों के साथ चर्चा चल रही थी तो कीमतें गिरने लगीं और जब सूचकांक 312 पर आ गया तो एक किश्त कम हो गई। जब यह 312 से 304 पर आ गया तो दूसरी किश्त कम हो गई। अब ज्योंही सूचकांक 304 से बढ़कर 312 हो जायेगा तो वे एक और किश्त के हकदार हो जायेंगे। यदि यह कम हुआ तो महंगाई भत्ता भी कम हो जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जन दिवसों की हानि

*467. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक असन्तोष के कारण अप्रैल, 1977 से अब तक व्यर्थ हुए जन दिवसों की संख्या पूर्ववर्ती तीन वर्षों की इसी अवधि के जन दिवसों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या औद्योगिक असन्तोष की इस बाढ़ को रोकने के लिए कोई उपाय सोचे गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग). औद्योगिक अशान्ति के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या के बारे में पूर्ण रिपोर्ट अभी कई राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है ; जब तक ये रिपोर्टें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना सम्भव नहीं है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और जहां कहीं आवश्यक होता है विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर रही है। सरकार औद्योगिक संबंधों से संबंधित कानून परिवर्तन करने के बारे में भी विचार कर रही है और इस प्रयोजन के लिए वह शीघ्र ही एक त्रिपक्षीय समिति गठित कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट दो माह में देगी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस विषय पर आवश्यक कानून बना सकेगी।

Post Offices in the Country

*470. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new post offices opened in the country during the last three years and the number of post offices proposed to be opened during the next year ;

(b) the number of villages in India where it takes mail more than three days to reach ; and

(c) the scheme of Government to ensure timely delivery of dak ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) 4,545 post offices were opened during the three years from April, 1974 to March, 1977. During the current financial year, it is proposed to open 3,100 new post offices.

(b) and (c). In about 11,000 villages mail is delivered bi-weekly or at longer intervals. About 15,700 villages get mails tri-weekly. The remaining villages are covered by the daily delivery scheme.

It is expected that the daily delivery scheme will be extended to almost all the villages by the end of this financial year.

मजूरी उत्पादकता ढांचा

*471. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर क्षेत्र के उद्योगों के अधिकांश अधिकारी यह महसूस करते हैं कि फैक्टरी मजदूरों को समयोपरि भत्ता देने की अपेक्षा प्रोत्साहन बोनस देना बेहतर है और उनकी यह भी राय है कि अधिक भुगतान से शक्ति और पूंजी दोनों के उचित उपयोग में रुकावट है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मजूरी उत्पादकता ढांचे पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने को कहा है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

( ) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को परमाणु पुनर्परिष्करण संयंत्र (रिप्रोसैसिंग प्लांट) की बिक्री

*472. **श्री रामानन्द तिवारी :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को परमाणु पुनर्परिष्करण संयंत्र (रिप्रोसैसिंग प्लांट) की बिक्री के बारे में स्थानीय दैनिक में प्रकाशित समाचार देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जाने का हमेशा समर्थन किया है और नाभिकीय अस्त्र बनाने के लिए इसके प्रयोग का सदा विरोध किया है।

अमरीका से स्वास्थ्य विकास के लिए सहायता

*473. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य के बारे में भारत को सहयोग और सहायता देने के लिये भारत और अमरीका में कोई करार हुआ है अथवा सहमति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य विकास के बारे में अमरीकी सरकार भारत को किस प्रकार की सहायता देगी ;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी महत्वपूर्ण अस्पतालों में रोगियों का निःशुल्क इलाज करने का निर्णय किया है जैसा पहले किया जाता था ; और

(घ) क्या इस समय सभी बड़े अस्पतालों में इलाज के लिये रोगियों को स्वयं औषधियां लानी पड़ती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने की प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) जी नहीं। दवाइयां यदि अस्पतालों में उपलब्ध हों तो रोगियों को मुफ्त ही दी जाती हैं।

जले हुए व्यक्तियों को पूतिदोष (सैप्सिस) रोग

*474. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में हुई एक गोष्ठी में यह बताया गया था कि नगरों के अस्पतालों में 63 जले हुए व्यक्तियों में से 57 व्यक्तियों को पूतिदोष रोग हो गया ;

(ख) क्या यह भी बताया गया था कि एक अन्य अस्पताल में 202 बच्चों में से 40 बच्चे रोगाणुग्रस्त हुए ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसधान परिषद् के मुख्यालय में 31 मार्च, 1977 को हुई अस्पताली संक्रमण संबंधी गोष्ठी में प्रस्तुत किए गए एक लेख में यह बतलाया गया था कि इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली के दुग्ध एकक में 63 जले हुए व्यक्तियों में से 57 व्यक्तियों के घावों में पूतिता हो गई।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार ने अस्पताल में संक्रमण कितना फैला हुआ है उसका पता लगाने के लिए गहराई से अध्ययन करने और इसके नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें ये भी शामिल हैं : (1) अस्पताल संक्रमण समिति का बनाना; (2) एक सेन्ट्रल स्टाराइल केन्द्रीय विसंक्रमण सामग्री पूर्ति की स्थापना करना और अनुमोदित तकनीकों को आरम्भ करना; और (3) जले हुए व्यक्तियों जैसे अधिक सक्रमित रोगियों की देखरेख करने के लिए अस्पताल के कार्मिकों को प्रशिक्षित करना।

परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग में भारत और कनाडा के बीच सहयोग

*475. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और कनाडा परमाणु विज्ञान और प्रोद्योगिकी के शान्तिपूर्ण उपयोग में पुनः सहयोग करने पर सहमत हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) और (ख) परमाणु सहयोग पुनः प्रारम्भ करने के लिए भारत और कनाडा के बीच कोई औपचारिक करार सम्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन जून में लंदन में राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन के समय भारत और कनाडा के प्रधान मंत्रियों के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होने उन समस्याओं पर भी विचार किया था जो इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग में बाधक बन गई थीं और वे इस बात पर सहमत हुए थे कि अपनी-अपनी राष्ट्रीय नीतियों की रूपरेखा के दायरे में रहते हुए ऐसे प्रयत्न करने चाहिएं जिससे कि नाभिकीय ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में परस्पर लाभदायक सहयोग पुनः स्थापित हो सके।

खान सुरक्षा महानिदेशालय का पुनर्गठन

*476. **श्री शिव सम्पति राम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खान सुरक्षा महानिदेशालय के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय में सीनियर और जूनियर स्तर के पदों की संख्या कितनी है तथा दोनों स्तरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(घ) उन्हें भरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने खान सुरक्षा महानिदेशालय को पुनर्गठित करने के लिए एक स्कीम को स्वीकृति दे दी है । इस स्कीम के अन्तर्गत निदेशालय में महानिदेशक के अधीन मुख्यत: तीन स्तर के अधिकारी अर्थात् उपमहानिदेशक, निदेशक और उपनिदेशक होंगे । संयुक्त निदेशक का स्तर समाप्त कर दिया जाएगा । सहायक खान सुरक्षा निदेशक के पदों की संख्या 20 से घटाकर 14 कर दी जाएगी । उपखान सुरक्षा महानिदेशक के पद 1 से बढ़ाकर 5 कर दिए जाएगे और खान सुरक्षा निदेशक के पद 9 से बढ़ाकर 26 कर दिए जाएंगे । उपखान सुरक्षा निदेशक के ग्रेड में जिनके पद 80 से बढ़ाकर 88 कर दिए जाऐगे (इसमें सेलेक्शन ग्रेड के 18 पद सम्मिलित है) सेलेक्शन ग्रेड आरम्भ किया जाएगा । स्कीम को शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) और (घ) अनुबन्ध में स्थिति का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

पुनर्गठन प्रस्तावों के अन्तर्गत संवर्गों में खान सुरक्षा महानिदेशालय में पदों की स्थिति

क्रम सं०	पद का नाम	वर्तमान स्वीकृत पद (पदों) की सं०	रिक्त पद (पदों) की संख्या	तारीख जब से पद रिक्त है / हैं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**खान सुरक्षा महानिदेशक**	1*	1	26-8-1974	*आस्थायी रूप से 12-10-76 (अपराह्न) से आस्थगित है । पुनःप्रवर्तन पर भर ली जाएगी ।
2.	**उपखान सुरक्षा महानिदेशक**	1**	कुछ नहीं	--	**अस्थायी रूप से आस्थगित रखे गए खान सुरक्षा महानिदेशक के पद के बदले निर्मित ।
3.	**खान सुरक्षा निदेशक**				
	(क) खनन	9	कुछ नहीं	—	—
	(ख) विद्युत	—	—	—	—
	(ग) यांत्रिक	—	—	—	—
4.	**संयुक्त खान सुरक्षा निदेशक**				
	(क) खनन	26	कुछ नहीं	—	—

(1)	(२)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(ख) विद्युत	2	कुछ नहीं	—	—
	(ग) यांत्रिक	1	कुछ नहीं	—	—
5.	उपखान सुरक्षा निदेशक (क) खान	61	15 (1)	30-4-71	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त है। इसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुनः विज्ञापित किया गया है।
			(2) (3) (4) से (9) (10) से (11) (12) से (13) (14) (15)	28-10-75 1-5-76 10-5-76 24-7-76 26-7-76 27-12-76 17-2-77	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पद विज्ञापित किए गए हैं।
	(ख) विद्युत	14	3 (1)	10-5-77	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त है। संघ लोक सेवा आयोग को भरती करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।
			(2) (3)	10-5-76 24-7-76	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिए गए हैं।
	(ग) यांत्रिक	5	3 (1)	15-9-75	संघ लोक सेवा आयोग ने एक उम्मीदवार का नामांकन किया है। मामले में कार्यवाही की जा रही है।
			(2) (3)	1-3-76 10-5-76	संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

*477. **डा० कर्ण सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संस्कृति के माध्यम से विश्व भर में सद्भावना और मित्रता के प्रचार के लिये भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को प्रमुख साधन बनाने का प्रताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का यह एक मुख्य उद्देश्य है ।

(ख) 1970 में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद का हस्तान्तरण विदेश मत्रालय में हो जाने के समय से इसका प्रयास यही रहा है कि वह विश्व के अन्य देशों में अपनी संस्कृति और सद्भावना के प्रति समझ-बुझ बढ़ाने का एक साधन बने। हाल ही में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य दूसरे देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों का सामान्यरूप से और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के क्षेत्र और कार्यों का विशेष रूप से पुनरावलोकन और मुल्यांकन करना है ।

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज की दर

*478. **श्री बसन्त साठे:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कमचारियों की भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1977–78 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली ब्याज की दर को 7.50 प्रतिशत बढ़ाकर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया है ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की सुविधाएं

*479. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक तथा होम्योपथिक चिकित्सापद्धतियों के लिये भारी मांग को देखते हुए सरकार का विचार दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के प्रत्येक ऐसे औषधालय में जहां उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, उक्त सुविधा उपलब्ध कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख). इस समय दिल्ली में 6 आयुर्वेदिक और 4 होम्योपैथिक औषधालय काम कर रहे है। देशी चिकित्सा पद्धतियों को जिनमें होम्योपैथी भी सम्मिलित है, बढ़ावा देना सरकार का उदेश्य है। यद्यपि दिल्ली के सभी औषधालययों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धतियों की सुविधाधाएं सुलभ कराने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु इन पद्धियों के और अधिक औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हैऔर इन्हें खोलने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो ते ही और औषधालय खोल दिये जायेंगे।

Use of Indian Dresses in Indian Missions

†*480. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indian Embassies abroad do not appear to show any interest in their national language and swadeshi dress ;

(b) if so, whether he got a glimpse of it during his recent visit to foreign countries ; and

(c) if so, whether Government have issued some directions in reagard to use of Indian dresses and other materials by Indians living abroad and Indian employees in Indian Embassies?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). No, Sir. It is not correct to state that Indian Embassies abroad do not show much interest.

(c) There are specific instructions to Indian Officers in Missions abroad that they should wear only Indian dress as prescribed, for formal and ceremonial occasions. On less formal occasions they are encouraged to wear "bundgala" and trousers. For other occasions and normal wear, no dress is prescribed as in India. It may, however, be stated that Indian dress is being voluntarily used on an increasing scale.

रात्रि हवाई डाक सेवा

*481. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रात्रि हवाई डाक सेवा पुन: आरभ करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) इडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के परामर्श से इस मसले पर विचार किया जा रहा है।

टेलीफोन केन्द्र के लिए इलैक्ट्रोनिक उपकरण

*482. **श्री वी० एम० सुधीरन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन केन्द्र के लिये बड़े इलक्ट्रोनिक उपकरण बनाने के लिए सरकार ने कोई प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह आई० टी० आई०, पालघाट में इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के उत्पादन के विकास और विस्तार का एक अंग होगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

*483. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नया औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक शीघ्र ही लाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) इस समय देश में सगठित तथा असगठित श्रमिकों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) वे नये औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के अन्तर्गत कहा तक आयेंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने व्यापक औद्योगिक सबंध कानून से सबंधित सभी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने हेतु त्रिपक्षीय समिति का गठन करने का निर्णय किया है। अब यह समिति प्रस्तावित कानून के ढांचे की सिफारिश करेगी।

(ग) 1971 की जनगणना के अनुसार, कुल 1804 लाख श्रमिकों में से, लगभग 200 लाख श्रमिक संगठित क्षेत्र में और बाकी के श्रमिक असगठित क्षेत्र में थे।

(घ) यह भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट समिति की सिफारिश पर निर्भर करेगी।

बोकारो में "हाई स्ट्रेंथ लो अलाय स्टील"

*484. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारों में हाई स्ट्रेथ लो अलाय स्टील का वाणिज्यक पैमाने पर निर्माण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) उत्पादन में स्थिरता आ जाने के पश्चात बोकारों प्रति वर्ष, 4,000 टन तक हाईस्ट्रेंथ लो अलाय स्टील का उत्पादन करने की स्थिति में हो जाएगा। इस समय हाई स्ट्रेंथ लो अलाय स्टील का आयातित मूल्य लगभग, 4,000 रुपए प्रति टन है।

इस्पात उत्पादन

3462. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वित्तीय वर्ष 1977–78 की पहली तिमाही में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1976–77 में इसी अवधि में कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) इस्पात उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी के क्या करण हैं, और

(ग) बिक्री के लिये कुल कितनी मात्रा उपलब्ध थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) अप्रैल-जून, 1977 की तिमाही में छः सार्वजनिक इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन 20.36 लाख टन था जबकि वर्ष 1976–77 की इसी तिमाही में उत्पादन 18.97 लाख टन था अर्थात् 1,57,000 टन (8.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

(ख) उत्पादन में यह वृद्धि बोकारो इस्पात कारखाने के अधिक उत्पादन होने तथा अन्य कारखानों के कार्यकरण में सुधार होने के फलस्वरूप हुई।

(ग) अप्रैल-जून, 1977 की तिमाही में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 16.81 लाख टन हुआ।

देश में मान्यताप्राप्त चिकित्सा कालेज

3463. श्री रामजी लाल सुमन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सरकारी मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों की संख्या कितनी है तथा वे कहां कहां पर हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : यद्यपि एम० बी० बी० एस० के विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले कालेजों की कुल संख्या 106 है, तथापि इस समय ऐसे मेडिकल कालेजों की संख्या 94 है जिन्हें एम० बी० बी० एस० की डिग्री देने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन 94 मेडिकल कालेजों की सूची संलग्न है।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 697/77]

महाराष्ट्र के डाक-तार कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति

3464. श्री पुण्डलीक हरि दानवे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान महाराष्ट्र राज्य के डाक-तार विभाग के कितने कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त होने के लिये कहा गया ;

(ख) क्या राजनीतिक प्रतिशोधाभाव के कारण अनेक व्यक्तियों को उक्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति का शिकार होना पड़ा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों की जांच करने और न्याय करने का है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) आपात स्थिति की अवधि में महाराष्ट्र के डाक, दूर संचार सर्किलों और टेलीफोन जिलों में 118 कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवा निवृत्त किया गया था।

(ख) और (ग) नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही समय से पूर्व सेवानिवृत्त करने के आदेश दिये गये थे। सम्बन्धित व्यक्तियों से जब कभी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन पर डाक-तार महानिदेशालय को पुनरीक्षण समिति उनके गुणावगुण के आधार पर विचार करती है।

उड़ीसा में डाक तथा दूरसंचार सुविधा को प्राथमिकता

3465. श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में उड़ीसा में डाक और दूरसंचार दृष्टि से पिछड़े कितने जिलों में डाक और दूर संचार की बेहतर व्यवस्था करने के लिये प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) उड़ीसा सर्किल का वर्ष 1977–78 में क्रियान्वित के लिये प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) उक्त जिलों में संचार व्यवस्था करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :(क)

पोस्टल : (i) सात पूरे जिले और 3 जिलों के कुछ भाग।

दूरसंचार : (ii) नौ पूरे जिले और एक जिले के कुछ भाग।

(ख)

डाक : उड़ीसा सर्किल ने 1977–78 के लिये जो कार्यक्रम प्रस्तावित किये हैं उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) देहाती इलाकों में डाकघर खोलना—89 जिनमें साइकिल पर 40 चलते फिरते डाकघर भी शामिल हैं।

(ii) शहरी इलाकों में डाकघर खोलना :—25

(iii) अतिरिक्त गांवों में काउन्टर सुविधायें देने के लिये मौजूदा विभागेतर शाखा डाकघरों को चलते फिरते विभागेतर शाखा डाकघरों में बदलना :—455

(iv) अतिरिक्त लेटर बक्स लगाना :—3000

(v) अतिरिक्त गांवों में दैनिक डाक वितरण को सुविधायें देना :—1000

दूरसंचार :(vi) 70 लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० और 70 संयुक्त डाक-तार घर।

(ग) बहुत पिछड़े जिलों में डाक और दूर संचार सुविधाओं का विस्तार करने के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाती है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनकी मंजूरी दी जाती है। इसलिये, किसी प्रकार के विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में रत्नगिरि डाक-तार के लिए इमारत का निर्माण

3466. श्री बापू साहिब परूलेकर :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल में रत्नगिरी में वर्तमान मुख्य डाकघर को इमारत का निर्माण लगभग 60 वर्ष पूर्व किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग ने 20 वर्ष पूर्व नगर के बीचोंबीच डाकघर को इमारत के लिये एक प्लाट प्राप्त किया था और इमारत के नक्शे और उसके निर्माण पर आने वाले खर्च को लगभग 8 वर्ष पूर्व मंजूरी दे दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्माण के इस मद पर जे० सी० एम० में चर्चा की गई और इसे प्राथमिकता की सूची में शामिल किया गया था और निर्माण कार्य 1977 के वर्ष ऋतु से पहले आरम्भ करने का वचन दिया गया था और निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है;

(घ) क्या रत्नगिरि डाक-घर की इमारत के लिये मंजूर की गई राशि को कोल्हापुर में डाक-घर को इमारत के निर्माण पर व्यय किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार रत्नगिरि डाकघर की इमारत का निर्माण कब आरम्भ करने का है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्षेत्रीय जे० सी० एम० को 30–3–77 को हुई बैठक में पुरानी मुख्य डाकघर को इमारत के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया गया था और यह कहा गया था कि यह कार्य 1977 को मानसून से पहले शुरू कर दिया जाएगा । यह कार्य पूरा हो चुका है।

रत्नगिरि मुख्य डाकघर को नई विभागीय इमारत के निर्माण के प्रश्न पर भी विचार किया गया था लेकिन यह कार्य 1977 को मानसून से पहले शुरू करने का कोई वायदा नहीं किया गया था। जिन निर्माण कार्यों को पूरा किये जाने के लिये वर्ष 1976–77 में प्राथमिकता सूची जारी की गई है उसमें यह निर्माण कार्य भी शामिल किया गया है। यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) आशा है कि यह कार्य चालू वर्ष में शुरू हो जायेगा

खेतड़ी तांबा उद्योग समूह में ताम्बे की उत्पादन लागत

3467. श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे सम्बन्धी तालिका से यह ज्ञात होता है कि खेतड़ी तांबा उद्योग समूह में लगभग 30 करोड़ रुपये के तांबें का उत्पादन होता है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त तांबे की बिक्री क्यों नहीं की जा रही है ; और

(ग) खेतड़ी उद्योग समूह में तांबे की प्रति टन उत्पादन लागत कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं। खेतड़ी कापर कम्पलैक्स में 30 जून, 1977 को तैयार तांबा धातु अर्थात तांबा छड़ों का कुल स्टाक 2825 टन था जिसका मूल्य (उत्पादन शुल्क को छोड़कर) लगभग 5.57 करोड़ रुपये था।

(ख) यद्यपि तांबे के भंडार अधिक नहीं हैं, तथापि हाल के महीनों में तांबे की बिक्री पर 1976–77 के लिए आयात नीति में घोषित पंजीकृत निर्यातक नीति के अधीन तांबा पीतल-स्क्रैप की काफी मात्रा का आयात होने के कारण प्रभाव पड़ा है ।

(ग) खेतड़ी कापर कम्पलैक्स में 1976–77 के दौरान तांबा तार छड़ों के उत्पादन की औसत लागत 28, 746 रुपए प्रति टन थी।

Complaints against Provident Fund Commissioner, Indore

3468. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether there are many complaints against the Provident Fund Commissioner, Indore, Madhya Pradesh in regard to embezzlement and irregularities ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) and (b) There are no complaints against the Provident Fund Commissioner, Indore, Madhya Pradesh in regard to any embezzlement. Some cases of fraudulent withdrawal of provident fund money were detected in the Regional Office, Indore and these cases were referred by the Provident Fund Commissioner to the Central Bureau of Investigation/local Police authorities for investigation. The C. B. Is' report has been received and is under consideration.

मध्य प्रदेश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में डाकघरों और उप-डाकघरों का खोला जाना

3469. **श्री माधावराव सिंधिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों में कितने डाकघर और उप-डाकघर खोले गये ;

(ख) योजनावधि में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम डाकघर और उप-डाकघर खोले गये; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के गांवों में 686 शाखा डाकघर खोले गए हैं और 178 शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उप-डाकघर बना दिया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश डाक सर्किल के लिये 1977–78 के दौरान 750 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1978–79 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे देने के बाद वर्ष 1978–79 का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में रेडियो सैट

3470 **डा० रामजी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में कितने रेडियो सैट चल रहे हैं और उनमें से कितने सैट लाइसेंस प्राप्त हैं तथा कितने बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और सरकार को प्रति वर्ष कितनी हानि हो रही है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : रेडियो सेट चलाने के लिये लाइसेंस कैलेंडर वर्ष के लिये जारी किये जाते हैं। 31-12-76 को 1,73,59,710 रेडियो लाइसेंस प्रभावी थे और उनसे 23,50,82,179.50 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था।

बिना वैध लाइसेंस के कितने रेडियो सैट काम कर रहे हैं और उनसे कितने राजस्व की क्षति होती है इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Interpreters in Foreign Languages

†3473. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Interpreters Government have for interpretation from Hindi to foreign languages and vice-versa ;

(b) whether this number is adequate and if not, the steps being taken by Government for appointment of sufficient number of Interpreters ; and

(c) whether sufficient number of graduates in foreign languages who also know Hindi would be available in universities in the country ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Ministry of External Affairs has 27 posts of India-based interpreters. A number of them are Hindi-knowing but it would be inaccurate to state that they are qualified for simultaneously interpretation from Hindi to the foreign language and vice-versa. Cabinet approval has, however, been obtained for creating a high level cadre of interpreters with initial recruitment of 35 interpreters. Government would try to ensure by training if necessary the interpreters recruited to the new cadre, that they attain proficiency in interpretation to and from Hindi also.

(c) These vacancies will be filled through UPSC and it is expected that sufficient talent will be forthcoming.

स्टैनसैस स्टील रि-रोलिंग एकक

3474. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी नीति के अनुसार स्टैनलैस स्टील रोलिंग और रि-रोलिंग उद्योग को केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये सुरक्षित रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत में कुछ अधिकारियों ने स्टेनलैस स्टील रि-रोलिंग एककों को गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने की अनुमति दी; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए किन्हीं अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निश्चित किया जा रहा है तथा मामले की जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीज पटनायक) : (क) और (ख) जी नहीं। इस उद्योग का विनियमन लाइसेंस देने के बारे में समय-समय पर निश्चित की गई नीति के अनुसार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत ब्रिटिश संघ

3475 श्री कंवरलाल गुप्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि एक भारत-ब्रिटिश संघ नाम की एक संस्था है जिसका मुख्यालय ब्रिटेन में लन्दन में है ;

(ख) न्यास बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा चैयरमैन का नाम क्या है ;

(ग) उनके नाम और पते बताएं ;

(घ) इस संघ में ब्रिटेन में किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया तथा इस संघ के मुख्य वित्तपोषक कौन हैं ?

(ङ) श्री एन० के० सिंह०, आई० ए० एस० इसके बोर्ड में किस प्रकार लिये गये और गत तीन वर्षों में वह कितनी बार विदेश गये ;

(च) विदेशों के इन दौरों के क्या कारण थे और वहां के पांच स्टार वाले होटलों में ठहरने के उनके बिलों का भुगतान किसने किया ; और

(छ) क्या सरकार संघ के कार्यों के बारे में जांच करायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस संघ का कोई न्यायी मंडल नहीं है। इसके अध्यक्ष श्री स्वराज पाल हैं । तथापि, इस संघ का निदेशक मंडल है जिसके सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

निदेशक

श्री स्वराज पाल (अध्यक्ष)	नेचुरल गैस ग्यूब्स लि० के अध्यक्ष ।
श्री एलडोन ग्रिफिथस, मेम्बर पार्लियामेंट (उपाध्यक्ष)	कंजरवेटिव संसद सदस्य बरी सेंट एडमेंडससे
श्रीमती एच० नटवर सिंह	अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की सस्दया
श्री रोबिन ओ० नील	विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय में दक्षिण एशिया विभाग के अध्यक्ष
श्री क्रिस्टोपर रोबर्ट्स	व्यापार विभाग में सहायक सचिव
श्री रोबर्ट स्काले	ब्रिटिश स्टीलकारपोरेशन के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी
प्रो० ए फ० आर० एलचिन एफ० एस० ए०	केम्बिज विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन विभाग के रीडर ।
श्री जोन ग्रिग	लेख क और पत्रकार
श्री एन० के० सिंह	भारत के वाणिज्य मंत्री के भूतपूर्व विशेष सहायक
केप्टिन एस० वासुदेव	भारत के एक व्यापारिक अधिशासी

(घ) पता नहीं ।

(ङ) और (च): संघ के अध्यक्ष ने श्री एन० के० सिंह से संघ के निदेशक मंडल में व्यक्तिगत हैसियत से निदेशक बनने के लिए अनुरोध किया था जिसके लिए पिछली सरकार ने उन्हें अनुमति दी थी। पिछले तीन वर्षों में श्री सिंह ने किन देशों की और किन कारणों से यात्रा की इस के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है जो यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(छ) विदेश में रजिस्टर्ड किसी संघ की गतिविधियों की जांच करना भारत सरकार के लिए संभव नहीं ।

रुग्ण उदयोगों के बरोजगार श्रमिकों की समस्या

3476 श्री बी० सी० काम्बले : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण उद्योगों के बेरोजगार श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है। ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : वर्तमान कानून के अनुसार ऐसे श्रमिक, जिनका रुपया मिलों में कामबन्दी, छंटनी आदि के परिणाम स्वरूप रोजगार खो गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर के हकदार हैं । सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि जहां तक सम्भव हो, निगरानी की किसी प्रणाली द्वारा तथा सामयिक दोषनिवारक कार्यवाही द्वारा एककों को रुग्ण न होने दिया जाए । सरकार इस प्रयोजन के लिए एक विशेष सेल स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ।

केन्द्रीय खाद्य पदार्थ प्रयोगशाला कमचारी संघ से ज्ञापन

3477 डा० सरदीश राय क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य पदार्थ प्रयोगशाला कर्मचारी संघ से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में मुख्यतया क्या बातें उठायी गयी हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) इस ज्ञापन में उठाई गई मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1976 राजनीतिक कारणों से और बेईमान व्यापारियों के हित में आपात कालीन स्थिति के दौरान पहली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया था।

2. अधिक संख्या में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं को खोलने के लिए इस अधिनियम की धारा 4 के संशोधन के समर्थन में कोई विशेष कारण नहीं दिए गए हैं।

3. संशोधित अधिनियम की धारा 16 के अधीन व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की जो व्यवस्था की गई है वह आवश्यक नहीं है क्योंकि अधिकांश व्यापारी अशिक्षित और अनभिज्ञ होते हैं।

(ग) उठाई गई इन बातों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक 12/8/74 को राज्य सभा में पेश किया गया था।

2. भारत जैसे देश के लिए एक अपीली खाद्य प्रयोगशाला अर्थात केन्द्रीय खाद्य, प्रयोगशाला कलकत्ता को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त नहीं समझा गया है। ऐसी और अधिक अपीली प्रयोगशालाओं की जरूरत है। इस प्रसंग में ऐसी तीन प्रयोगशालाएं—एक उत्तरी जोन गाजियाबाद में, दूसरी पश्चिमी जोन पुणे में और तीसरी दक्षिणी जोन मैसूर में खोलने का प्रस्ताव है।

3. कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं है। जो व्यापारी खाद्य पदार्थों में मिलावट कर भोले-भाले लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं, वे एक सामाजिक अपराध करते हैं जिसके लिए कठोरता से कार्यवाही की जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में शोभापुर में डाक-तार कार्यालय खोलना

3480 **श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में शोभापुर में डाक-तार कार्यालय खोलने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं। शोभापुर में पहले ही एक विभागेतर उप डाकघर है। वहां एक पी० सीड० ओ० है और फोनोकाम के जरिये संयुक्त डाक-तार घर भी काम कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार

3481 **श्री अहमद एम० पटल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० एस० सी० (आनर्स) प्रथम श्रेणी, एम० एस० सी, प्रथम श्रेणी तथा बी० एड० आदि जैसी योग्यता वाले उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को गत दो-तीन वर्षों से रोज़गार प्राप्त नहीं हो सका है ;

(ख) यदि हां, तो 31-3-1977 तक एमप्लायमेंट एक्सचेंज अरब की सराय, नई दिल्ली में ऐसे कितने लोगों के नाम पंजीकृत थे ; और

(ग) सरकार उन्हें कब तक रोज़गार प्रदान करेगी

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) रोज़गार कार्यालय अरब की सराय, नई दिल्ली में दो वर्षों या इससे अधिक समय से पंजीकृत काम चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या 31 मार्च, 1977 को निम्न प्रकार थी :—

(i) बी० एस० सी० (आनर्स) प्रथम श्रेणी —3

(ii) एम० एस० सी० प्रथम श्रेणी 5

(ii) बी० एड० 8,485

(ग) रोज़गार रोन्मुख योजना चलाने का सरकार का प्रस्ताव है और शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों, दोनों के बीच बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से, उच्च रोज़गार तब सहित छठी पंचवर्षीय योजना सूत्रबद्ध करने के लिए योजना आयोग से कहा गया है ।

Mobile Post Offices

3482. Shri Yagya Dutt Sharma : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to accord priority to the provision of mobile post offices in predominantly jhuggi-jhonpry areas ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister for Communications (Shri Bri; Lal Verma) : (a) and (b). Priority is being accorded to provision of postal facilities to weaker sections of the society, both in urban and rural areas. 47 mobile Post Offices are already catering to the needs of jhuggi-jhopnry areas and it is proposed to provide more such Post Offices wherever required and justified on the basis of postal traffic.

केरल को मलेरिया निवारण चरण एकक (अटैक फेज यूनिट) की मंजूरी

3483. श्री पी० के० कोडियन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार के उस अनुरोध पर विचार कर लिया है जो राज्य में बन काटने और नई बस्तियां बसाने के परिणामस्वरूप मलेरिया से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए एक निवारण चरण एकक हेतु मंजूरी देने के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) जी हां ।

(ख) 1 अप्रैल, 1977 से भारत सरकार ने देश में मलेरिया नियंत्रण के लिए कार्यवाही की एक संशोधित योजना आरम्भ की है। इस संशोधित योजना के अन्तर्गत राज्यों को उन क्षेत्रों में मलेरिया के कारगार नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है जहां प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी होते हैं जिसे टुप्लस एनुअल पैरासाइटिक इंडेक्स (ए० पी० आई०) कहते हैं। चूंकि केरल में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे ए० पी० इंडेक्स दो से कम है इसलिए एक अलग मलेरिया यूनिट के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकी। वैसे, केन्द्रीय सरकार ने मुख्यालय और एक जोनल टियर के परिचालन सम्बन्धी खर्च को पूरा

करने के लिए वर्ष 1977–78 में केरल को 1.66 लाख रुपये की पूंजी नियत की गई। भारत सरकार केरल को परिचालन खर्च के अलावा प्रति वर्ष अनुमानित 1.49 लाख रुपये की लागत की सामग्री और उपकरणों के रूप में भी सहायता दे रही है।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती और ए० एस० पी० दुर्गापुर में वेतन मानों म असमानता

3484. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती और ए० एस० पी०, दुर्गापुर के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों में असमानता है;

(ख) इनके निर्धारण के लिये अधिकारीगण किन नियमों का पालन करते हैं; और

(ग) उद्योगों के हितों में इन असमानताओं को दूर करने तथा स्वस्थ्य वातावरण पैदा करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग). यह सच है कि विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड और बड़े सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (दुर्गापुर का मिश्रित इस्पात कारखाना भी शामिल है) के अधिकारियों के वेतनमानों, परिलब्धियों और सेवा की शर्तों में अन्तर है। इसका कारण यह है कि 1962 तक विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड कर्नाटक राज्य सरकार का विभागीय उपक्रम था और इसके वेतनमान राज्य सरकार के अन्य विभागों में प्रवर्तमान वेतनमानों को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते थे। इसके बाद जब कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड एक कम्पनी बन गई तो इसके अधिकारियों के वेतनमानों तथा सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के अधिकारियों के वेतनमानों के अन्तर को कम करने के लिए समय समय पर इनके वेतनमानों में संशोधन किये गये हैं। दुर्गापुर का मिश्रित इस्पात कारखाना जो पूर्णतया भारत सरकार का उपक्रम है, के वेतनमानों से इनकी तुलना करना उचित नहीं होगा क्योंकि विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० में अधिकतर शेयर अर्थात 60% शेयर राज्य सरकार के हैं जबकि 40% शेयर 'सेल' के हैं। फिर भी, यह मामला कम्पनी के निदेशक बोर्ड के विचाराधीन है और सभी सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए एक पैनल का गठन किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों द्वारा विचार करने तथा अन्तिम निर्णय लेने के लिए निश्चित सिफारिशें की जा सकें।

बम्बई से पूना के लिए टेलीफोन कालें

3485. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई से पूना के लिए टेलीफोन कालों को स्थानीय काल माना जाता है?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : जी नहीं। बम्बई से पूना की कालें ट्रंक काल मानी जाती हैं।

रेल सम्पर्क के बारे में भारत ईरान वार्ता

3486. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के बीच रेल सम्पर्क के बारे में भारत के प्रधान मंत्री और ईरान के शाह के बीच बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारत और ईरान रेल के क्षेत्र में पहले से ही सहयोग कर रहे हैं। हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री और ईरान के शहंशाह के बीच तेहरान में अनेक विषयों पर बातचीत हुई जिसमें रेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई जिससे कि आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप और ईरान को जोड़ने वाला एक थल मार्ग विकसित हो सके। इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं।

नियतन योग्य अधिशेष का निश्चय करने के लिये त्रिपक्षीय सम्मेलन

3487. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियतन योग्य अधिशेष का निश्चय करने के वर्तमान सूत्र के सम्बन्ध में चर्चा करने और उसमें संशोधनों की सिफारिश करने के लिये श्रमिक नियोक्ताओं और सरकार के बीच शीघ्र ही एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाने का कोई विचार नहीं है।

लघु इस्पात संयंत्र

3488 **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई में शत प्रतिशत कटौती कर दिये जाने के कारण उत्तर प्रदेश के सभी लघु इस्पात संयंत्रों में उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो बिजली में इस कटौती के कारण उत्पादन में हुई हानि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए तुरन्त ही क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) यह बताया गया है कि गत तीन महीनों में लगभग 60,000 टन के उत्पादन की हानि हुई है।

(ग) इस मामले पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से लिखा-पढ़ी की गई थी और अब 10 जुलाई, 1977 की रात्रि से लघु इस्पात संयंत्रों को रात्रि के 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक बिजली दी जा रही है।

विदेश मंत्रालय में सेवा निवृत्ति के पश्चात् सेवा अवधि का बढ़ाया जाना

3490. **श्री यादवेन्द्र दत्त:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विदेश सेवा के कितने राजदूतों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनकी सेवा-अवधि बढ़ाई ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेश मंत्रालय के कितने सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा निदेशकों की सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसे आठ विदेश सेवा अधिकारियों की सेवा-अवधि बढ़ाई गई थी जो विदेशों में मिशन प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे या कार्य कर रहे हैं।

(ख) इन वर्गों के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है :—

सचिव : 2

अपर सचिव : शून्य

संयुक्त सचिव : शून्य

निदेशक : 3

Direct Dialling System in U.P.

†3491. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Lucknow, the capital of U. P. has been linked with each commissionery (Divisions) and each commissionery with each district by direct dialljng system ; and

(b) if not, the number of places yet to be so linked and the steps being taken by Government in this direction ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) Not yet, Sir.

(b) 7 out of 11 commissioneries are to be linked to Lucknow on direct dialling and 40 district headquarters are yet to be linked to the respective commissioneries. District headquarters are being linked to the state capital progressively and the programme will extended to the end of the VI Plan.

स्वेच्छा से नसबन्दी करवाना

3492. **डा० बापू कालदाते :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल और मई, 1977 के दौरान कितने व्यक्तियों ने स्वेच्छा से नसबंदी करवाई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल और मई, 1977 के बीच किए गए स्वैच्छिक नसबंदी आपरेशनों की संख्या 90,328 हैं। 28 मार्च, 1977 को ये हिदायतें जारी की गई है कि परिवार नियोजन को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाना चाहिए और इसमें जोर जबर्दस्ती का कोई स्थान नहीं है।

बंगला देश को सहायता में कमी

3493. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष बंगला देश को दी जाने वाली सहायता में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक बंगला देश को कितनी सहायता दी गई है ;

(ग) सहायता में कमी करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सहायता में कमी से दोनों देशों के सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) दिसम्बर, 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में बंगला देश के अभ्युदय के बाद से भारत ने 31 मार्च, 1976 तक सरकार से सरकार को अनुदान और ऋण के रूप में कुल 233.02 करोड़ रुपये की सहायता दी है । इसके बाद से बंगलादेश को किसी नई सरकारी सहायता का वादा नहीं किया गया है ; इसलिए उस देश को इस वर्ष दी जाने वाली सहायता में कमी का प्रश्न नहीं उठता । तथापि, पहले जिन अनुदानों ऋणों का वादा किया गया था उनके एवज में बंगला देश को सामग्री बराबर भेजी जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सी० ए० आर० निकोबार तथा रंगत में टेलीफोन केन्द्र

3494. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निकोबार का टेलीफोन केन्द्र महीने में 3 सप्ताह खराब रहता है ;

(ख) यदि हां, तो उस टेलीफोन केन्द्र को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) रंगत में टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के बारे में क्या स्थिति है ?

संचार मंत्री (श्रीबृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं । कार निकोबार का टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है । उस एक्सचेंज की खराबियों पर तत्काल ध्यान देने के लिए वहां एक तकनीशियन तैनात किया जाएगा ।

(ग) 31 3 77 को रंगत में 50 लाइनों का एक आटोमेटिक एक्सचेंज खोल दिया गया है । वहां 10 टेलाफोन कनेक्शन काम कर रहे है और एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है ।

Telegraph Facilities in Purnisama Sub-post Office, Bhagalpur

†3495. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether in the absence of telegraph facilities in the sub-post office Purnisama (Bhagalpur district), the people there are facing great difficulty ; and

(b) if so, the time by which Government propose to provide telegraph facility at the said sub-post office ?

The Minister for Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) The place named Purnisama, having a sub-post office, could not be located.

(b) Does not arise.

Opening of Post Offices and Telephone Centres in Bihar

†3496. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the number of post offices in Bihar is less as compared to that in other States ; and

(b) if so, the measures proposed to be taken to increase the number of post offices and Telephone Centres in Bihar ?

The Minister for Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) Bihar has more post offices than all other States except Andhra Pradesh, Tamilnadu, Maharashtra and Uttar Pradesh.

(b) (i) The posts and Telegraphs Department has certain norms for opening of post offices. Proposals which are justified as per norms, are sanctioned to the extent resources are available. Subject to these conditions, it is proposed to open 100 new post offices in the rural areas of Bihar in the current financial year. Post offices may also be opened in Urban areas as required if they are self supporting or remunerative.

(ii) It is proposed to open 250 long-distance Public Call Offices in Bihar during the year 1977-78.

आयुर्वेदिक प्रेक्टिशनरों को प्रोत्साहन दिया जाना

3497. **श्री के० मालप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत में आयुर्वेदिक औषध पद्धति से इलाज करने वालों को प्रोत्सहन दिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : जी हां । भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत आयुर्वेद के रजिस्टर्ड चिकित्सकों को कुछ रियायतें दी गई ।

Wage Board for Manganese Mine Workers

3498. **Shri Kacharulal Hemraj Jain** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the number of workers working in manganese mines in the country ;

(b) whether Government are aware that the wages paid to them is quite meagre and unequal in all the mines ;

(c) whether Government propose to constitute a Wage Board for manganese mine workers ;

(d) if so, by what time ; and

(e) if not, the action being taken by Government to raise their wages and save the workers from exploitation ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) According to available information average daily employment in the manganese mines in the country during 1974 was 25, 810.

(b) to (e). The following minimum rates of wages under the Minimum Wages Act, 1948 for the employment in manganese mines were notified in June, 1976.

Unskilled workers .	Rs. 5.80 per day
Semi-skilled workers .	Rs. 7.25 per day
Skilled/Clerical workers	Rs. 8.70 per day

The above rates are applicable to all manganese mines throughout the country. There is no proposal to constitute a Wage Board for manganese mine workers.

नसबंदी आपरेशनों के लक्ष्य और उपलब्धियां

3499. श्री पी० वी० नरसिम्हाराव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 में नसबंदी आपरेशनों सम्बन्धी लक्ष्य क्या थे और इन वर्षों की उपलब्धियां क्या है ?

(ख) इस से जन्म दर में कितनी कमी होने की आशा होनी है ; और

(ग) क्या सरकार को यह कमी 1981 की जनगणना के आंकड़ों में प्रतिबिम्बित होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार, कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1974–75	2,000,000	1,353,859
1975–76* .	2,491,800	2,668,754
1976–77* . .	4,299,000	8,106,639

*अनन्तिम आंकड़े ।

(ख) 1976–77 के अन्त तक परिवार नियोजन का जितना काम हुआ है, जिसमें नसबंदी के अलावा अन्य तरीके भी शामिल है,उसके परिणामस्वरूप आशा है कि 1977–78 में जन्म–दर 33 प्रति हजार जनसंख्या से भी कम हो जाएगी ।

(ग) न केवल अब तक हुए काम के असर की, बल्कि 1980 तक जो काम होगा, उसकी झलक भी 1981 की जनगणना में मिलने की आशा है ।

बोनस पुनरीक्षण समिति

3500. **श्रीमती रेणुकादेवी बड़कटकी** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बोनस पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) बोनस पुनरीक्षण समिति की अन्तिम रिपोर्ट सरकार द्वारा 14 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुई ।

(ख) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रकाश में 25 सितम्बर, 1975 को बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश, 1975 जारी किया गया । बाद को, इस अध्यादेश का स्थान संसद् के एक अधिनियम ने ले लिया । अब पुन: समस्त प्रश्न विचाराधीन है ।

Research of Rajasthan Herb at Central Desert Research Institute

3501. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether a herb found in the forests of Rajasthan desert has proved to be useful source of chemical required in birth control tablets ;

(b) whether the scientists of the Central Desert Research Institute are conducting any further research in this regard ; and

(c) if so, the findings thereof ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Ballanitil found in forest of Rajasthan has been found to contain very low percentage of diosgenin which is a precursor of hormone used in the manufacture of birth control oral pills ;

(b) and (c). According to the scientists of Central Drug Research Institute, Lucknow the content of diosgenin in ballanitil is very low in comparison to dioscorea which is being grown in India now. As such the extraction of chemical from ballanitil is not considered to be a a feasible proposition.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मासिक औसत

3502. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए (1960-100 आधार मानकर) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों का बारह मासिक औसत क्या है तथा गत तीन वर्षों में उपर्युक्त मूल्य सूचकांक के मासिक आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

औद्योगिक श्रमिकों के लिए (1960–100 को आधार मानकर) अखिल भारतीय औसत सूचकांक (सामान्य) और बारह मास की परिवर्ती औसत का विवरण

	मासिक सूचकांक				बारह मास की परिवर्ती औसत			
मास	1974	1975	1976	1977	1974	1975	1976	1977
जनवरी . .	264	326	298	307	240.50	308.67	318.58	297.17
फरवरी .	257	325	290	310	245.00	313.50	315.67	298.83
मार्च . .	275	321	286	312	249.92	317.33	312.75	301.00
अप्रैल . . .	283	323	289	313	255.08	320.67	309.92	303.00
मई . . .	294	327	290	318	260.58	323.42	306.83	305.33
जून . . .	301	328	291		266.25	325.67	303.75	
जुलाई . . .	311	324	297		271.92	326.75	301.50	
अगस्त . . .	321	321	298		278.08	326.75	299.58	
सितम्बर . .	334	319	302		285.25	325.50	298.17	
अक्तूबर . . .	335	316	304		292.00	323.92	297.17	
नवम्बर . . .	331	315	306		298.00	322.58	296.42	
दिसम्बर . . .	326	306	306		303.50	320.92	296.42	

उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में खनिजों के भंडार

3503. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में विभिन्न अयस्कों और खनिजों के राज्यवार तथा मद-वार कितनी मात्रा के भण्डार हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में अयस्को की कितनी मात्रा निकाली गई और उपरोक्त अवधि में राज्यवार तथा मद-वार कितनी मात्रा स्वदेश में उपयोग में लाई गई और कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ; और

(ग) देश में अयस्कों तथा खनिजों का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख). उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज भंडारों के अनुमानित भंडारों तथा गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू खपत और निर्यात हेतु प्रेषण के आंकड़े संलग्न अनुबन्ध 1 से 5 में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०–698/77] ।

(ग) खनिजों की घरेलू खपत को बढ़ाने हेतु सरकार ने खनिजों पर आधारित अधिक उद्योगों की स्थापना तथा वर्तमान उद्योगों के क्षमताओं के विस्तार को प्रोत्साहन दिया है ।

'इस्टेन्ट डाक्टरों' को तैयार किया जाना

3504. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 78 करोड़ रुपए की लागत वाली उस योजना को शुरू करने के बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से परामर्श कर लिया है जिसके अंतर्गत 5,80,000 'इंस्टेंट डाक्टरों' को तैयार किया जाना है; और

(ख) पहले ही अर्हताप्राप्त तथा बेरोजगार डाक्टरों पर इन 'इंस्टेंट डाक्टरों' का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) देहात में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रारूप पर 28-29/4/77 को हुए स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार हुआ। जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के विचार जानने के लिए योजना को समुचित प्रचार दिया गया। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विचार भी प्राप्त हुए। गांव में स्वास्थ्य सेवायें देने की प्रस्तावित योजना में निहित विचार इंडियन मेडिकल एसोशिएशन को बताये जायेंगे और यह कोशिश की जायगी कि उन्हें योजना के औचित्य से संतुष्ट कराकर उनका सहयोग प्राप्त किया जाए ।

(ख) जन स्वास्थ्य रक्षक, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है वस्तुत: डाक्टर नहीं होगा। वह तो समुदाय द्वारा समुदाय में से ही चुना हुआ एक कार्यकर्ता होगा जो सरल एवं भौतिक स्वास्थ्य

सेवाओं में प्रशिक्षण पाने के बाद, बीमारियों से बचने, स्वास्थ्य सुधारने तथा चिकित्सा संबंधी सेवायें समुदाय को देगा । वह समुदाय एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के बीच कड़ी का काम करेगा ।

योजना के प्रारूप का एक प्रस्ताव चिकित्सा स्नातकों को एम० बी० बी० एस० की पढ़ाई समाप्त करने के बाद दो वर्ष के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित करना है । इस अवधि में उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा ग्रामीण सेवाओं की स्थितियों के सम्पर्क में आने का अवसर मिलेगा और साथ ही उनकी सेवायें ग्रामीण क्षेत्रों को प्राप्त होंगी । यह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य डाक्टरों को भेजने से संबंधित विचार के अनुरूप होगा ।

संगमरमर तथा ग्रेनाईट का उत्पादन

3506. श्री सतीश अग्रवाल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संगमरमर तथा ग्रेनाईट का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और यह प्रायः किन-किन स्थानों से निकाले जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इनकी निर्यात संभावना को मुल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और इस समय संगमरमर और ग्रेनाईट का किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के खनिज पत्थरों को उद्योग के रूप में स्वीकार करने और निर्यात बढ़ाने के विचार से इस क्षेत्र को ऋण देने का है ; और

(घ) इन पत्थरों का परिष्करण तथा पालिश करने वाले कितने स्वदेशी एकक यंत्रीकृत एवं आधुनिक हैं और क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए उन्हें तकनीकी जानकारी उपलब्ध करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) वर्ष 1975 के दौरान संगमरमर तथा ग्रेनाईट का उत्पादन क्रमशः 1,44,858 टन तथा 16,30,000 टन हुआ । संगमरमर मुख्यतया राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में निकाला जाता है । ग्रेनाईट मुख्यतया कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में निकाला जाता है ।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा ग्रेनाईट हेतु विपणन सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस समय संगमरमर मुख्यतया बंगला देश तथा मध्य-पूर्व राष्ट्रों को भेजा जाता है जबकि ग्रेनाईट मुख्यतया जापान तथा ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है । थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अन्य अनेक देशों यथा—अमरीका, इटली, हांगकांग, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी और कनाडा को भी निर्यात किया जा रहा है ।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । कुछ राज्य वित्त निगमों और बैंकों को इस कार्य के लिए ऋण दिए हैं ।

(घ) तमिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश में ग्रेनाइट के लिए क्रमशः लगभग 20 और 35 यंत्रीकृत इकाइया हैं। राजस्थान में संगमरमर के लिए लगभग 275 यंत्रीकृत इकाइया हैं। कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसी इकाइया हैं। तकनीकी की जानकारी की व्यवस्था हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मूल्य सूचकांक और वास्तविक मजूरी

3507. **श्री चांद राम :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सूचकांक फार्मूला दोषपूर्ण है और यह मूल्यों में वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं दिखाता;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को मिलने वाली वास्तविक मजूरी कम हो रही है जिससे बाध्य होकर उन्हें जीवन की मूल आवश्यकताओं को भी छोड़ना पड़ता है; और

(ग) क्या इस को देखते हुए सरकार का मूल्य सूचकांक फार्मूले का पुनरीक्षण करने और कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। औद्योगिक श्रमिकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लैस पेरे के फार्मूले का उपयोग करके किया जाता है। इस फार्मूले के अनुसार उपभोग बास्केट में शामिल वस्तुओं के मूल्यों में जब कभी वृद्धि होती है तब सूचकांक ऊपर की ओर रुख दर्शाता है। इसलिए इससे वास्तविक मजदूरी में कमी नहीं हो सकती।

(ग) जी नहीं। सूचकांक के इस फार्मूले (सूत्र) में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, श्रमिक संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सूचकांक के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा करने और संकलन की विधि में सुधार लाने हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई।

Unemployed Technicians and Graduates

3508. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state the number of educated unemployed persons registered in various States in the country as on 15th June, 1977 and the number of technicians, graduates and others, out of them, separately ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : The available information relates to the number of educated job-seekers (all of whom are not necessarily unemployed) on the Live Register of Employment Exchanges as on 31-12-1976, which is given in the statement attached.

Statement

Sl. No.	State/Union Territory	Number of job-seekers on the Live Register of Employment Exchanges as on 31-12-1976†		
		Educated (Matriculates and above)	Engineering graduates (including post-graduates) included in Col. (3)	Engineering Diploma holders included in Col. (3)
1	2	3	4	5
	States			
1.	Andhra Pradesh	3,17,479	1,483	6,493
2.	Assam .	89,027	16	478
3.	Bihar	5,05,366	3,982	7,297
4.	Gujarat .	2,08,497	119	3,303
5.	Haryana .	1,37,970	386	1,210
6.	Himachal Pradesh .	36,484	45	851
7.	Jammu and Kashmir	20,255	152	289
8.	Karnataka .	2,74,497	2,191	4,541
9.	Kerala	4,09,449	1,764	3,650
10.	Madhya Pradesh .	2,56,253	1,249	2,806
11.	Maharashtra	4,79,498	819	1,312
12.	Manipur	23,396	79	10
13.	Meghalaya	5,100	5	18
14.	Nagaland	640	—	10
15.	Orissa .	1,32,623	257	823
16.	Punjab .	1,68,911	249	2,372
17.	Rajasthan	1,35,186	580	1,319
18.	Sikkim* .	—	—	—
19.	Tamilnadu	4,09,866	2,086	5,390
20.	Tripura .	28,912	45	170
21.	Uttar Pradesh .	6,33,734	516	9,711
22.	West Bengal	6,13,981	1,252	6,892

NOTE :—1. †Data in respect of educated job-seekers are being collected from the Employment Exchanges at half yearly intervals ending 30th June and 31st December each year and as such information as on 15th June, 1977 is not available.

2. *No Employment Exchange is functioning in these State/Union Territories.

1	2	3	4	5
	Union Territories			
1.	Andaman and Nicobar Islands . . .	738	3	37
2.	Arunachal Pradesh*	—	—	—
3.	Chandigarh	21,032	154	504
4.	Dadra and Nagar Haveli*	—	—	—
5.	Delhi	1,67,966	869	2,796
6.	Goa, Daman and Diu	16,751	59	56
7.	Lakshadweep . . .	694	—	13
8.	Mizoram	1,517	—	4
9.	Pondicherry . .	8,307	25	92
	All India Total	51,04,129	18,385	62,447

3. All the job-seekers on the Live Register of Employment Exchanges are not necessarily unemployed.

4. Excludes figures for University Employment Information and Guidance Bureaux except for Delhi and Maharashtra.

बोलानी लौह अयस्क खानों को सरकारी नियंत्रण में लेना

3509. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोलानी लौह अयस्क खानों के कुप्रबन्ध के बारे में विभिन्न शिकायतों का पता है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई और स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) बोलानी की लौह अयस्क की खानों में कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार और मशीनरी तथा चोरी की वारदातों की तरफ पूरी तरह ध्यान न देने के बारे में अभी हाल ही में एक शिकायत मिली है। इसकी जांच की जा रही है।

पिछले कुछ वर्षों से बोलानी ओर्स लिमिटेड में कार्य परिणाम प्रतिकूल चल रहे हैं। इस का मुख्य कारण यह है कि कम्पनी अपने विस्तार कार्यक्रम तथा पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं जुटा पाई है।

इस समय इस कंपनी के 49.5% शेयर निजी क्षेत्र की एक कंपनी नामत: उड़ीसा मिनरल डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के पास हैं। इस कम्पनी ने आपसी स्वीकार्यता के आधार पर बोलानी ओर्स लिमिटेड के अपने शेयर स्टील अथारिटी आफ इंडिया

लिमिटेड को, जिसके पास बाकी 50.5% शेयर हैं, बेचने की पेशकश की है। इस पर विचार किया जा रहा है ।

इस कंपनी में उचित संगठनात्मक परिवर्तन करने का भी विचार है । यह निर्णय लिया जा चुका है कि कंपनी में महाप्रबंधक के स्थान पर, जैसा कि अब तक था, प्रबंध-निदेशक नियुक्त किया जाए ।

Profit Earned and Loss Suffered by Hindustan Steel Works Construction Ltd., Calcutta

3510. Shri Birendra Prasad : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the profit earned and the loss suffered by the Hindustan Steel Works Construction Ltd., 1, Shakespeare Lane, Calcutta during the years 1975-76 and 1976-77, separately ;

(b) Whether the financial condition of the Company is continuously deteriorating as a result of the mismanagement caused by the arbitrary and partial attitudes of the Manager and the Board of Directors there ; and

(c) if so, steps contemplated in this regard ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) The net profit earned by the Hindustan Steel Works Construction Limited, Calcutta during the years 1975-76 and 1976-77 is as under :

(Rupees in lakhs)

	Net profit before tax	Net profit after tax
1975-76	129.42	48.66
1976-77 (Provisional)	163.00	Not available

(b) No, Sir. The financial condition of the Company is reasonably good. The Company has been consistently making profit over the last few years. The turn-over of the Company has also increased from Rs.4 crores in 1965-66 to Rs.65 crores in 1975-76 and to a record figure of Rs. 76 crores (provisional) in 1976-77.

(c) Does not arise.

Supply of Iron and Steel from Agra H.S.L. Stockyard

3511. Shri Shambhu Nath Chaturvedi : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether complaints have been received that the approved fabricators are not getting their supplies of Iron and Steel from the Stock Yard of Hindustan Steel in Agra ;

(b) whether it is the policy of Government to supply material from these yards only to dealers and not to manufacturers ; and

(c) whether Government will ensure that the small trade units are able to receive their supplies direct from the company or their local stockists and not through other intermediaries ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) No complaints have been received from the customers in this area regarding the non-receipt of material from the H. S. L. Stockyard at Agra.

(b) No, Sir. The policy of the stockyard is to first meet the demands of actual consumers and the balance quantity is given to the traders.

(c) Government's policy is to ensure supplies to the small scale units either through the State Small Industries Corporations or through the stockyards of the producers.

Contribution by National Herald Group of Newspapers Employees' Provident Fund

3512. Shri Shiv Narain Sarsonia : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether National Herald Group of Newspapers has not deposited its contribution to employees' provident fund for many years and a sum of more than Rs. 2½ lakhs has always been due from them ;

(b) whether no legal action had been taken against them till 22nd March, 1977, nor any damages for late payment were imposed ; and

(c) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government against the officers responsible for this ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : The Employees' Provident Fund Authorities have intimated as under :—

(a) There are two units of this group of Newspapers *viz.* Associated Journals Ltd., Lucknow and Nationa, Herald, New Delhi. Both the units had been chronic defaulters in compliance with the provisions of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. Sometimes the amount of provident fund contributions outstanding from these units exceeded Rs. 2½ lakhs.

(b) 12 prosecution cases had been instituted against Delhi Unit during August, 1971 to September, 1972. Also, action under section 8 (recovery of dues as arrears of land revenue) and under section 14B (recovery of damages) were initiated against this unit. Legal action under section 14 (prosecution for default in compliance with the provisions of the Act and the Schemes framed thereunder) and under section 406/409 of the Indian Penal Code (misappropriation of the trust money) were initiated against the Lucknow Unit of the group also. The compliance position of both the Units is now almost uptodate.

(c) Does not arise.

Statewise Target for Family Planning

3513. Shri Chhabiram Argal : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) State-wise target set for Family Planning for the years 1974, 1975 and 1976 and the extent to which these were achieved during these years ; and

(b) the expenditure incurred on Family Planning during 1974, 1975 and 1976, State-wise ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Three statements giving the required information for the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 are attached. (Annexure I, II and III). [Placed in Library. *See* No. L. T.—699/77].

(b) A Statement giving the required information for the years 1974-75, 1975-76, and 1976-77 is attached. (Annexure IV). [Placed in Library. *See* No. L. T.—699/77].

Hunger Strike by Delhi Telephone Operators

***3514. Shri Mani Ram Bagri** :
Shri K. Kunhambu :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether three Telephone Operators of Kidwai Bhavan, New Delhi have gone on hunger strike ;

(b) the causes thereof ; and

(c) the action being taken by Government to resolve this matter ?

The Minister for Communications (Shri Brij Lal Varma) : (a) Yes, Sir. The hunger strike began at 12 noon on 27-6-77 and lasted upto after midnight of 28th/29th June, 1977.

(b) and (c). The All India Telephone Traffic Employees Association, Delhi Circle had put up a list of five demands, which are under examination.

बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए उपकर की वसूली

3515. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष कुल कितनी राशि उपकर के रूप में वसूल की जा रही है;

(ख) इस राशि का कामगारों के कल्याण के लिए उपयोग करने हेतु सरकार की क्या योजनायें हैं; और

(ग) क्या सरकार इस कोष में अपना हिस्सा भी देगी और यदि हां, तो कितना ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) बीड़ी कर्मकार उपकर अधिनियम, 15 फरवरी, 1977 से लागू हुआ । 15 फरवरी से 31 मार्च, 1977 की अवधि के दौरान, लगभग 32 लाख रुपए की राशि एकत्र की गई तथा 1977–78 के दौरान यह आशा की जाती है कि 2 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की जायेगी ।

(ख) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि संबंधी प्रारूप नियमों को जनमत जानने के लिए अधिसूचित किया गया है और प्राप्त उत्तरों की छान-बीन की जा रही है । जब नियमों को अंतिम रूप दिया जायेगा तो जहां बीड़ी श्रम संकेन्द्रित है, उनमें से विभिन्न स्थानों में क्रियान्विति के लिए मूल रूप से कल्याण योजनायें भी तैयार की जायेंगी । श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा देख रेख की सुविधा को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी नहीं ।

केन्द्रीय सरकारी सेवा योजना के औषधालयों के डाक्टरों का स्थानान्तरण

3516. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अन्दर केन्द्रीय सरकारी सेवा योजना के औषधालयों और देश के अन्य भागों में कार्य कर रहे डाक्टरों के स्थानान्तरण के लिए कोई निश्चित नियम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बहुत से डाक्टर पांच वर्ष की सामान्य अवधि से अधिक किसी विशेष औषधालय में कार्य कर रहे हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में और इस कारण उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की कार्य की शर्तें नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) तथा (ख). दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों की आमतौर पर 3–5 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर एक औषधालय से दूसरे औषधालय में बदली की जाती है। तथापि जरूरत पड़ने पर सामान्य कार्यावधि की ओर ध्यान न दे कर सेवा संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए बदलियां की जाती हैं।

(ग) और (घ). दिल्ली में कुल 168 चिकित्सा अधिकारियों में से केवल 7 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4 मास में अपनी नियुक्ति के वर्तमान स्थानों पर 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनकी बदली से संबंधित मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

भारत के चिकित्सा प्रतिनिधि एसोसिएशन के फैडरेशन का वेतन की उच्चतम सीमा के बारे में अभ्यावेदन

3517. **श्री के० ए० राजन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत के चिकित्सा प्रतिनिधि एसोसिएशन के फैडरेशन का विक्रय वृद्धि कर्मचारी अधिनियम, 1976 से वेतन की अधिकतम सीमा निकाल देने के बारे में कोई अभ्यावेदन आया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). भारत के चिकित्सा प्रतिनिधि एसोसिएशन के फैडरेशन से एक अभ्यावेदन दिनांक 20 जून, 1977 श्रम मंत्रालय में प्राप्त हुआ है। फडरेशन की एक मांग यह है कि विक्रय वृद्धि कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 से वेतन कमीशन सीमा को निकाल दिया जाये। फडरेशन को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि इस मामले पर सरकार ध्यान दे रही है ?

2. 6-7 मई, 1977 को हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के नियमों के अनुसार, शीघ्र ही एक समिति नियुक्त की जाएगी जो व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक संबंधी सभी विषयों का गहराई से अध्ययन करेगी। आशा है कि चिकित्सा तथा विक्रय प्रतिनिधियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 'कर्मकार' की परिभाषा की परिधि में लाने का प्रश्न समिति के समक्ष आएगा। विक्रय वृद्धि कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 में किए जाने वाले किसी भी संशोधन पर समिति की सिफारिशों के प्रकाश में विचार किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा कर

3518. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की भांति सामाजिक सुरक्षा कर आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में सामग्री की कमी

2519. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग द्वारा कार्यक्रमों और परियोजनाओं को क्रियान्विति में विलम्ब का कारण समय पर, उड़ीसा के दूरस्थ और पिछड़े जिलों के लिए, सामग्री उपलब्ध न होना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रगति की गति तेज करने के उद्देश्य से सामग्री की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी नहीं । दूर संचार सुविधाओं के विकास के लिए अपेक्षित साज-सामान योजना के अनुसार प्राप्त कर विभिन्न इकाइयों को वितरित किया जाता है । इनमें उड़ीसा सर्किल भी शामिल है । जहां तक वर्ष 1977–78 की उड़ीसा सर्किल की योजना का संबंध है, साज-सामान की कोई विशेष कमी होने का अनुमान नहीं है और आशा है कि सभी निर्माण-कार्य विभिन्न चरणों में पूरे किए जायेंगे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा के जिला कोरापुट का सर्वेक्षण

3520. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय और उड़ीसा सरकार ने खनिजों का पता लगाने के लिए कोरापुट (उड़ीसा) जिले का पूर्णतया सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त खनिजों के नाम क्या हैं ; और

(ग) कितनों को निकाला गया है और भविष्य में कितने को निकाले जाने की सम्भावना हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं । जिले के कुल 25,510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से लगभग 18,035 वर्ग कि० मी० क्षेत्र का अप्रैल, 1977 तक भूगर्भीय मानचित्रण किया गया है ।

(ख) जिले में अभी तक प्राप्त खनिजों में बौक्साइट, चूना पत्थर, मैंगनीज अयस्क, क्वार्ट्ज और क्वाट्र्जाइट, लौह अयस्क तथा लाल गेरु शामिल हैं । कुछ क्षेत्रों में सोना तथा टीन होने की भी सूचना है ।

(ग) अभी तक केवल मैंगनीज अयस्क, क्वार्ट्ज तथा ग्रैफाइट का दोहन किया गया है । बौक्साइट और चूना पत्थर भण्डारों के दोहन के बारे में सरकार सक्रियता से विचार कर रही है ।

चांदमढ़ी तांबा परियोजना कर्मचारियों के लिए बोनस

3521. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1977 तक चांदमढ़ी तांबा परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या इस परियोजना ने वित्तीय वर्ष 1976-77 में कोई लाभ कमाया है ;

(ग) यदि हां, तो कितना; और

(घ) क्या कर्मचारी उत्पादन बोनस प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) चांदमढ़ी ताम्र परियोजना पर मार्च, 1977 तक, कुल 624.07 लाख रुपए खर्च हुए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष 1976-77 के दौरान परियोजना द्वारा अर्जित लाभ के अनन्तिम आंकड़े 15.50 लाख रुपए हैं ।

(घ) चांदमढ़ी ताम्र परियोजना में उत्पादन बोनस दिए जाने की कोई योजना नहीं है ।

चांदमढ़ी तांबा परियोजना में कर्मचारियों के लिए मध्यस्थ एजेंसी

3522. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदमढ़ी तांबा परियोजना में कर्मचारियों के लिए कोई मध्यस्थ एजेंसी कार्य कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में प्रबन्धक उक्त एजेंसी को मान्यता देने पर विचार कर रहे; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रणाली और समय सीमा क्या होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) चांदमढ़ी ताम्र परियोजना में कामगारों के लिए अब तक कोई मान्यता प्राप्त मध्यस्थता एजेंसी नहीं है ।

(ख) हिंदुस्तान कापर मजदूर संघ चांदमढ़ी ताम्र परियोजना में हाल ही में पंजीकृत की गई है । दो अन्य यूनियनें अर्थात् खेतड़ी तांबा श्रमिक संघ और राष्ट्रीय खेतड़ी तांबा प्रोजेक्ट मजदूर संघ हैं, जो खेतड़ी कापर कम्पपैलैक्स में हैं किंतु वे चांदमढ़ी कामगारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं । इनमें से कोई भी यूनियन इस समय मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि सदस्यता के दावों की जांच की जा रही है ।

(ग) व (घ) प्रबंधकों को चांदमढ़ी ताम्र परियोजना के लिए मध्यस्थता एजेंसी को मान्यता देने में कोई आपत्ति नहीं है । मध्यस्थता एजेंसी की अन्य मान्यता के प्रश्न का फैसला श्रम मंत्रालय के अधीन किसी समुचित एजेंसी की मार्फत सदस्यता के बारे में की जाने वाली जांच के पूरा होने के तत्काल बाद किया जाएगा ।

खेतड़ी तांबा उद्योग समूह से चांदमढ़ी ताबा परियोजना का पृथक अस्तित्व

3523. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंदुस्तान कांपर लिमिटेड की चांदमढ़ी तांबा परियोजना को खेतड़ी तांबा परियोजना से पृथक रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या चांदमढ़ी तांबा परियोजना का परियोजना मैनेजर दो पदों पर एक जनरल मैनेजर के नियंत्रणाधीन और दूसरे चेयरमैन के अधीन काम कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या परियोजना मैनेजर पर उक्त दोहरा नियंत्रण प्रशासनिक समस्यायें उत्पन्न करता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) चांदमढ़ी कापर प्रोजेक्ट में ओपन कास्ट खानें तथा खेतड़ी प्रोजेक्ट में भूमिगत खानें हैं। ओपन कास्ट खनन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी भूमिगत खानों में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी से एक दम भिन्न होती है। यही कारण है कि चांदमढ़ी परियोजना, जो दिसम्बर, 1972 में शुरू की गई थी, का अलग परियोजना के रूप में पृथक अस्तित्व रखा गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चांदमढ़ी में संचालन की प्रकृति तथा उसके लिए प्रशासनिक नियंत्रण की जरूरतों और प्रबंध को ध्यान में रख कर चांदमढ़ी परियोजना प्रबंधक चांदमढ़ी के कामों के बारे में हिंदुस्थान कापर लि० को सीधे रिपोर्ट पेश करता है। कोलिहान खानों के एजेंट के रूप में वह खेतडी कापर कम्पलेक्स के महाप्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है ।

(घ) परियोजना प्रबंध के इस दोहरे नियंत्रण के कारण कोई खास प्रशासनिक समस्या नहीं है ।

चांदमढ़ी तांबा परियोजना में उत्पादन

3524. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदमढ़ी तांबा परियोजना के उत्पादन आरम्भ करने के बाद से महीनेवार उत्पादन के आंकड़े क्या हैं और इसमें उत्पादित अयस्क का ग्रेड क्या है;

(ख) चांदमढ़ी तांबा परियोजना के उत्पादन का लक्ष्य कितना था और उसकी तुलना में प्राप्त उत्पादन की प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) चांदमढ़ी तांबा परियोजना के लिए वर्ष 1977 से 1980 तक कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) (क) चांदमढ़ी तांबा परियोजना में उत्पादन की शुरुआत से अयस्क ग्रेड सहित मासिक उत्पादन आंकड़े अनुबंध—1 में दिए गए हैं ।

(ख) वर्ष 1976–77 में चांदमढ़ी में उत्पादन लक्ष्य 1,00,000 टन निर्धारित किया गया था। वास्तविक उत्पादन 1,18,557 टन हुआ जो लक्ष्य का 118 प्रतिशत था ;

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) वर्ष	उत्पादन लक्ष्य टन
1977–78	1.50 लाख
1978–79	1.50 लाख
1979–80	3.00 लाख
1980–81	3.00 लाख

"विवरण"

	महीना	उत्पादन मी० ट०	ग्रेड घनफुट%
1975–76			
दिसम्बर	1975	1,881	0.76
जनवरी	1976	1,845	0.59
फरवरी	1976	5,504	0.74
मार्च	1976	7,085	0.72
1976–77			
अप्रैल	1976	5,797	0.61
मई	1976	10,002	0.67
जून	1976	9,134	0.86
जुलाई	1976	13,011	0.94
अगस्त	1976	7,713	0.87
सितम्बर	1976	11,481	0.77
अक्तूबर	1976	12,100	0.90
नवम्बर	1976	12,225	0.15
दिसम्बर	1976	10,262	1.00
जनवरी	1977	9,705	1.27
फरवरी	1977	8,562	1.12
मार्च	1977	6,765	0.80
अप्रैल	1977	1,772(*)	1.18
मई	1977	1,520(*)	0.50
जून	1977	6,395	0.61

*कार्यक्रम के अनुसार इन महीनों में मिट्टी हटाने पर जोर दिया गया।

पैरिस सम्मेलन

3525. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकसित तथा विकासशील देशों के बीच के अन्तर को कम करने की दिशा में हाल में हुए पैरिस सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले ।

(ख) क्या सरकार को आर्थिक सहायता में वृद्धि करने के बारे में किसी देश से आश्वासन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए अपनी सरकारी विकास सहायता में उत्तरोत्तर और पर्याप्त" वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है । इससे विकासशील देशों में उत्पादन की दर बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए यद्यपि जब तक और ठोस कदम नहीं उठाए जाते विकसित और विकासशील देशों के बीच अन्तर बढ़ता ही रह सकता है । यह खेद का विषय है कि द्वितीय विकास दशाब्ध के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.7 प्रतिशत सरकारी विकास सहायता में देने का जो मामूली लक्ष्य स्थिर किया गया था, कुछ बड़े-बड़े औद्योगीकृत देशों द्वारा वह भी स्वीकार नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) चूंकि पैरिस सम्मेलन विकसित और विकासशील देशों के सम्बन्धों पर वार्त्ता के लिए एक बहुपक्षीय मंच था इसलिए भारत को आर्थिक सहायता देने की मात्रा के विषय में किसी द्विपक्षीय आश्वासन का प्रश्न नहीं उठा ।

पारपत्र कार्यालय

3526. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कहां कहां पारपत्र कार्यालय चल रहे हैं और इनके क्षेत्राधिकार क्या हैं ।

(ख) क्या वर्तमान कार्यालय आवेदनपत्रों की बढ़ती हुई संख्या को निपटाने के लिए पर्याप्त हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कार्यकरण में सुधार करने और आवेदकों को सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क)

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का स्थान	कार्यक्षेत्र
1. अहमदाबाद	गुजरात और संघ क्षेत्र दादरा तथा नागरहवेली ।
2. बम्बई	महाराष्ट्र ।

3. चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र चंदीगढ़ ।
4. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणीपुर, त्रिपुरा और मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश के संघ क्षेत्र ।
5. दिल्ली	जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान और दिल्ली का संघ क्षेत्र ।
6. एरनाकुलम	केरल और लक्ष द्वीप का संघ क्षेत्र ।
7. हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश ।
8. लखनऊ	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ।
9. मद्रास	तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी संघ क्षेत्र ।

जहां तक अंडमान और निकोबरा द्वीप समूह और गोआ दमन और दीव के संघ क्षेत्र का प्रश्न है वहां स्थित संघ प्रदेश प्रशासनों को पासपोर्ट जारी करने के अधिकार हैं ।

(ख) जी, हां, विभिन्न कार्यालयों की क्षमता की इन दिनों समीक्षा की जा रही है जिसमें आवेदन आने की गति में वृद्धि को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ग) और (घ) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन जो नियम बनाये गये थे उनकी समीक्षा की जा रही है जिसका उद्देश्य कार्य पद्धति को सरल बनाना है जिससे कि आवेदन देने और पासपोर्ट जारी करने के बीच समय कम लगे । कार्यालय पद्धति को मानकीकृत करने तथा कार्यालयों में काम के ढंग को बेहतर करने के लिए उपाय बरते जा रहे हैं जिससे कि पासपोर्ट जारी करने में आवेदनों की जांच में भी कम समय लगे ।

दिल्ली की महिला टेलीफोन आपरेटरों के लिए परिवहन तथा आवास सुविधायों की व्यवस्था

3528. **श्री वयालार रवि :**
श्री के० कुन्हम्बू :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली की महिला टेलीफोन आपरेटरों को परिवहन तथा आवास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :(क) और (ख) : अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह डाक-तार कर्मचारी भी दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ये सुविधायें पर्याप्त हैं। कर्मचारियों की सहूलियत के अनुसार बस के मार्गों और उनकी समय सारणियों को समायोजित करने के लिए स्थायीय टेलीफोन प्राधिकारी दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखते हैं ।

आवास की समस्या दिल्ली के टेलीफोन आपरेटरों के लिए ही कोई खास नहीं है, अपितु दिल्ली और पूरे देश के अन्य कर्मचारियों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सारे देश में 6.23 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर उपलब्ध हैं। दिल्ली टेलीफोन जिले के कुल कर्मचारियों में से 10.80 प्रतिशत कर्मचारियों को कवार्टर मिले हुए हैं, जबकि टाइप II क्वार्टरों के हकदार 11.4 % कर्मचारियों को क्वार्टर प्राप्त हैं। टेलीफोन आपरेटरों को टाइप–II श्रेणी में रखा गया है। विभाग दिल्ली में 266 क्वार्टरों का निर्माण कर रहा है। पूंजीगत साधन उपलब्ध होने पर और क्वार्टरों के निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यवाही शुरु की जायेगी।

कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना

3529. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा कि :

(क) कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के बारे में ईरान के साथ हुए समझौते के अनुसार कार्य की पूर्ति समयबाधित दो चरणों में विभक्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) समझौते के अनुसार प्रत्येक चरण पूरा होने पर ईरान द्वारा ऋण की कितनी राशि दी जाएगी इस बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : क से ग ईरान की शाही सरकार के साथ किए गए वित्तीय समझौते में इस बात की व्यवस्था है कि ईरान सरकार कुद्रेमुख लौह अयस्क प्रायोजना तथा इससे सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुल 63 करोड़ अमरीकी डालर तक का ऋण देगी। यह समझौता 4–11–1975 को हुए क्रय समझौते के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें नेशनल ईरानियन स्टील इंडस्ट्रीज कम्पनी को सितम्बर, 1980 से आरम्भ करके लगभग 21 वर्षों में लगभग 15 करोड़ टन लौह अयस्क सांद्रण के उत्पादन और सुपुर्दगी की व्यवस्था है। इस समझौते के अन्तर्गत 2.3 फरवरी, 1976 को पेशगी के रुप में 10 करोड़ डालर मिले थे। वित्तीय समझौते के अन्तर्गत ऋण का और भुगतान प्रायोजना पर किये गये वास्तविक खर्च के अनुसार किया जाएगा नाकि किसी कार्य के विशेष चरण की पूर्ति पर अगला भुगतान दस करोड़ डालर के उपर्युक्त पेशगी भुगतान में से 7.5 करोड़ डालर खर्च हो जाने के पश्चात् ही मिल सकेगा।

खेतड़ी तांबा प्रदावक (स्मैल्टर) की क्षमता

3530. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा प्रदायक की क्षमता का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण है ;

(ख) तांबा अयस्क की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी हैं तथा इसकी वास्तविक उपलब्धता कितनी है ; और

(ग) पहले से ही पर्याप्त मात्रा में तांबा अयस्क सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं और आवश्यक मात्रा तक सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) खेतड़ी प्रद्रावक की क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण तांबा अयस्क की कम पूर्ति तथा प्रद्रावक में प्रोद्यौगिकीय समस्याओं का होता है जिसकी वजह से इसके परिचालन कार्य अभी तक नियमित नहीं हो सके हैं ।

(ख) इस सन्यंत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए रोजाना आंशत 9600 टन अयस्क चाहिए । 1976–77 में तांबा अयस्क की औसत दैनिक उपलब्धि लगभग 3800 टन थी, इसके 1977–78 में बढ़कर 4500 टन तक होने की आशा है ।

(ग) उत्पादन-निर्माण की दर प्रारम्भ में कल्पित दर से कम रही जो मुख्यतः भूमिगत धातु खनन कार्यों के कठोर चट्टानें होने के कारण थी । हिन्दुस्तान कापर लि० ने खनन कार्यों की गति तेज करने के लिए अनेक उपाय किये हैं । उपायों में पृथक खान प्रवेश व्यवस्था, मार्ग रहित खेनन कार्यों की शुरुआत, कम्पनी के खनन इंजीयनयिरों का विदेशों में समान खनन कार्यों में प्रशिक्षण तथा कनाडाई अन्तराष्ट्रीय विकास एजेंसी खनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रवासी विशेषज्ञों की सहायता से खानों में खनिकों और परिचालकों का प्रशिक्षण शामिल है । हिन्दुस्तान कापर लि० में अपनी खनन योजना में सहायता के लिए तथा परियोजना में अयस्क उत्पादन की वर्तमान दर को बढ़ाने के लिए एक विख्यात खनन परामर्शदाता फर्म को भी काम पर लगाया है । इन उपायों के फलस्वरुप खेतड़ी तांम्र परियोजना में अयस्क का उत्पादन में पिछले 4 वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

1973–74	3,22,671 टन
1974–75	6,13,539 टन
1975–76	7,75,393 टन
1976–77	10,51,569 टन
1977–78 (लक्ष्य)	12,00,000 टन

कम्पनी ने 1,50,000 टन अयस्क के वार्षिक उत्पादन हेतु कम्पनी खेतड़ी ताम्र परियोजना के निकट स्थित चांदमारी ताम्र खान का विकास भी किया है । इस खान की क्षमता बढ़ाकर 3,00,000 टन वार्षिक की जा रही है । इसके अतिरिक्त, दरीवा ताम्र परियोजना में तांबा सान्द्रों का उत्पादन किया जा रहा है जिसकी अयस्क पेषण की दैनिक क्षमता 100 टन है और जो खेतड़ी प्रदायक के लिए सांद्रों की पूर्ति करती है । परन्तु खेतड़ी प्रदावक में पूर्ण क्षमता से उत्पादन मालंजखड ताम्र खान तथा सान्द्रण संयंत्र में उत्पादन शुरु होने पर ही किए जाने की आशा है । वर्ष के दौरान इस परियोजना पर काम शुरु हो गया है और आशा है कि अब से $4\frac{1}{2}$ वर्षों में 10 लाख टन अयस्क का वार्षिक उत्पादन होने लगेगा ।

प्रद्रावक की सस्मयाओं के हल के लिए कम्पनी एक प्रसिद्ध विदेशी धातुकर्म सलाहकार फर्म की सेवाएं प्राप्त करने का प्रबन्ध कर रही है ।

कुष्ठ रोगियों का बम्बई से गुजरात में जाना

3531. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग से पीड़ित अधिकांश भिखारी बम्बई से गुजरात चले गए हैं;

(ख) क्या उन्हें बसाया जा रहा है; और

(ग) उस राज्य के नागरिकों को इस बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए सरकार नें क्या कदम उठाये हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : यह प्रश्न नहीं उठता । फिर भी इस राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोगी उपाय करने के लिए देहाती इलाकों में 8 कुष्ठ नियंत्रण एकक, 260 सर्वेक्षण शिक्षण और उपचार केन्द्र, नगरीय क्षेत्रों में 16 नगर कुष्ठ केन्द्र, रोगियों की विरुपता ठीक करनें के लिए दो पुनर्रचनात्मक सर्जरी एकक, कुष्ठ से विकट रूप से और जटिल रूप से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए दो अस्थाई चिकित्सालयवास वाले वार्ड, और पूरा चिकित्सा कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त दो सरकारी और 3 स्वैच्छिक कुष्ठ अस्पताल हैं जिनमें 745 पलंग हैं । पांच स्वैच्छिक संगठन भी कुष्ठ नियंत्रण के काम में भाग ले रहे हैं । कुष्ठ के अनुमानित सभी 25,000 रोगियों का पता लगाया जा चुका है और उन्हें इलाज के लिए रजिस्टर कर लिया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-तार और टेलीफोन कार्यालय खोलना

3533. **श्री समर गुह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977–78 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाक-तार घर और टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित उक्त डाक-तार घर और टलीफोन केन्द्रों के राज्यवार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1977–78 के दौरान देहाती इलाकों में 3100 डाकघर और देश में अधिकांश ग्रामीण क्षत्रों में 2300 तारघर और 2000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) डाकघरों के तथा तारघरों सार्वजनिक टलीफोन घरों के राज्यवार आंकड़े क्रमश : अनुबंध 'क' और 'ख' में दिए गए हैं (ग्रन्थालय में रख गए देखिए संख्या एल० टी०—705'77).

मैडिकल डिग्रियों की जांच

3534. श्री धर्मसिंह भाई पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अप्रैल, 1976 को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की केन्द्रीय परिषद की संयुक्त बैठक में इंडियन मेडिसिन सैण्ट्रल कौंसिल एक्ट की अनुसूचियों में शामिल डिग्रियों की जांच की जाने की सिफारिश की गई थी जिससे कम से कम चार वर्ष का संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त अर्हता वाले व्यक्तियों को मान्यता मिल जायेगी और वह अधिनियम के अंतर्गत विशेषाधिकारों के पात्र हो जायेंगे और निम्नस्तर की देशीय चिकित्सा पद्धति की प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता हटा ली जाएगी;

(ख) क्या इंडियन मेडिसिन "सैंट्रल कौंसिल एक्ट" द्वारा की जाने वाली जांच मात्र दिखावा हैं और भारतीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ द्वारा बिना किसी नियमित प्रशिक्षण के दी गई अर्हता को मान्यता दी जा रही है; और

(ग) सरकार का इन निम्नस्तर की अर्हताएं देने वाली शिक्षा की व्यापारिक संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां । 17 अप्रैल, 1970 को हुई अपनी संयुक्त स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रीय परिषदों की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया कि सरकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित उपाधियों आदि की जांच करने के लिए निदेश दे ताकि इसके बाद ऐसी अर्हता रखने वाले ही, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त आयुर्वेदिक कालेजों आदि में कम से कम चार वर्ष की अवधि का शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, इस अधिनियम में दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों के पात्र हो सकें ।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने 1977-78 के शैक्षिक वर्ष से लागू किए जाने वाले भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातकपूर्व शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को अधिसूचित कर दिया है । जो संस्थाएं इस न्यूनतम स्तर को बनाए नहीं रखेंगी, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में निर्धारित प्रणाली के अनुसार उनकी मान्यता वापिस ले ली जायेगी । परिषद पहले से ही इस समय मान्यताप्राप्त अर्हताओं, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त अर्हतायें भी सम्मिलित हैं, की पूर्ण रूप से जांच कर रही है ।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में खटमलों का बाधक होना

3535. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सूचना दी है कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता में खटमल बाधक हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि यद्यपि खटमलों का मलेरिया फैलाने से कोई सीधा संबंध नहीं है तथापि वे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता में बाधा बने हुए हैं, क्योंकि लोग यह समझकर कि डी० डी० टी० के कारण खटमलों का प्रकोप बढ़ता है, अपने घरों में डी० डी० टी० का छिड़काव कारवाने से इन्कार करते हैं ।

(ख) मलेरिया के साथ-साथ खटमलों के प्रकोप का मुकाबला करने के उद्देश्य से डी० डी० टी० में छिड़काव से पहले डायजिनान मिला लिया जाता है

देश के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

3536. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक कुल कितने डाकघर चल रहे हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में किसी गांव से डाकघरों की अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी कितनी है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में सामान्यतया पत्र कितने अधिकतम और न्यूनतम दिनों में पहुंचता है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा): (क) भारत में 1-4-1977 को शहरी इलाकों में 12508 और देहाती इलाकों में 108491 डाकघर थे ।

(ख) आमतौर पर देहाती इलाकों में डाकघर एक दूसरे से 2 से 3 मील की दूरी पर खोले जाते है ; तथापि पहाड़ी इलाकों में जहां परिवहन के साधनों की कठिनाई होती है, डाकघर काफी दूर हैं । देहाती इलाकों में जिन गांवों में डाकघर नहीं है उनकी डाकघरों से अधिक से अधिक और कम से कम दूरी क्रमश: 188 किलोमीटर और 200 मीटर है ।

(ग) सामान्य मामलों में पत्र के पहुंचने में 1 से 5 दिन तक लग जाते हैं जो उस पत्र के डाक में डालने के स्थान और उसके गन्तव्य स्थान पर निर्भर करता है । तथापि पहाड़ी इलाकों/जंगलों/रेगिस्तानों के गांवों के मामले में, पत्रों के गन्तव्य स्थानों पर पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता है जोकि पत्र के डाक में डालने के स्थान और उस गांव की स्थिति पर निर्भर करता है जिसके पते पर पत्र भेजा गया है ।

नसबंदी किए हुए व्यक्तियों की नसों का पुन: जोड़ा जाना

3537. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री नसबंदी के असफल आपरेशनों के मामलों में नसों के पुन: जोड़े जाने के बारे में 16 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में गत तीन महीनों के दौरान कितने व्यक्तियों की नसों को पुन: जोड़ा गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : यह सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खानों में सुरक्षा के लिये उपाय

3538. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खानों में सुरक्षा उपाय और बचाव कार्य तेज करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस वर्ष इस बारे में किन-किन मुख्य प्रस्तावों पर विचार किया ;

(ग) क्या खानों में विस्फोट के लिये दिये जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया गया है;

(घ) क्या खान अधिनियम अभी तक सख्ती से लागू नहीं किया गया है ; और

(ङ) सरकार द्वारा खानों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ङ) : विवरण संलग्न है ।

(ग) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खण्ड (ञ) में यथापरिभाषित किसी भी खान में किसी भी खनन कार्य या लिपिकीय कार्य को छोड़कर किसी खनन कार्य के अनुषंगी या किसी खनन कार्य या निकाली जाने वाली धातु से संबंधित किसी प्रकार के कार्य या भूमि के नीचे किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित व्यक्ति जो प्रतिमाह 1000 रुपये से अनधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, औद्योगिक दुर्घटना और कतिपय ऐसी व्यावसायिक बीमारियों की सूरत में, जिनका परिणाम मृत्यु या अशक्तता हो, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन प्रतिकर प्राप्त करने के पात्र हैं । 1-10-1975 से अधिनियम के अधीन प्रतिकर की दरें बढ़ा दी गई हैं ।

(घ) खान अधिनियम, 1952 को यथासम्भव कड़ाई से लागू किया जा रहा है ।

विवरण

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है :

(1) आंतरिक सुरक्षा संगठनों का गठन और उनका प्रभाव पूर्ण कार्य ।

(2) जो कोयला खानें जलमग्न हैं और/या जिनमें आग है, उनमें सुरक्षा उपायों का पुनरीक्षण करना ।

(3) भूमि के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल है —

(क) राज्य वन निगमों से और अधिक लकड़ी की खरीद ।

(ख) जहां कहीं संभव हो लकड़ी के अवलंब को स्टील फ्रिक्शन हाईड्रोलिक प्रापस् और अन्य प्रकार के उच्च किस्म के अवलंबों से प्रतिस्थापित करना ।

(ग) कोयला काटने वाली मशीनों का अधिक उपयोग करना ।

(4) गैस से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं —

(क) डिग्री III और II वाली गैस पूर्ण खानों में पर्याप्त संख्या में से मीटरों की व्यवस्था करना ।

(ख) डिग्री III वाली गैस पूर्ण खानों में आत्मरक्षक उपकरणों की व्यवस्था करना ।

(ग) डिग्री III वाली गैस पूर्ण खानों में वैकल्पिक पावर सप्लाई की व्यवस्था करना ।

(घ) पर्याप्त संख्या में फ्लेम सेफ्टी लैम्पों की व्यवस्था करना ।

(5) हालेज दुर्घटनाओं को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं —

(क) लाइटर सेयान रेलों को हैविचर सेक्शन रेलों से प्रतिस्थापित करना ।

(ख) हालेज सड़कों पर उचित रोशनी की व्यवस्था करना तथा टबों पर लाल बती/हूटर/चमकीले पेंट लगाना ताकि यह पता चले कि हालेज कार्य प्रगति पर है ।

(6) पानी से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल है :—

(क) नदियों, नालों आदि के किनारे खतरे की चेतावनी देने वाले स्वचालित उपकरण लगाना ताकि समीप की कोयला खानों के पानी के तल के खतरे के निशान से ऊपर जाने के सम्बन्ध में सतर्क कर दिया जाए ।

(ख) पर्याप्त संख्या में बर्नसाइड बोरिंग उपकरणों की व्यवस्था करना ।

(7) कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(क) श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण देना ताकि वे दुर्घटनाओं को घटा सकें ।

(ख) टेप रिकार्डों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी अनुदेशों को ब्रोड कास्ट करना ।

(ग) पात्र श्रमिकों के लिए कैप लैम्प, हैल्मटों और बूटों की व्यवस्था करना ।

(घ) ओवरमैन के प्रमाण पत्र धारण करने वाले श्रमिकों को "श्रमिक निरीक्षकों" के रूप में नियुक्त करना ।

(ङ) पिट सुरक्षा समितियां गठित करना ।

(च) माइनिंग सरदार, ओवरमैनों और सर्वेक्षकों की श्रेणियों में श्रमिकों की त्रुटियों को प्रशिक्षण द्वारा पूरा करना ।

(छ) भूमि के नीचे जहां लम्बी दूरी तय करनी अन्तर्ग्रस्त हो वहां भूमिगत परिवहन की व्यवस्था करना ।

(ज) अधिकारियों की भावी उन्नति के अवसरों को सुरक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य से जोड़ना ।

(8) लोंगवाल और ओपनकास्ट खनन को अधिक महत्व देना ।

(9) स्टोविंग कार्य को बढ़ाना ।

(10) खानों में इलेक्ट्रोनिक उपस्करों का प्रयोग करना ।

उसी प्रकार, आशा है कि सम्मेलन के विचार विमर्शों को ध्यान में रखते हुए कोयला खानों से भिन्न खानों के संबंधित प्रबन्धकों ने भी खानों में सुरक्षा की स्थितियों को सुधारने के लिए उपाय किए होंगे ।

ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए, यह निर्णय किया गया है कि खान सुरक्षा सम्बन्धी तीसरे सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में स्थापित की गई समिति को पुनर्गठित किया जाए । यह समिति न केवल विभिन्न सुरक्षा सम्मेलनों के निर्णयों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करेगी, बल्कि ये ऐसे अन्य सम्मेलनों जिनका खानों में सुरक्षा से सम्बन्ध हो, की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की प्रगति तथा खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अधीन गठित किए गए जांच न्यायालयों की प्रकाशित रिपोर्ट में वर्णित सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की पुनरीक्षा भी करेगी । इस समिति को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें श्रमिकों तथा प्रबन्धकों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

3. जहां तक बचाव कार्यों का संबंध है, वर्तमान बचाव केन्द्रों के आधुनिकीकरण तथा नए बचाव केन्द्र खोलने संबंधी एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है ।

बोनस को आस्थगित मजूरी के रूप में मान्यता देना

3539. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोनस को आस्थगित मजूरी के रूप में मान्यता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका सार क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) बोनस के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आशा है ।

टेलीविजन की लाइसेंस फीस बढ़ाना

3540. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान टेलीविजन लाइसेंस फीस 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या लाइसेंस फीस में कमी करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा): (क) जी हां । ता० 1–6–76 से टेलीविजन लाइसेंस का शुल्क 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया था ।

(ख) रेडियो सेट के लाइसेंस शुल्क की तुलना में टेलीविजन सेट का लाइसेंस शुल्क अनुपात में कम था । इस असंगति को दूर करने के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की गई थी ।

(ग) लाइसेंस शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बन्द किया जाना

3541. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 25 जून, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि में कितने (1) बड़े (2) मध्यम और (3) लघु औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बन्द किया गया ;

(ख) इन प्रतिष्ठानों को बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप कुल कितने श्रमिकों की जबरन छुट्टी की गई, छंटनी की गई;

(ग) इन्हें बन्द करने के क्या क्या कारण थे ;

(घ) आज तक कितने लघु, मध्यम और बड़े प्रतिष्ठान पुनः खोल दिये गये हैं; और

(ङ) इन सभी प्रतिष्ठानों को पुनः खुलवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

अहमदबाद टेलीफोन सलाहकार समिति

3542. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद टेलीफोन सलाहकार समिति कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो समिति कब पुनर्गठित की जायेगी तथा कब यह पुनः अपना कार्य आरम्भ कर देगी ; और

(घ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) अहमदाबाद टेलीफोन सलाहकार समिति की अवधि 31-5-76 को समाप्त हुई थी । टेलीफोन सलाहकार समितियों के गठन के बारे में हाल ही में कुछ संशोधन किये गये हैं और नामांकन मांगे गये हैं ।

अमरीका और ब्रिटेन में राजनयिक नियुक्तियां

3543. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाशिंगटन तथा लन्दन में शीघ्र ही सर्वोच्च पदों पर नई राजनयिक नियुक्तियां करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य संभावनायें क्या है;

(ग) क्या अमरीका में वर्तमान भारतीय राजदूत और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त ने अपने-अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है या उन्हें ये पद छोड़ने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) किसी मिशन प्रमुख को बदल दिया जाये अथवा उसे काम करते रहने दिया जाये, इस बारे में विचार करते समय सरकार को अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार की नियुक्तियों के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। सामान्य राजनयिक प्रथा के अनुसार, जब कभी ऐसे किसी परिवर्तन के लिए प्रस्ताव रखा जाता है तो उसकी सार्वजनिक घोषणा करने से पहले संबद्ध देशों की सरकारों से स्वीकृति लेनी होती है।

(ग) और (घ) सरकार को यह अधिकार है कि वह जब कभी आवश्यक समझे परिवर्तन कर दे।

मेडिकल कालेजों द्वारा छात्रों से चन्दा वसूल किया जाना

3544. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी मेडिकल कालेज प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों से 'जबरन निधि' अथवा चन्दे के रूप में बहुत बड़ी-बड़ी धन-राशियां वसूल करते हैं जो कि निर्धारित "कंपीटेशन फीस" से भी बहुत ही अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान कर्नाटक में कुछ ऐसे मेडिकल कालेजों की ओर दिलाया गया है जो ऐसी कुप्रथाएं चला रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) राज्य सरकार के किसी मेडिकल कालेज द्वारा जबरन निधि अथवा चन्दे के रूप में अत्यधिक धनराशि वसूल करने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सरकारी मेडिकल कालेज, सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया शिक्षा शुल्क वसूल करते हैं। गैर-सरकारी मेडिकल कालेज सरकारी मेडिकल कालेजों की अपेक्षा बहुत ज्यादा शिक्षा शुल्क वसूल करते हैं। कुछेक गैर-सरकारी मेडिकल कालेज में प्रवेश देने के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क/चन्दा वसूल कर रहे हैं जिसकी दर एक कालेज से दूसरे कालेज में एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न हैं। जो मेडिकल कालेज दाखिला देने के लिए छात्रों से प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करते है, उनके नाम इस प्रकार है :—

1. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल, मंगलौर।
2. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनगेरे।
3. एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्ग।
4. जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव।

कर्नाटक में मेडिकल कालेज कर्नाटक राज्य के छात्रों से 5,000 रुपये और अन्य राज्यों के छात्रों से 35,000 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करते हैं।

बिहार के जो निम्नलिखित मेडिकल कालेज प्रति व्यक्ति शुल्क ले रहे थे उन्हें सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है :--

1. एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, जमशेदपुर।
2. श्री कृष्ण मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर।
3. मगध मेडिकल कालेज, गया।
4. पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद।
5. नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना।

(ग) भारत सरकार को इस बारे में बहुत चिन्ता है कि कुछेक गैर-सरकारी मेडिकल कालेज बहुत अधिक प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करते हैं और उससे सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस बात पर जोर दिया है कि वे इन मेडिकल कालेजों के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लें।

(घ) और (ङ). भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में कुछ गैर-सरकारी मेडिकल कालेज प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल कर रहे हैं। ऐसे मेडिकल कालेजों को अपने हाथ में लेना राज्य सरकार का काम है।

बीमाशुदा पार्सलों से वस्तुओं की चोरी

3545. श्री शिव सम्पति राम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जाच की है जिनमें मई, 1977 के महीने में मार्कीट रोड डाकघर, नई दिल्ली में बीमा-शुदा पार्सलों में से वस्तुओं की चोरी हो गई थी;

(ख) इस मामले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम तथा अन्य विवरण क्या हैं और उनसे कितने मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, बीमाशुदा पार्सलों से चोरी की गई सम्पत्ति के कारण किये गये दावों के लिये सरकार ने कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया है; और

(घ) बीमाशुदा पार्सलों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस ने दो बाहरी व्यक्तियों को हिरासत में लिया है :

(1) श्री ओम प्रकाश, निवासी, गांव खेड़ाखुर्द, दिल्ली राज्य; और

(2) श्री वेद पाल, निवासी, गांव नया बांस, दिल्ली राज्य।

इन दो व्यक्तियों के पास से करीब 34,000 रुपये मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई है।

(ग) दिल्ली डाकसर्किल में बीमा पार्सलों के संबंध में किये गये दावों पर सरकार ने मुआवजे की जो रकम अदा की है उसका उल्लेख नीचे किया गया है :--

1974–75 .	13,953.00 रुपये
1975-76 .	33,966.61 रुपये
1976–77 . . .	52,529.40 रुपये

(घ) मार्केट रोड डाकघर में रात के चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी गई है। भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो, इससे बचने के लिए समूची इमारत की खिड़कियों, रोशनदानों और दरवाजों पर लोहे का जंगला लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यूरोपियन कमीशन इंचार्ज आफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वाईस प्रेसीडेंट का दौरा

3546. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युरोपियन कमीशन इंचार्ज आफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स के वाईस प्रेसीडेन्ट ने भारत सरकार के निमंत्रण पर इस वर्ष मई में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इस माननीय अतिथि के साथ आये लोगों के नाम क्या है; और

(घ) क्या सरकार तथा दौरा करने वाले इस दल के बीच परस्पर रुचि और लाभ के एक या अधिक विषयों पर कोई ठोस बात-चीत हुई थी तथा कोई करार हुए थे ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) श्री हेफरकेम्प 14 मई से 17 मई तक भारत में थे और एशियाई देशों में हमारा ही देश प्रथम था जिसकी उन्होंने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष एवं विदेश कार्य प्रभारी के रूप में कार्यभार सम्भालने के बाद यात्रा की थी।

(ग) श्री हेफरकेम्प के साथ उनके मंत्रिमंडल के अध्यक्ष श्री फ्रेंज फ़रोसशमेयार, एशिया निदेशालय के प्रभागाध्यक्ष श्री जान हेनसन, कमीशन के प्रवक्ता-दल के सदस्य श्री मार्टिन वासे और दुभाषिया श्री डेविड रीनर्ट भी आये थे।

(घ) श्री हेफरकेम्प अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री से मिले तथा उन्होंने विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, संचार मंत्री और इस्पात एवं खान मंत्री से बातचीत की। भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए तथा पैरिस में हो रही उत्तर-दक्षिण वार्ता के विषय में उपयोगी विचार-विमर्श हुआ।

श्री हेफरकेम्प कोई समझौता सम्पन्न करने भारत नहीं आये थे बल्कि वह तो नई सरकार के सदस्यों से मिलने और भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच परस्पर हित के मामलों के प्रति हमारे रवैये को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिये आये थे।

खनिकों की सुरक्षा के लिये खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षक द्वारा दौरा

3547. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **संसदीय** कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि खानों में दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण यह है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षक भीतरी भागों में जाकर खानों का दौरा नहीं करते; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और खनिकों की अधिकाधिक सुरक्षा के लिये इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) निरीक्षणों की कमी को दुर्घटनाओं का मुख्य कारण नहीं समझा गया है।

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें खनिकों की सुरक्षा में सुधार करने हेतु किये गये उपाय या किये जाने वाले प्रस्तावित उपाय निर्दिष्ट किये गये है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं या किये जाने का प्रस्ताव है :--

(1) आंतरिक सुरक्षा संगठनों का गठन और उनका प्रभावपूर्ण कार्य ।

(2) जो कोयला खानें जलमग्न हैं और/या जिनमें आग है, उनमें सुरक्षा उपायों का पुनरीक्षण करना।

(3) भूमि के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल है :

(क) राज्य वन निगमों से और अधिक लकड़ी की खरीद।

(ख) जहां कहीं संभव हो लकड़ी के अवलंब को स्टील प्रिक्शन हाइड्रोलिक प्रापसू और अन्य प्रकार के उच्च किस्म के अवलंबों से प्रतिस्थापित करना।

(ग) कोयला काटने वाली मशीनों का अधिक उपयोग करना।

(4) गैस से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल है :--

(क) डिग्री iii और ii वाली गैस पूर्ण खानों में पर्याप्त संख्या में मेथनोमीटरों की व्यवस्था करना।

(ख) डिग्री iii वाली गैस-पूर्ण खानों में आत्मरक्षक उपकरणों की व्यवस्था करना।

(ग) डिग्री iii वाली गैस-पूर्ण खानों में वैकल्पिक पावर सप्लाई की व्यवस्था करना।

(घ) पर्याप्त संख्या में फ्लेम सेफ्टी लम्पों की व्यवस्था करना।

(5) होलेज दुर्घटनाओं को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जिनमें निम्नलिखित शामिल है :--

(क) लाइटर सेक्शन रेलों को हेविचर सेक्शन रेलों से प्रतिस्थापित करना।

(ख) हालेज सड़कों पर उचित रोशनी की व्यवस्था करना तथा टबों पर लाल बत्ती/हूटर/चमकीले पेंट लगाना ताकि यह पता चले कि हालेज कार्य प्रगति पर है।

(6) पानी से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :--

(क) नदियों, नालों आदि के किनारे खतरे की चेतावनी देने वाले स्वचलित उपकरण लगाना ताकि समीप की कोयला खानों के पानी के तल के खतरे को निशान से ऊपर जाने के सम्बन्ध में सतर्क कर दिया जाए।

(ख) पर्याप्त संख्या में बर्मासाइड बोरिंग उपकरणों की व्यवस्था करना ।

(7) कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(क) श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण देना ताकि वे दुर्घटनाओं को घटा सकें ।

(ख) टेप रिकार्डों के माध्यम से सुरक्षा सम्बन्धी अनुदेशों को ब्राडकास्ट करना ।

(ग) पात्र श्रमिकों के लिए कैप लैम्प, हैल्मेटों और बूटों की व्यवस्था करना ।

(घ) ओवरमैन के प्रमाण-पत्र धारण करने वाले श्रमिकों को "श्रमिक निरीक्षकों" के रूप में नियुक्त करना ।

(ङ) पिट सुरक्षा समितियां गठित करना ।

(च) माइनिंग सरदार, ओवरमैनों और सर्वेक्षकों की श्रेणियों में श्रमिकों की त्रुटियों को प्रशिक्षण द्वारा पूरा करना ।

(छ) भूमि के नीचे जहां लम्बी दूरी तय करनी अन्तर्गग्रस्त हो वहां भूमिगत परिवहन की व्यवस्था करना ।

(ज) अधिकारियों की भावी उन्नति के अवसरों को सुरक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य से जोड़ना ।

(8) लोंगवाल और ओपनकास्ट खनन को अधिक महत्व देना ।

(9) स्टोविंग कार्य को बढ़ाना ।

(10) खानों में इलेक्ट्रोनिक उपस्करों का प्रयोग करना :

उसी प्रकार आशा है कि सम्मेलन के विचार विमर्शों को ध्यान में रखते हुए कोयला खानों से भिन्न खानों के सम्बंधित प्रबन्धकों ने भी खानों में सुरक्षा की स्थितियों को सुधारने के लिए उपाय किए होंगे ।

ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए, यह निर्णय किया गया है कि खान सुरक्षा सम्बन्धी तीसरे सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में स्थापित की गई समिति को पुनर्गठित किया जाए । यह समिति न केवल विभिन्न सुरक्षा सम्मेलनों के निर्णयों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करेगी बल्कि यह ऐसे अन्य सम्मेलनों, जिनका खानों में सुरक्षा से सम्बन्ध हो, की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की प्रगति तथा खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अधीन गठित किए गए जांच न्यायालयों की प्रकाशित रिपोर्ट में वर्णित सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की पुनरीक्षा भी करेगी । इस समिति को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें श्रमिकों तथा प्रबन्धकों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथिक औषधालय

3548. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कितने होम्योपैथिक औषधालय चल रहे हैं और वे कहां-कहां हैं ;

(ख) क्या होम्योपैथिक औषधालयों की इतनी संख्या पर्याप्त है और यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन और अधिक ऐसे औषधालय खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या होम्योपैथिक औषधालय एक स्वतंत्र एकक होता है, और यदि हां, तो होम्योपैथिक औषधालयों के डाक्टरों को एलोपैथिक औषधालयों के चिकित्सा अधिकारी के अधीन रखने के क्या विशिष्ट कारण हैं ; और

(घ) क्या होम्योपैथिक औषधालयों में ताकत की दवाओं तथा आम कमजोरी के उपचारार्थ अन्य दवाओं की कमी है; और यदि हां, तो इन दवाओं की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ग). इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 14 होम्योपैथिक औषधालय/यूनिट कार्य कर रहे हैं (दिल्ली में 4 औषधालय, मेरठ, इलाहाबाद कानपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, कलकत्ता, मद्रास, पटना तथा बम्बई में एक-एक औषधालय) दिल्ली में और होम्योपैथिक औषधालय खोलने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । अन्य जिन शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चल रही है उनमें और होम्योपैथिक औषधालय खोलने के मामले का निर्णय इन कार्यरत औषधालयों में एक वर्ष की अवधि के दौरान रोगियों की दैनिक औसत उपस्थिति को देखने के बाद किया जाएगा ।

जहां तक होम्योपैथिक विषय का सम्बन्ध है, होम्योपैथिक फिजीशियन्स एलोपैथी के चिकित्सा अधिकारियों के अधीन नहीं हैं । तथापि, पूरे एलोपैथिक औषधालय तथा होम्योपैथिक यूनिट का प्रशासनिक नियंत्रण औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अधीन होता है ।

(घ) जी नहीं ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की संख्या में वृद्धि

3549. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक औषधालय में रोगियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सरकार इनकी संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त औषधाल कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और वे सम्भवत: कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) नए औषधालय कहां कहां और किस किस तारीख को खोले जायेंगे यह उपयुक्त जगह के मिलने पर निर्भर करता है ।

गोल मार्किट स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय का विस्तार

3550. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र में बड़ी संख्या में बहुमंजिले फ्लैटों के बन जाने के फलस्वरूप सरकार का विचार इस क्षेत्र के औषधालय का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण् मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, पालघाट स्थित इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज के उत्पादन में वृद्धि

3551. **श्री वी० एम० सुधीरन्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज पालघाट स्थित इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का पालघाट स्थित कारखाना, इलेक्ट्रोनिक्स किस्म के छोटे टेलीफोन एक्सचेंज तैयार करने के लिए लग रहा है । क्योंकि इस तरह के टेलीफोन एक्सचेंजों के डिजाइन और विकास का कार्य, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने पहली बार किया है अत: पालघाट एकक का उत्पादन 1976–77 में ही शुरू हो सका है । वर्ष 1976–77 में हुए उत्पादन का मूल्य लगभग 20 लाख रुपये था । बजट अनुमानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1977–78 में यहां 250 लाख रुपयों के उपस्कर तैयार किए जाने की आशा की जाती है । अत: पालघाट के कारखाने में उत्पादन नहीं घटा है ।

लौह अयस्क के निक्षेप

3552. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क के विद्यमान निक्षेपों का समूचे रूप में अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके राज्यवार तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस समय लौह अयस्क की कितनी विद्यमान खानों में से और कितनी मात्रा में तथा किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है ; और

(घ) हमारे देश में प्रति वर्ष कितने लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां ।

(ख) देश में इस समय हेमेटाइट लौह अयस्क के कुल मिलाकर लगभग 10,447 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान है । इसके अलावा, देश में मैग्नेटाइट लौह अयस्क के इस समय लगभग

2,981 मिलियन टन भंडारों का अनुमान है । इन भंडारों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :— (मिलियन टनों में

राज्य	मेटाइट अयस्क	राज्य	मैगनेटाइट अयस्क
आंध्र प्रदेश	16	आंध्र प्रदेश	198
बिहार	3056	आसम	50
गोआ	396	बिहार	—
कर्नाटक	1448	हरियाणा	7
मध्य प्रदेश	2687	कर्नाटक	2132
महाराष्ट्र	231	केरल	83
उड़ीसा	2596	नागालैंड	9
राजस्थान	16	तमिलनाडु	502

(ग) गोआ क्षेत्र को छोड़कर भारत की सरकारीं और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की खानें लौह अयस्क खनिज व धातु व्यापार निगम को बेचती हैं जो इस अयस्क का एशिया में जापान, दक्षिणी कोरिया, ताईवान, पूर्वी यूरोप में रोमनियां, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मन जनवादी गणतंत्र, हंगरी, बल्गारिया और युगोस्लाविया पश्चिम यूरोप में फैडरल जर्मन गणतंत्र, नीदरलैंड और बेल्जियम तथा मध्य-पूर्व में ईरान को निर्यात करता है ।

वर्ष 1976–77 के दौरान खनिज व धातु व्यापार निगम ने 11.74 मिलयिन टन लौह अयस्क का निर्यात किया । गोआ क्षेत्र से उक्त अवधि में 17 गैर सरकारी खानों में 11 मिलियन टन लौह-अयस्क का निर्यात किया ।

(घ) वर्ष 1976–77 के दौरान देश में लगभग 16 मिलियन टन कच्चे लोहे की खपत हुई

तांबे की खानें

3553. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तांबे की कितनी खानें मुनाफा कमा रही हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या खेतड़ी, कर्नाटक और कोटा स्थित परियोजनाओं का विस्तार करने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) 1976–77 के वित्तीय परिणामों (अनन्तिम) के आधार पर हिन्दुस्तान कापर लि० की निम्नलिखित तांबा परियोजनाओं में लाभ प्राप्ति की आशा है :—

(लाख रुपयों में)

यूनिट का नाम	1976–77 में अनन्तिम लाभ
(1) हिन्दुस्तान कापर लि० के हिन्दुस्तान कापर कम्पलैक्स, सिंहभूम (बिहार)	1032.59
(2) हिन्दुस्तान कापर लि० की दरीबा ताम्र परियोजना (राजस्थान)	53.63
(3) हिन्दुस्तान कापर लि० की चांदमारी ताम्र परियोजना (राजस्थान)	15.50
(4) हिन्दुस्तान कापर लि० की राखा ताम्र परियोजना (बिहार)	11.45
(5) सिक्किम खनन निगम की रंगयों में भोटांग खान ने जिसमें सीसा और जस्ता सान्द्रों के साथ तांबा सान्द्रों का उत्पादन होता है. 1976–77 में 3000/-रु० का थोड़ा सा लाभ कमाया ।	

(ख) और (ग). (I) खेतड़ी—खेतड़ी में दो परियोजनाएं हैं खेतड़ी काघर कम्पलैक्स और चांदमारी ताम्र परियोजना । खेतड़ी कम्पलैक्स का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु सरकार ने जून 1976 में तय किया था कि 2.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चांदमारी परियोजना का विस्तार किया जाए ताकि 500 टन दैनिक उत्पादन को बढ़ाकर 1000 टन प्रतिदिन किया जा सके । विस्तार का काम चल रहा है ।

(2) कर्नाटक—कर्नाटक में इगंलदाल ताम्र परियोजना (चित्रदुर्ग कम्पनी लि०—कर्नाटक सरकार का प्रतिष्ठान) तथा थिनथिनी ताम्र परियोजना (हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लि०—कर्नाटक सरकार की कम्पनी) चलाई जा रही है । इस समय इन दो परियोजनाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कर्नाटक सरकार के प्रतिष्ठान कर्नाटक कन्सोर्टियम लि० की ताम्र परियोजना में समन्वेषी विकास चल रहा है । शुरु में प्रतिदिन 250 टन अयस्क के खनन और सान्द्रण का प्रस्ताव है जिसे 370 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 500 टन दैनिक अयस्क उत्पादन तक किया जाएगा । यह नई परियोजना है तथा राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है । परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध किया गया है ।

(3) कोटा—कोटा में कोई तांबा खान नहीं है ।

हिन्दुतान स्टील लिमिटेड द्वारा खराब उत्पादों की बिक्री

3554. **श्री के० लकप्पा :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दो केन्द्रों पर खराब उत्पादों की बिक्री से 34 लाख रुपयों की हानि की रिपोर्ट है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के एककों द्वारा इससे खरीदे गए इस्पात और लोहे के माल की बकाया रकम के भुगतान में असाधारण विलम्ब के बारे में चिन्तित है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्यों का संकेत हिन्दुस्तान स्टील लि० के गोहाटी और तिनसुखिया स्थित दो स्टाकयार्डों से बेची गई इस्पात सामग्री के बारे में 20 जून, 1977 को "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर है । स्टाक के अनावश्यक जमाव को रोकने के लिए पिछले छ: महीनों में, गोहाटी और तिनसुखिया के स्टाकयार्डों ने 5741 टन दोषयुक्त, पुरानी तथा स्लो मूविंग सामग्री बेची । इससे स्टाकयार्ड की सामान्य कीमतों की तुलना में 25.7 लाख रुपए कम वसूल हुए थे ।

(ग) और (घ). सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से ली जाने वाली रकमों की वसूली में कुछ विलम्ब है ? बकाया रकमों की शीघ्रता से वसूल करने के उपाय किये जा रहे है ।

अवरुद्ध किए गए पासपोर्टों का बहाल किया जाना

3555. **श्री के० लकप्पा :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछली सरकार द्वारा आपात स्थिति के दौरान अवरुद्ध किये गये पासपोर्टों को बहाल कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने पासपोर्टों को बहाल किया गया है और किन-किन शर्तों पर ;

(ग) वर्ष 1975 और 1976 के दौरान कुल कितने पासपोर्ट अवरुद्ध किये गये थे ; और

(घ) उन पासपोर्टों को अवरुद्ध करने के क्या कारण थे तथा उन्हें किस आधार पर अवरुद्ध किया गया था ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). ऐसे 256 व्यक्तियों को पासपोर्ट सुविधाएं बहाल कर दी गई है जिनके पासपोर्ट आपातकाल के दौरान अवरुद्ध कर दिये गए थे या

जिन्हें पासपोर्ट सुविधाएं अस्वीकृत कर दी गई थीं । ये पासपोर्टों बिना किसी शर्त के बहाल किये गए हैं ।

(ग) और (घ). आपातकाल की घोषणा के बाद, 1975 और 1976 में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(ग) या धारा (6)(2)(1) के अधीन जनहित में कुल मिलाकर 2023 व्यक्तियों के पासपोर्ट अवरुद्ध किये गए या उन्हें पासपोर्ट सुविधाए अस्वीकार की गई थीं ।

तार और टेलीफोन की सुविधाओं के बिना डाकघरों का चलना

3556. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तार और टेलीफोन की सुविधाओं के बिना कितने शाखा डाकघर चल रहे हैं ;

(ख) क्या इनमें से कुछ शाखाएं वर्षो से चल रही हैं ;

(ग) क्या इन शाखा डाकघरों, उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अगले दो वर्षो में इनमें से कितनी शाखाओं का दर्जा बढ़ाया जाना है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक लोगों पर प्रतिबंध

3557. **श्री व्यालार रवि** :
श्री वी० एम० सुधीरन् :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार पाने के लिये विदेशों में जाने के इच्छुक लोगों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या प्रतिबन्ध लगाये गये है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उत्प्रवास अधिनियम 1922 में कुशल एवम अकुशल श्रमिकों के विभिन्न वर्गों से सबधित व्यक्तियों के उत्प्रवासन को नियमित करने की व्यवस्था है । विदेशों में घरेलू काम की तलाश करने वाले भारतीय नागरिकों, सफाई का काम करने वालों, नाबालिग लड़के/लड़कियों को उत्प्रवासन की अनुमति नहीं है । सरकार द्वारा स्वीकृत एवम पंजीकृत भर्ती करने वाली केवल भारतीय एजेंसियों को विदेशों के नियोजकों के यहां रोजगार के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की भर्ती की अनुमति है ।

विदेशी निकायों में नौकरी के लिए विशेषज्ञों जैसे डाक्टर, इंजीनियर आदि की भर्ती कार्मिक एवम प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तयार की गई नामिका से की जाती है ।

(ख) इन प्रतिबन्धों का उद्देश्य विदेशों में शोषण को रोकना और नियोजन की न्यायोचित शर्तें हासिल करवाना है ।

(ग) ये प्रबन्ध इस तरह के हैं कि जिनसे, जहां तक सम्भव हो सके, नियोजन के प्रस्तावों और शर्तों का सत्यापन सुनिश्चित हो जाए जिससे कि विदेश जाने वाले लोगों के हितों की रक्षा हो सके ।

खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीय

3558. **श्री वयालार रवि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे भारतीयों की समस्याओं का कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का ब्यौरा तथा उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : भारत सरकार की यह नीति है कि विकासशील मित्र देशों से भारतीय विशेषज्ञों और ऐसे अन्य कार्मिकों की प्रतिनियुक्त के विषय में--जो उन देशों की अर्थ व्यवस्था के विकास में उनकी सहायता कर सकते हैं--जो भी अनुरोध आयें उन पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्ति की जाए, बशर्तेकि ये लोग उपलब्ध हों और हमारी अपनी जरूरतें भी पूरी होती रहें । इसी नीति के अनुरूप खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीय विशेषज्ञों और अन्य कार्मिकों की सख्या हाल के वर्षों में बढ़ती गयी है । उनकी समस्याओं पर निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है । मौटे तौर पर ये नियोजन की मुनासिब एवम न्यायोचित्त शर्तों और उनके सामान्य कल्याण से संबंधित है । सरकार इन समस्याओं को सबद्ध देशों की सरकारों के साथ घनिष्ठ और मंत्रीपूर्ण सहयोग से हल करने के लिये सभी संभव प्रयत्न कर रही है ।

अफ़्रीकी ऐशियायी देशों की तकनीकी तथा आर्थिक सहायता

3559. **श्री पी० राज गोपाल नायडू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अफ्रीकी ऐशियायी देशों को तकनीकी एवम आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ; और

(ख) उक्त सहायता पाने वाले देशों के नाम क्यय हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, हां ।

(ख) 1975 और 1976 में जिन देशों को तकनीकी एवम/अथवा आर्थिक सहायता प्रदान की गई, उनके नाम है :--

(1) अफगानिस्तान
(2) अंगोला
(3) वर्मा
(4) भूटान
(5) बंगलादेश
(6) बोत्स्वाना
(7) इथोपिया

(8) फिजी
(9) घाना
(10) गिनी
(11) इन्डोनेशिया
(12) कोनिया
(13) लाओस
(14) मलावी
(15) मालदीव
(16) मलयेशिया
(17) मोरिशस
(18) नेपाल
(19) नाईजीरिया
(20) यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य (अदन)
(21) सेनेगल
(22) सोमालिया
(23) सूडान
(24) श्रीलंका
(25) सिंगापुर
(26) सियरालीओन
(27) स्वाजीलैंड
(29) तन्जानिया
(29) टोंगा
(30) थाईलैंड
(31) उगाडा
(32) अपर वोल्टा
(33) यमन अरब गणराज्य
(34) जाम्बिया
(35) जिम्बाब्वे
(36) जाईर

टेलीप्रिंटरों का निर्माण

3560. श्री पी० राज गोपाल नायडू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में टेलीप्रिंटरों का निर्माण होता है; और

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण करने वाले कारखानों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) टेलीप्रिंटर्स बनाने वाला एकमात्र कारखाना हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास है, जो केन्द्रीय सरकार का उद्यम है।

नए लघु इस्पात संयंत्र

3561. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बजट के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए देश में कितने नये लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किये जायेंगे;

(ख) क्या सरकार कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मद्रास में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :(क) मांग, आदानों जैसे बिजली आदि की कम उपलब्धि तथा बेकार पड़ी काफी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति यह है कि देश में नये लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा न दिया जाये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत की यात्रा करने का निमंत्रण

3562. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को भारत आने के लिए निमंत्रण भेजा है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कब तक भारत आयेंगे;

(ग) क्या राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों का आगामी सम्मेलन दिल्ली में आयोजित करने के लिए निमंत्रण भेजने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने प्रधान मंत्री जब यूनाइटेड किंगडम गये थे उस समय उन्होंने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को भारत यात्रा का मौखिक निमंत्रण दिया था। इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यात्रा की तारीख यथासमय निश्चित कर ली जाएगी।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

Grafting of Artificial Lense

3564. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government got a study made in regard to grafting new artificial lense after extracting weak eye lense when cataract operations were performed by the members of the delegation of the Soviet Union Eye Surgeons led by Prof. Fyoderor which came here in April last ;

(b) if so, how Government propose to take advantage of this experience; and

(c) at how many places this experiment was given demonstrations and the extent of success achieved ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) No. However, some operations were done by the members of Soviet delegation but it was not a regular study.

(b) A research project with the collaboration of the Indian Council of Medical Research has been set up.

(c) The operations were done at Sarojini Devi Eye Hospital, Hyderabad and Dr. Rajendra Prasad Centre for Opthalmic Sciences, New Delhi. The results so far are not very encouraging.

राजनीतिज्ञ राजदूत

3565. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**
डा० बंसंत कुमार पंडित :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार ने कितने राजनीतिज्ञों को राजदूत नियुक्त किया और उन्हें किन-किन देशों में भेजा गया तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार राजनीतिज्ञों का राजदूत नियुक्त करने और पिछली सरकार द्वारा नियुक्त वर्तमान राजनीतिज्ञ राजदूतों को बनाये रखने सम्बन्धी अपनी नीति के बारे में भी बतायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-700/77] रख दिया गया है जिसमें मार्च, 1971 के बाद से अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ख) सार्वजनिक जीवन के किसी व्यक्ति को विदेश में वरिष्ठ राजनयिक पद पर नियुक्त करते समय सरकार उस व्यक्ति के अनुभव और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखती है। भारत के स्वरूप को भली प्रकार प्रस्तुत कर सकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय हित में उपयुक्त व्यक्ति के चयन के लिए समुचित कदम उठाएगी ऐसे पद पर आने वाला व्यक्ति चाहे विदेश सेवा से हो या बाहर से हो। इस सम्बन्ध में समय-समय पर लिये गये निर्णयों से सरकार की नीति का मोटे तौर पर पता चलता है।

अण्डमान और निकोबार में टेलीफोन केन्द्र खोलना

3566. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पोर्ट ब्लेयर के टेलीफोन केन्द्र में न्यूनतम आधुनिक उपकरण भी नहीं हैं जिससे आमतौर पर गलत नम्बर मिलना, नम्बर न मिलना आदि की घटनाएं होती हैं जिसके कारण प्रयोक्ताओं को बहुत दिक्कतें होती हैं; यदि हां, तो इन दोषों को किस प्रकार दूर करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को प्रशासन से कोई शिकायतें मिली हैं; यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कितने नये केन्द्र खोले जाने हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख). पोर्ट ब्लेयर में 600 लाइन का एक एम-ए-एक्स II है। इस प्रकार के आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रयोग भारत के अनेक स्थानों में हो रहा है। कुछ समय पूर्व स्थानीय प्रशासन से एक शिकायत प्राप्त होने पर उपस्कर को ओवरहाल करने के लिए एक दल पोर्ट ब्लेयर भेजा गया था। सेवा में आगे और सुधार लाने के लिए यह निर्णय किया गया था कि (सौ सौ लाइन के) दो उपस्कर रैंकों को बदल कर उनके स्थान पर नये रैक लगाये जायें। ये रैक अभी मार्ग में ही हैं और पोर्ट ब्लेयर में पहुंचने के तुरन्त बाद ये रैक वहां स्थापित कर दिये जायेंगे।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में (1) नानकोवरी, (2) कैम्बल बे, (3) दिगलीपुर और (4) माया बन्दर स्थानों पर चार नये एम-ए-एक्स III प्रकार के एक्सचेंज खोलने की योजना बनायी गयी है।

गुजरात के अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों द्वारा छूत का रोग

3567. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 1977 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि गुजरात के अस्पतालों में अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अस्पताल में छूत के रोग फैलाने में डाक्टरों और नर्सों का बड़ा हाथ है तथा अनेक डाक्टरों और नर्सों की नाक और उंगलियों के नाखूनों में 'स्टेफीलोकल' जीवाणु होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह भी महसूस करती है कि अस्पताल के कर्मचारी जिनके साथ जीवाणु होते हैं वार्डों और आपरेशन थेटरों में इन जीवाणुओं को फैलाने के लिये उत्तर-दायी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां। इस समाचार का आधार डा० सैफी-यत-अल का वह लेख है जो एक जून, 1977 के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल में छपा था। इस लेख में कर्मचारियों की नासिकाओं और उंगलियों के नाखुनों में स्टफिलोको-सेल जीवाणुओं के होने के बारे में विश्लेषण किया गया है किन्तु संक्रमण फैलने और इन जीवाणुओं की उपस्थिति के बीच कोई पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) सरकार यह बात अच्छी तरह जानती है कि ऐसे कर्मचारियों के माध्यम से संक्रमण फैलने के खतरे होते हैं और सरकार इस बारे में आवश्यक पूर्वोपाय कर रही है।

(ग) अस्पतालों में मुखावरण पहनने, हाथ धोने और आपरेशन थियेटरों, प्रसव कक्षों गहन देख-रेख एककों, जले हुए रोगियों के वार्डों तथा अन्य कक्षों आदि में जहां संक्रमण की सम्भावना

रहती हो, उनमें अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने की प्रथा का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।

मेडिकल कालेजों के लिए प्रवेश सुविधायें

3568. **श्री के० मालन्ना** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले शैक्षिक सत्र के लिये दिल्ली तथा अन्य राज्यों में विभिन्न मेडिकल कालेजों में मेडिकल छात्रों के लिये पर्याप्त प्रवेश सुविधाएं देने के लिये कदम उठा रही है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में मेडिकल छात्रों के लिये पर्याप्त प्रवेश सुविधाएं न होने के कारण प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और छात्र समुदाय में असन्तोष उत्पन्न होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की दीर्घावधि आधार पर समस्या को सुलझाने के लिये क्या योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दिल्ली के मेडिकल कालेज नामत: (1) लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल (2) मौलाना आजाद मेडिकल कालेज तथा (3) आयुर्विज्ञान का यूनिवर्सिटी कालेज में कुल मिला कर 410 छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता रखते हैं। इनके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी एम०बी०बी०एस० कोर्स के लिए प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 50 छात्रों को प्रवेश देता है।

भारत के मौजूदा मेडिकल कालेजों को प्रवेश देने की कुल क्षमता लगभग 12,500 विद्यार्थी है। यह देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नया मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र

3569. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965 में 'बालकों' को मध्य प्रदेश में कोरबा में तथा महाराष्ट्र में रत्नगिरि में एल्यूमिनियम संयंत्रों की योजना बनाने तथा उनका निर्माण करने का कार्य सौंपा था और कोरबा में एल्यूमिनियम संयंत्र में वर्षों पहले उत्पादन आरम्भ हो गया जबकि रत्नगिरि संयंत्र का निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) क्या रत्नगिरि संयंत्र के पुनरीक्षित अनुमान में लगभग दो करोड़ रुपयों की वृद्धि दिखाई गई है जिसमें बिजली यूनिट का शुल्क 9 पैसे प्रति यूनिट रखा गया है जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 7 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का वचन दिया है; और

(ग) रत्नगिरि में एल्यमिनियम संयंत्र का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) मध्य प्रदेश म कारबा एल्यूमानयम परियोजना तथा महाराष्ट्र में रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना का निर्माण भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बालको) को सौंपा गया है। कोरबा एल्यूमिनियम प्रद्रावक के प्रथम चरण मई, 1975 में शुरू हुआ। वित्तीय कठिनाइयों के कारण रत्नगिरि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(ख) परियोजना के पूंजीगत लागत अनुमान बिजली दर पर निर्भर नहीं है। कार्यफलन का आकलन करते समय बालको द्वारा जिस बिजली दर की कल्पना की गई है वह जुलाई, 1975 की समेकित एल्यूमिनियम नीति के अन्तर्गत एल्यूमिनियम प्रद्रावकों के लिए लागू युक्तिसंगत विद्युत दरों पर आधारित है।

(ग) रत्नगिरि परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों की जांच की जा रही है। परियोजना का निर्माण कार्य अपेक्षित वित्तीय स्रोतों की उपलब्धि के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

Payment of Wages to Bidi Workers in Time

3570. Shri Kachrulal Hemraj Jain : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the total Labour strength in bidi industry in the country ;

(b) whether Government are aware that the workers of this industry have to face great hardship because of non-payment of their wages on time ; and

(c) the steps being taken by Government to ensure timely payment of their wages ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) No reliable data on the total number of persons employed or engaged in the Bidi industry in the country are available. However, it is estimated to be about 30 lakhs.

(b) and (c). The implementation and enforcement of the Minimum Wages Act, 1948 and Payment of Wages Act, 1936, in respect of bidi workers, is the responsibility of the State Governments concerned, as 'Appropriate Government'.

'युनेस्को' तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राजस्थान को मोटर साइकिलों की भेंट

3571. श्री लालजी भाई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में राजस्थान को चेचक उन्मलन के लिए 11 मोटर साइकिलें भेंट की थीं और क्या उनमें से केवल एक मोटर साईकिल का ही उपयोग किया जा रहा है और शेष का कुछ भी पता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख). राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राजस्थान राज्य को 1975 तक 28

मोटर साईकिल (14 होंडा तथा 9 रायलएनफील्ड) सप्लाई किए । अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने जब हमारे देश को चेचक मुक्त घोषित कर दिया तो इसके पश्चात् विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही उपयोग में लाई जा रही जीपें, मोटरे-साईकिलें तथा अन्य उपकरण संबंधित राज्य सरकारों को सौंप देने का निर्णय लिया है ताकि वे अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोग की जा सकें ?

Telephones in Delhi Telephone Exchanges

3572. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number in each waiting list upto which telephone connections have been provided till 31st May, 1977 in OYT, Special and Ordinary categories in each Exchange in Delhi Telephone District and the number of applicants yet to be provided with telephone connections in each exchange ?

The Minister for Communications (Shri Brij Lal Varma) : The registration numbers upto which telephone connections have been provided till 31-5-77 and the number of applicants on the waiting lists as on 1-6-1977 in each exchange of Delhi Telephones are given in Annexure. (Placed in Library. *See* No. L. T.—701/77).

Telephone Connections in the Country

3573. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of telephone connections in the country at present ;

(b) the details thereof, State-wise, and the number of telephone connections in ten major cities ; and

(c) whether telephone connections will be provided to all the applicants registered so far for the purpose during the next two years, and if not, the hurdles in this regard ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) The total number of telephone connections in the country as on 31-3-77 was 16,16,590.

(b) Two statements showing total number of telephone connections state-wise and in 10 major cities as on 31-3-77 are given in Statements 'A' and 'B'. (Placed in Library. *See* No. L. T.—702/77).

(c) The total number of applicants on the waiting list in the country as on 31-3-77 was 1,83,512.

Additional Exchanges and expansion of existing exchanges has been planned to meet the pending and fresh demands. Most of the applicants registered with the Department as on 31-3-77, except for certain areas in Bombay, are expected to be provided with telephone connections in a period of 3 years. The main hurdles in meeting the telephone demands promptly, are, limited material and financial resources for expansion of existing exchanges and setting up of new exchanges.

Delhi Telephone Directory

3574. Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ramji Lal Suman :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the dates on which the Hindi and English Telephone Directories of Delhi Telephone District were brought out and distributed ;

(b) the number of copies of Hindi and English Telephone Directories printed separately ;

(c) the time by which Hindi and English Telephone Directories are likely to be distributed ;

(d) the action taken or proposed to be taken to get these directories brought out in both the languages simultaneously to expedite their printing and to make the Directories in both languages available to every telephone subscriber ; and

(e) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) The 1976 issues of Hindi and English telephone directories of Delhi Telephones were brought out in June and July 1976 respectively. These were available for collection from the notified distribution centres till 30-9-76 after which the directories were available for collection by the subscribers at a centralised place.

(b) 15,000 copies of Hindi Directory and 1,99,500 copies of English directory were printed.

(c) to (e). Both Hindi and English editions of Delhi directories for the year 1977 are expected to be brought out by end of August 1977 and they will be made available to subscribers for collection thereafter. Only one copy of the directory either in Hindi or in English is supplied free of cost to the subscriber. Additional copy in the other language can be supplied on sale basis.

Public Call Offices in U.P.

3575. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number and locations of P. C. Os. in Uttar Pradesh district-wise ;

(b) the district-wise number of P. C. Os. proposed to be opened during the current financial year ; and

(c) the criteria for opening a P. C. O. at any place ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) The number of P. C. Os. and their locations in Uttar Pradesh, District-wise is shown in Annexure-I. [Placed in Library . *See* No. L. T.—703/77].

(b) The number of P. C. Os. proposed to be opened in Uttar Pradesh district-wise during the year 1977-78 is shown in Annexure-II. [Placed in Library. *See* No. L.T.-703/77].

(c) Normally a PCO is opened at a place having a post office if the proposal is financially viable. But in order to extend this facility to undeveloped areas, a liberal policy is followed for providing telephone facility at the following categories of stations irrespective of the revenue earned and loss sustained :—

(1) District Headquarters,
(2) Sub Divisional Head Quarters,
(3) Tehsil Headquarters,
(4) Sub Tehsil Headquarters,
(5) Block Headquarters, and
(6) Places having a population exceeding 10,000.

Telephone facility can be provided at the following categories of stations if the annual anticipated revenue is at least 25% of the Annual Recurring Expenditure (ARE).

(1) Places beyond 40 Kms. from a working Telephone Exchange.

(2) Places having population of 5,000 or more situated within 12.5 Kms. of an existing exchange.

(3) Tourist/Pilgrim centres.

(4) Agriculture/Irrigation/Power Project Sites and Township.

In these four categories of stations the condition of minimum revenue is relaxed to 15% of the ARE in the case of backward areas and 10% of ARE in the case of backward areas and 10% of ARE in the case of hilly areas. For both backward and hilly areas, the population limit is also relaxed to 2500.

If a place does not fall under any of the above categories and the proposal to provide a Public Call Office at the place is showing a loss, the facility can be provided on rent and guarantee basis provided some interested party is willing to indemnify the loss to the department.

उड़ीसा में ग्रामीण और आदीवासी क्षेत्रों में डाक सुविधायें

3576. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में डाक सुविधाएं बहुत कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में सेवाएं सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं । डाक सुविधाएं राष्ट्रीय औसत के मुकाबिले में इन इलाकों में बेहतर हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुरानी बीमारियों के रोगियों को वित्तीय सहायता

3577. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० बी०, कुष्ठ रोग तथा मानसिक पिछड़ेपन जैसे पुराने रोगों के रोगियों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख). जी नहीं । इस समय क्षयरोग, कुष्ठ रोग और मानसिक मंदता जैसे पुराने रोगों के रोगियों को आर्थिक सहायता देने की किसी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है । फिर भी, इन रोगों से पीड़ित निर्धन और जरूरतमंद पुराने रोगियों को तथा अंधे और विकलांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान से यथासम्भव आर्थिक सहायता दी जाती है ।

श्रमिकों की साझेदारी के कारण उद्योग में आया सुधार

3578. **श्री जी० वाई० कृष्णन** :
श्री के० लकप्पा :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी वाणिज्यिक तथा सेवा संगठनों में प्रयोग के आधार पर श्रमिकों की साझेदारी के लिये कोई प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक कम्पनियों में आए सुधारों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख): बड़े पैमाने पर जनता से वास्ता रखने वाले वाणिज्यिक और सेवा संगठनों के प्रबन्ध में श्रमिक सहकारिता के लिए एक स्कीम सरकारी संकल्प तारीख 4 जनवरी, 1977 से आरम्भ की गई यह स्कीम अस्पतालों, डाक व तार कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों बुकिंग कार्यालयों बैंकों सड़क परिवहन उपक्रमों, राज्य विद्युत बोर्डों, सरकारी वितरण प्रणाली आदि जैसे संगठनों पर लागू होती है । इस स्कीम की प्रतियां सभी केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों, राज्य सरकारों, प्रशासनों तथा अन्य सम्बन्धित सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई हैं कि वे अपने नियत्रंणाधीन यूनिटों में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें । चूंकि यह स्कीम हालही में लागू की गई है, इस लिए सरकार ने अभी इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है । तथापि, मई, 1977 में हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों के अनुसरण में सरकार प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता और समानता सम्बन्धी सभी विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए शीघ्र ही एक समिति गठन कर रही है ।

भारत-बंगलादेश संधि

3579. **श्री समर गुह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के राष्ट्रमंडल सम्मेलन के दौरान लन्दन में एक प्रैस सम्मेलन में बंगलादेश के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि बहुत से लोग भारत-बंगलादेश सन्धि के विरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या बंगलादेश के राष्ट्रपति ने संधि के पुनरीक्षण अथवा समाप्ति का सुझाव दिया था ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): बताया जाता है कि बंगलादेश के राष्ट्रपति मेजर जनरल जियाउर रहमान ने 10 जून को लंदन में एक प्रैस सम्मेलन में कहा था 'कि भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री, सहयोग और शांति की संधि पर बंगलादेश की सरकार पुनर्विचार कर रही है । तथापि, उक्त पुनर्विचार के ब्यौरे की हमें कोई जानकारी नहीं है ।

Bhagalpur Medical College

3580. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of Central assistance received by Bhagalpur Medical College so far and whether it is being utilised for the purposes for which it was given and if so, the reasons for which the building of the college has not so far been constructed ; and

(b) whether Santal Pargana where Bhagalpur is located is a much backward district and if so, whether Government propose to give more grant to this college than other medical colleges ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) and (b): During the Fifth Five Year Plan there is no Central scheme to assist private or State medical colleges in the country.

मेघाटाबरु लौह अयस्क परियोजना

3581. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मेघाटाबुरु लौह अयस्क परियोजना 18 दिसम्बर, 1976 को बन्द कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) मेघाटाबुरू लौह अयस्क परियोजना 18 दिसम्बर, 1976 को बन्द नहीं की गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बोलानीं लौह अयस्क खान के कामगारों के लिए आवास की व्यवस्था

3582. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलानी लौह अयस्क खानों के सभी कामगारों के लिए आवास की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) : बोलानी ओर्स लि० के कुल 1168 कर्मचारियों में से 873 अर्थात् लगभग 75 प्रतिशत को बस्ती में मकान दे दिए गए हैं । यह सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को आवास की व्यवस्था के लिए निर्धारित 70 प्रतिशत के मानक से अधिक है । इसके अलावा कम्पनी के कुछ कर्मचारियों के, जो आस-पास के गांवों में रहते हैं, अपने मकान हैं ।

बोलानी लौह अयस्क खानों के कामगारोंको मजूरी

3583. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बोलानी लौह अयस्क खानों के कामगारों को प्रत्येक माह की पहली तारीख को मजूरी का भुगतान नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का सही तारीख को मजूरी का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : सामान्यत: बोलानी ओर्स लि० के कामगारों को वेतन का भुगतान प्रत्येक महीने की पहली तारीख को कर दिया जाता है । लेकिन उत्पादन और प्रेषण में कमी हो जाने से कम्पनी की अर्थोपाय स्थिति की कठिनाई के कारण कुछ महीनों में वेतन का भुगतान पहली तारीख को नहीं किया जा सका ।

(ग) कम्पनी के कार्यकरण में सुधार लाने के उपाय (कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी शामिल है) सरकार के विचाराधीन है ।

मजूरी करार का संशोधन और बोलानी लौह अयस्क खानों के कामगारों को बोनस का भुगतान

3584. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि बोलनी लौह अयस्क खानों के कामगारों को पिछले दो वर्षों से बोनस का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कामगारों के साथ मजदूरी करार की अवधि समाप्त हो गई है और फरवरी, 1976 से उसका पुनरीक्षण किया जाना है ; और

(घ) सरकार का बोनस के भुगतान और मजूरी करार के पुनरीक्षण के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख): उस समय लागू नियमों के अन्तर्गत सितम्बर, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बोनस 4 प्रतिशत की दर से दिया गया था । सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बोनस देय नहीं था क्योंकि उस वर्ष आवंटन के लिये अतिरिक्त राशि नहीं थी ।

(ग) और (घ): पिछले मजूरी करार की अवधि 31 जनवरी, 1976 तक थी । अगर नया करार नहीं किया जाता है तो पुराना करार लागू रहेगा और मजदूरी की दरें, मंहगाई भत्ता आदि पुराने करार की शर्तों के अनुसार दिया जाता रहेगा । मजरी में संशोधन करने के मामले पर कामगारों के प्रतिनिधियों तथा प्रबन्धकों के बीच कई बैठकें हुई हैं । यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

भविष्य निधि के दुर्विनियोग में अन्तर्ग्रस्त धनराशि

3585. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 मार्च, 1977 को मालिकों द्वारा भविष्य निधि की धनराशि का दुर्विनियोग करने में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी भूतपूर्व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) अब तक कितने मुकदमे चलाए गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार, छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों की ओर भविष्य निधि के अंशदानों की 18.27 करोड़ रुपये की कुल राशि बकाया थी ।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 (बकाया राशि की भूराजस्व के रूप में वसूली) और धारा 14, 14क, 14कक (अभियोजन) के अधीन दोषी नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही की है । इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में, जिनमें नियोजक कर्मचारियों की मजदूरी में से भविष्य निधि की बाबत कर्मचारियों के हिस्से का अंशदान काट तो लेते हैं परन्तु उसे भविष्य निधि में जमा नहीं कराते, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 409 (विश्वासघात और आपराधिक दुर्विनियोजन) के अधीन अभियोजन चलाए जाते हैं दोषी नियोजकों को अच्छे बर्ताव के लिए आबद्धकर करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों की शरण भी ली जाती है ।

(ग) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध अधिनियम के लागू होने की तारीख से 31 मार्च, 1977 तक 77,412 अभियोजन मामले चलाए गए हैं। इसी अवधि के दौरान दोषी नियोजकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन 846 शिकायतें दायर की गई हैं।

इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के प्रेजीडेंट का वक्तव्य

3586. **श्री पी० एम० सईद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के प्रेजीडेंट डा० ए० पी० शुक्ला द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की योजना के प्रारूप में निहित सैद्धान्तिक परिवर्तन इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को समझाने की जरूरत है। यह कोशिश की जायेगी कि उन्हें सरकार की योजना के औचित्य के बारे में संतुष्ट करके उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।

Utilization of Grants given by Britain for Health Centres

3587. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state whether on the 28th June, 1977 an agreement was signed in New Delhi by India and Britain according to which Britain would give a grant of 30 lakh Pounds to India which is proposed to be spent on 1000 primary health centres and 325 'Taluk' hospitals, and if so, the names of the states in which this programme would be undertaken indicating the details of the expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : An agreement under which the Government of U. K. is to make available to the Government of India a grant of £ 3 million in support of the Family Welfare Programme was signed in New Delhi on 28th June, 1977. The assistance provided under this agreement is to be utilised for strengthening the infrastructure in the rural and semi-rural areas for the provision of family welfare services in 1000 PHCs and 325 Taluka level hospitals. A statement [Placed in Library. *See* No. L. T.—704/77]. showing state-wise the numbers of PHCs /Taluka level Hospitals selected for assistance under this scheme during the years 1976 and 1977 and the estimated expenditure thereon is attached. The balance number of sub-divisional hospitals/centres will be approved in 1978.

Expenditure on Sterilisation in Delhi

3588. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on sterilization in Delhi during the last two years ;

(b) the heads under which this amount was spent and the amount spent under each head ;

(c) the names of officers under whose orders Smt. Ruksana Sultana and Shrimati Radharaman and other Congress leaders were given money in connection with sterilization ;

(d) whether Government would take any departmental action against those officers ; and

(e) the reasons for not suspending, so far by Government those officers who issued circulars regarding forced sterilization ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) and (b) A statement giving the details of expenditure is enclosed.

(c) Under the Delhi Administration's order, every motivator is entitled to receive motivational money for motivating a person for sterilization operation. The motivational money is paid by the implementing agency from out of the advances placed at their disposal for the Sterilization and IUD Programme by the Delhi Administration.

(d) In view of reply to part (c) above, the question does not arise.

(e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Statement

Details of Expenditure incurred on sterilisation and IUD Programme during 1975-76 and 1976-77

	1975-76 (Rupees)	1976-77 (Rupees)
(i) Compensation for Sterilisation and IUD.	6,00,000*	148,49,759*
(ii) Maintenance Grants sanctioned for Sterilisation Units and Sterilisation Beds	98,050	74,535
(iii) Provision of Sterilisation facilities in Hospitals . .	—	40,000
TOTAL . . .	6,98,050	149,64,294

*This represents the advances given to various implementation agencies for compensation for IUD and Sterilisation. Separate details of expenditure on Sterilization and IUD are not available. The break up of the above expenditure is as follows :—

	1975-76	1976-77
(i) Demand No. 46/48—Family Planning . . .	6,00,000	1,03,98,269
(ii) Delhi Area Demand . .	—	20,26,490
(iii) Funds received from Indian Red Cross .	—	24,25,000
TOTAL . . .	6,00,000	1,48,49,759

Complaints Re. Delhi Telephones

*3589. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by Government regarding Telephone Department, Delhi during the last one year ;

(b) the details of such complaints and the action taken by Government thereon ;

(c) whether it is a fact that along with the expansion of telephones the standard of services thereof is going down ; and

(d) the action taken by Government to improve the services of Telephone Department in Delhi ?

The Minister for Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) The number of complaints received during the last one year (ending on 30-6-77) is about 1,62,934.

(b) The complaints relate to local telephone service (*i.e.* telephones not working satisfactorily), trunk service, billing, excess metering and other miscellaneous items. Suitable actions have been taken in most cases. Some complaints in respect of trunk service and excess billing are under examination.

(c) and (d) No, Sir. The service being rendered to the subscribers of Delhi Telephone system continue s to be at the same level of efficiency as earlier. A continuous watch is kept and the quality of service is assessed regularly. To further improve the service, the Department has initiated upgradation of the crossbar exchanges, pressurisation of cables adding of traffic relief equipments to reduce congestion and systematic inspection of and attention to subscribers' fittings and installations.

विलिंगडन अस्पताल का नर्सिंग होम

3590. श्री शंकर सिंह जी वघेला :क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलिंगडन अस्पताल के नर्सिंग होम में कुल कितने कमरे हैं तथा उनमें से कितने कमरों में वातानुकूलन की सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) उक्त नर्सिंग होम में कितने कमरे अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं तथा उनमें से कितने कमरों में वातानूकूलन की सुविधा है ;

(ग) उनमें से कितने कमरे ऐसे प्राइवेट लोगों के लिए आरक्षित हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ; और

(घ) क्या एक सरकारी कर्मचारी को, जो नर्सिंग होम में कमरा लेने के लिए हकदार है, अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है और उसको पंजीकरण के बाद भी अनेक सप्ताह तक कमरा नहीं मिलता है जबकि अनेक कमरों को इस तर्क पर खाली रखा जाता है कि वे केवल अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं और अति विशिष्ट व्यक्ति की परिभाषा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) नर्सिंग होम में कमरों की कुल संख्या 48 हैं जिनमें चार गहन हृदयरोग देखरेख पलग भी शामिल हैं । इनमें से 23 कमरे वातानुकूलित है ।

(ख) केवल एक कमरा (कमरा नं० 1) ही उन आपाती रोगियों को भर्ती करने के लिए आरिक्षत है जो अचानक ही बीमार हो जाए जिसमें विदेशी उच्च पदाधिकारियों, मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों या सर्वोच्च न्यायालय के न्याय मूर्तियों आदि में से कोई भी भर्ती हो सकता है ।

(ग) 10 प्रतिशत कमरे गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए है ।

(घ) जी नहीं । रोगी जिस फिजीशियनस, सर्जन या विशेषज्ञ से चिकित्सा करवा रहा हो उसके द्वारा लिखे जाने पर ही रोगी को नर्सिंग होम में भर्ती करने के लिए रजिस्टर किया जाता है । यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल गुणावगुणों (मेरिट) अर्थात् रोगी की पात्रता, रोग की गम्भीरता और कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है ।

Employees and Officers in Hindustan Zinc Ltd., Udaipur

3591. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of employees and officers in the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur in 1972 when an I.C.L. data processing machine was installed and their number today ;

(b) whether employees were retrenched; and if so, when and how many together with the reasons therefor ; where the retrenched employees were sent and on what posts and the criteria followed therefor ;

(c) comparative statement of the work done on these machines earlier and the work done today ; the capacity utilized previously and capacity utilized today ; the rent paid then and the rent being paid after retrenchment of workers ;

(d) whether the Hindustan Zinc has some other such machines or has placed orders for their procurement; and if so , what will be their cost of rent and whether they will be indigenous or imported ones ;

(e) whether some employees are proposed to be called back for operating the new machines or fresh recruitment is proposed to be made ; and

(f) the number of employees given promotions since 1972 todate ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) The Hindustan Zinc Ltd., had a strength (including that for the Data Processing Centre) of 186 officers and 4,300 workmen as on 31-3-1972. This strength has gone up to 423 officers and 6,555 workmen at the end of March, 1977. The I.C.L. Electronic Data Processing Centre had a strength of 1 officer and 15 staff in 1972 ; its present strength is 1 officer and 6 staff.

(b) There had been no retrenchment consequent on the introduction of machanised Accounting System through I.C.L. data processing machines.

Till August 1975, preparation of Pay bills alongwith all schedules and all related statements of deductions and remittances for all employees in the Head Office, Zinc Smelter, Zawar Mines and Maton Mines was processed through the I.C.L. machines. Preparation of salary bills in time in respect of distant units at times posed difficulties. After August 1975, preparation of salary bills of workmen in respect of Maton, Zawar Mines and Zinc Smelter at Debari, alongwith officers' salary bills only in respect of Maton was decentralised and the staff engaged on that work was transferred to the respective units. Of the 10 staff members found surplus, 3 were found to have suppressed educational qualifications and had become liable for disciplinary action. But in view of their past service and under memorandum of settlement with the recognised union, it was decided to transfer these persons to Zawar Mines in the next lower scale but their total pay was protected as a special case. The remaining 7 persons were re-employed on equivalent posts in other units as under :

No. of persons with designation	Equivalent posts in which re-deployed
1. Punch Verifier Operator	Clerk in Zinc Smelter, Debari.
2. Punch Verifier Operators	Clerks in Head Offices at Udaipur.
Machine Operator	Assistants in Maton Mines.
2. Technical Assistants	Assistant Accountants in Head Office at Udaipur.

(c) The work done on I.C.L. machines, both prior to and after August 1975, is indicated in Annexure-I. Prior to August 1975, the machines had to be worked on multi-shift basis. At present, the full available machine capacity is utilized on single shift basis.

Based on the scale of rental for the machines in 1972, the rent paid was Rs. 6,995/- per month. The amount of rental increased in subsequent years as under :

(i) With effect from 1-3-1973	Rs. 7,740 (Rs. 6,995 + Rs. 745 for additional 8 counterwheels, 10 print wheels and 2 selective digit emitters of tabulator)
(ii) With effect from January, 1974	Rs. 8,260 Rs. 7,740+ Rs. 520 for second sorter).

(iii) With effect from 1-9-1975	Rs. 8,673/- (Rs. 8,260+Rs. 413 on account of 5 per cent increase in rental schedule)

(d) The Hindustan Zinc Ltd. has purchased two Soemtron accounting machines—one each for Zawar Mines and Zinc Smelter, Debari. These machines were imported from East Germany at a cost of Rs. 2,73,700 per machine.

(e) The operation technique of the new Soemtron accounting machines is different from that of I.C.L. machines and the qualifications etc. of the operators were prescribed by the specialist from the suppliers. For selection of personnal for handling these machines, opportunities were given to the departmental candidates, but only one candidate who was employed earlier on I.C.L. machines was found to be suitable alongwith another departmental candidate. Two outside candidates were also selected. It may be mentioned that with the installation of the two Soemtron accounting machines no employee has been retrenched.

(f) Punch Verifier/operators in the electronic data processing centre are eligible for promotion to the next grade after completion of 5 years of service subject to good service record and trade test. They have now become eligible for consideration for promotion to the higher grade. Necessary trade test will be held in due course for the selection of candidates for promotion.

STATEMENT

Comparative Statement of work done on I.C.L. Machine

A—Prior to August, 1975

(i) Preparation of pay bills alongwith all schedules and all related statements of deductions and remittances for all employees in Head Office, Zinc Smelter, Zawar Mines and Maton Mines.

(ii) Stores accounting includng SRV/SIV statements, price store ledgers, annual inventory statements, unremoved items from one to three years and ABC analysis for inventory control.

(iii) Analysis of Part of expansion projects, Geological data for processing in computer and PF accounting.

N.B. The utilization of the machines exceeded their capacity on one shift basis of 8 hours.

B—After August, 1975

(i) Pay bills and all other schedules and statements of employees in Head Office and of officers at Zinc Smelter and Zawar Mines.

(ii) Store accounting including SRV/SIV statements, price store ledgers, annual inventory statements, unremoved items from one to three years and ABC analysis for inventory control.

(iii) Geological data, analysis of Pert of expansion projects, statements of insurance linked deposit scheme and statistical data of employees of all units for group insurance, gratuity insurance, etc.

N.B. The available capacity of the machines on one shift basis is being utilised for increased volume of store accounting work, inventory analysis, etc.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Detailed Demands for Grants in respect of Ministry of Civil Aviation and Tourism

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik). I beg to lay on the table. A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Tourism and Civil Aviation for 1977-78.

[Placed in the Library. **See** No. LT 678/77.]

नियम 377 के अधीन मामले

Matters under Rule 377

(एक) गृह मंत्री द्वारा 13 जुलाई, 1977 को दिए गए वक्तव्य में की गई टिप्पणी

श्री यशवंतराव चव्हाण (सतारा) : कल गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने एक सौद्देश्य और दुर्भाग्यिनापूर्ण वक्तव्य दिया था, जो आज समाचारपत्रों में छपा है। "टाईम्ज आफ इंडिया" ने आपातस्थिति में "बड़े विपक्षी नेताओं की हत्या की योजना" शीर्षक से यह समाचार छापा है कि कुछ लोगों को ढाका जेल की तरह गोली से उड़ाने की तैयारी कर ली गयी थी ।

डा० कर्ण सिंह ने जब गृह मंत्री से यह पूछा कि क्या उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था यह मात्र 'विचार' था। क्या बिना किसी सबूत के इस प्रकार वक्तव्य दिया जाता है ? क्या कानून के अनुसार इसी प्रकार सरकार चलाई जाती है अथवा यह सरकार मात्र बेबुनियाद अफवाहों पर चल रही है ? देश भर में यह अफवाह फैल गयी थी कि सभी विपक्षी नेताओं की हत्या की योजना थी । यदि गृह मंत्री के पास कोई जानकारी हैं अथवा उनके पास कोई सबूत है तो वे उसे निश्चय ही आयोग को दे अथवा उसे यहां बतायें अन्यथा इस टिप्पणी को वापिस लें । (**व्यवधान**)

श्री ज्योर्तिमय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अवेश में न आयें । विपक्ष के नेता की बात को ध्यान से सुनना चाहिये । यह चर्चा करने का कोई तरीका नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरी एक अपील है यदि आप के पास कोई सबूत है अवश्य जांच कीजिए और दोषियों को सजा दीजिये । यदि कोई सबूत हैं तो आप सिद्ध कीजिये अन्यथा आरोपों को वापिस लीजिये ।

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): I had said that all the preparations were being made to shoot the leaders, if necesary, after their release from jails. Suspension of rights to life was a step towards these preparations. Even the Attorney General, Shri Niren De, while intepreting the Presidential Ordinance said before the Supreme Court that "there is no right to live in India today." The Government should have contradicted the statement if it was incorrect ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह वकील के तर्कों पर ही निर्भर करके कहना है कि प्रशासन में ऐसा हो रहा था । ये दो अलग बातें है। अत: मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को ऐसी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है. . . (**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि (चिरमकिल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नेताओं के मारे जाने सम्बन्धी वक्तव्य गृह मंत्री की ओर से आया है । इससे सम्बन्धित फाइलें तथा दस्तावेज सभा पटल पर जरखे जायें अन्यथा इ न आरोपों को वापिस लिया जाये . . . (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मत्री ने ऐसा नहीं कहा (**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे पास मारे जाने सम्बन्धी ठोस प्रमाण आये है (**व्यवधान**) कृपया मुझे बोलने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन के एक वरिष्ठ सदस्य है। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप 19 महीने जेल के अन्दर नहीं रहे। आप इन्हें बोलने क्यों नहीं देते (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले कुछ महीनों से अध्यक्षपीठ के नाते जो कुछ भी मैं करता आ रहा हूं, उसके बारे में लज्जित नहीं हूं। मैंने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की है, जिसके बारे में मुझे गर्व है।

श्री समर गुह : मुझे दो ठोस उदाहरण देने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य अवसर पर इस पर बोलें।

श्री समर गुह : हमें बन्दी बनाकर जेल में रखा गया और अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। मैं ठोस उदाहरण देना चाहता हूं : आप मुझे बोलने की अनुमति दें।

श्री मोरारजी देसाई : आप मुझे अनुमति दें, ऐसा कहना उचित नहीं है। जो कुछ कहना हो, उसके लिये अनुरोध करना चाहिये।

श्री चरण सिंह : मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के अन्तर्गत जीने के अधिकार को स्थगित कर दिया गया था।

श्री वंसत साठे : आंप बार-बार गलत कह रहे है.... (**व्यवधान**).....

श्री चरण सिंह : मैंने कहा था कि ऐसा श्री निरेन डे ने गया था, जो सरकारी वकील थे और सर्वोच्च न्यायाल में उन्होंने इस बारे में कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साठे, गृह मंत्री को, जो कुछ भी चाहें, बोलने का अधिकार है। अत: उन्हें बोलने दें।.... (**व्यवधान**)...

Shri Charan Singh : They will get more angry on revelation of more truth.

I was saying that I never said it but the Government Advocate Shri Niren De argued in the Supreme Court that right to life had been suspended in India—(**Interruptions**)....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रधान मंत्री : यह वक्तव्य सरकार की ओर से बोलते हुए एटार्नी जर्नरल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अध्यादेश से सरकार को किसी को भी पकड़ कर बन्द करने और चाहे तो मारने का अधिकार है तथा इसका कोई उपचार नहीं और न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। यदि यह गलत सिद्ध हुआ तो मैं निश्चय ही इस पर खेद व्यक्त करूंगा। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय में एटार्नी जनरल ने यही कहा था।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : एटार्नी जनरल ने यह व्याख्या न्यायालय के सामने सैद्धान्तिक आधार पर की थी। क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार की हत्या की योजना थी। यह पूरे तथ्य को तोड़ना मरोड़ना है। क्योंकि सरकार के पास इसके सम्बन्ध में कोई ठोस आधार नहीं है और एटार्नी जनरल द्वारा दिये गये गैर-जिम्मेवाराना तर्क का ही उल्लेख किया गया है, हमारे सामने सदन से बाहर चले जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ।

Some hon. Members then left the House.

(दो) श्री संजय गांधी तथा श्रीमती मेनका गांधी के नामों से विदेशी बैंकों में खोले गए कथित मामले

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : कुछ दिन पहले मैंने एक फोटोस्टेट प्रति पेश की थी जिससे यह पता चलता था कि श्री संजय गांधी और श्रीमती मेनका गांधी के विदेशों में बैंक खाते हैं। उस दस्तावेज की सत्यता को स्वीकार नहीं किया गया था।

हमें पता चला है कि मारुति हैवी व्हीकल्स लि० ने, जिसके मालिक वस्तुत: श्री संजय गांधी ही हैं, 'डेमाग' से आठ क्रेन खरीदने के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को लिखे अपने 29 जनवरी, 1976 के पत्र में लिखा था "इस क्रयादेश में हम अपने प्रतियोगी से प्रतियोगिता करना चाहते हैं और इसलिये इस सौदे में हम अपना कमीशन छोड़ रहे हैं"। इस कारण क्रेन खरीदने के लिये पश्चिम जर्मनी की फर्म 'डेमाग' को 1.7 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा का भुगतान करने की अनुमति दे दी गई। यह सब जनवरी, 1976 में हुआ तथा क्रेन वास्तव में अक्तूबर, 1976 और जनवरी 1977 के बीच भारत आयात किये गये। यह आयात शायद डेमाग को पूरा भुगतान करने के बाद किया गया।

चुनाव के बाद 22 जून, 1977 को डच बैंक हेमबर्ग ने रु० 13,62,463.65 प० की राशि मारुति हैवी व्हीकल्स लि० गुड़गांव के खाते में डालने की व्यवस्था की।

भारत में राशि को देर से लाने से पता चलता है कि मारुति लि० का यह कहना गलत है कि कमीशन के लिये कोई भुगतान नहीं किया गया। इससे यह भी पता चलता है कि रु० 13,62,463.65 पै० का यह कमीशन पहले ही दे दिया गया था लेकिन हमारे कानून के विरुद्ध उसे जर्मनी में रखा गया। स्पष्ट है कि श्री संजय गांधी और अन्य लोगों के विदेश में बैंकों में खाते थे, जो एक दंडनीय अपराध है।

सभा को बताया जाये कि क्या 13 लाख रुपये की यह राशि कानून के विरुद्ध जर्मनी में रखी गयी और यदि हां, तो क्या मुकदमा चलाया जायेगा अथवा नहीं ?

अनुदानों की मांगें 1977-78

Demands for Grants; 1977—78

ऊर्जा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : ऊर्जा मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा आज समाप्त नहीं होगी। आपने यह भी कहा था कि इस मंत्रालय के लिये नियत समय घटाया जायेगा।

मेरे विचार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अत: इस मंत्रालय के संबंध में चर्चा के लिए पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए चाहे इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय के समय में कटौती ही क्यों न करनी पड़े। इस सत्र के दौरान इस मंत्रालय पर पूरी चर्चा अवश्य की जानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री आडवानी अपने मंत्रालय के कार्यकरण के सम्बन्ध में 7--10 दिनों के भीतर सभा पटल पर श्वेत पत्र रखेंगे। मैं चाहता हूं कि नियम 184 के अन्तर्गत श्वेत पत्र पर चर्चा कराई जाये। मुझे आशा है कि सभापति महोदय इस सम्बन्ध में मुझसे सहमत होंगे।

श्री पी० के० देव (कालाहण्डी) : सभा की कार्यवाहियों का विनियमन कार्य मंत्रणा समिति करती है। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर मंत्रालयों के लिए समय नियत किया है और हमें उसका पालना करना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, अतः हमें उनकी बात स्वीकार करनी चाहिए। मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महत्व को नहीं अस्वीकारता लेकिन में यह चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्रालय पर होने वाली चर्चा के सम्बन्ध में समय का प्रतिबंध न लगाया जाये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I want to make a submission in support of Shri Jyotirmoy Bosu's submission, we should have full fledged discussion in this regard. The manner in which the previous Government misused this mass media is unparalled in the world. We want that Government should give us time to express our views in this regard. Therefore I request that a full dress discussion should be allowed in this regard.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : श्री कामथ व्यवस्था का यह प्रश्न बार-बार उठा रहे हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समूचे कार्यकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए समय नियत किया जाये। आपने उन्हें तथा सदन को आश्वासन दिया है कि इस मंत्रालय के सम्बन्ध में चर्चा का अवसर दिया जायेगा। मैं चाहता हूं एक बजे से लेकर चार बजे तक ऊर्जा मंत्रालय पर चर्चा कराई जाये और बाद के दो घंटे का समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए रख दिया जाये बाकी चर्चा जब मंत्री महोदय श्वेत पत्र सभा पटल पर रखेंगे तब हो जायेगी। आपात स्थिति के हटने और कानून का शासन कायम होने के बाद ही अब हम अपने विचार स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाये ताकि हम यहां यह बता सकें कि आपात-स्थिति के काले 19 महीनों के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मुझे यह समझ नहीं आया कि प्राथमिकताओं की सूची में इसे निम्न स्थान कैसे दे दिया गया। यदि मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य होता तो मैं इस मंत्रालय को अवश्य प्राथमिकता देता। आज भी हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कुछ अवसर दिया जाये और बाकी समय इस सत्र के दौरान अवश्य दिया जाये ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समूचे कार्यकरण पर चर्चा की जा सके।

Shri Ugrasen (Deoria) : Mr. Deputy Speaker, Sir I do admit that we are running short of time but we cannot ignore the importance of the Ministry of Health, a little time must be allotted for this Ministry.

I support Shri Kamath's submission. We should be given sometime for giving vent to our views. We want to discuss the entire working of this Ministry.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : गत 19 महीनों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गलत खबरें दी गईं। अब इस मंत्रालय का उद्धार हुआ है यह पुनः अस्तित्व में आया है। अतः इस मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में पूरी चर्चा कराई जाये।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (श्री लाल कृष्ण आडवानी): सरकार इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि गत 19 महीनों के दौरान जनसंचार साधनों का दुरुपयोग किया गया। इस सम्बन्ध

[श्री लाल कृष्ण आडवानी]

में जांच हेतु एक समिति की नियुक्ति की गई है और एक श्वेत पत्र तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसे सभा पटल पर रखा जायेगा। सदन अगर चाहे तो उस पर चर्चा कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय मेरे विचार में सदन की यह राय है कि श्वेत पत्र के आधार पर मंत्रालय के सम्बन्ध में चर्चा की जाये।

जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वह 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर उनकी सूचना दे दें।

श्री गोविन्दन नायर।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : ऊर्जा मंत्रालय के कार्यकरण संबंधी कमियों के लिए मैं न तो वर्तमान मंत्री को दोषी ठहराना ही उचित समझता हूं और न ही उन्हें उपलब्धियों के लिए श्रेय देना चाहता हूं। मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि देश में बिजली की कमी है। केरल और गुजरात को छोड़ कर देश में सब जगह बिजली की कमी है। कृषि क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र में यदि आप आर्थिक प्रगति चाहते हैं तो बिजली इसके लिए बहुत आवश्यक है बिजली की कमी आर्थिक विकास में बाधक हो रही है। यद्यपि इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है फिर भी इसकी परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका है यदि वर्तमान सरकार अपने वायदे पूरे और चुनौतियों का सामना करना चाहती है तो उसे बिजली के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

हम यह देखते आ रहे हैं कि पन बिजली के साथ मंत्रालय सौतेला व्यवहार करता आया है। अभी तक हमने देश में पन बिजली की संभावित क्षमता का पता नहीं लगाया है। यदि सरकार और पैसा खर्च कर सके तो 1000 मैगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। सारा मामला धन का है।

वन मंत्रालय द्वारा पन-बिजली परियोजनाओं के कार्यकरण को रोकने के लिए अब एक नया रोड़ा अटकाया जा रहा है। मैं वनों का विरोध नहीं करता। लेकिन राष्ट्र के अधिक महत्वपूर्ण हितों की कीमत पर इनका संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए। केरल में साइलैंड घाटी परियोजना को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है और पैसा भी दे दिया था परन्तु बाद में कुछ लोग बीच में आ गये। वे लोग उस स्थान की सुन्दरता से बड़े प्रभावित हुए और अब यह आदेश हो गये हैं कि यदि सरकार 10 हैक्टेयर से अधिक वन साफ करना चाहे तो उनकी अनुमति केन्द्र से ली जानी चाहिए। वन केन्द्र का विषय नहीं है। किसी ने इस समवर्ती सूची में रखने का प्रयास किया था मालूम नहीं सरकार ने इसे स्वीकार किया है कि नहीं ।

हाल में हुए चुनावों के परिणामस्वरूप देश में एक नई स्थिति का प्रादुभाव हुआ है । देश के बुद्धिमान मतदाताओं ने सभी राज्यों में राजनीतिक सत्ता का समान रूप से वितरण किया है। राजस्थान में जनसंघ, उत्तरप्रदेश में भारतीय लोकदल, मध्य प्रदेश में जनसंघ और तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक दल ने अपनी सरकार बनाई है । मेरा कहने का आशय यह है कि अब बिल्कुल नई स्थिति का प्रादुर्भाव हुआ है ।

{ श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए
Shri Tridib Chaudhri *in the Chair* }

पहले बात अलग थी क्योंकि केन्द्र में और राज्यों में एक ही दल का शासन था। वह संविधान की उपेक्षा कर सकते थे लेकिन अब वह स्थिति नहीं रही है। जहां तक बनों के मामले में केन्द्र के हस्तक्षेप का प्रश्न है अगर वह कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो मैं उन्हें मानने को तैयार हूं लेकिन बनों की सुन्दरता को बनाए रखने का अर्थ यह नहीं कि केरल अथवा किसी अन्य राज्य में बनाई जाने वाली पन बिजली परियोजना को बलि पर चढ़ा दिया जाए। साइलेंट घाटी को राष्ट्रीय पार्क बनाने की योजना है। लेकिन हम चाहते हैं वहां पन बिजली परियोजना बनाई जाए ऊर्जा मंत्री इस ओर ध्यान दें और पन बिजली की संभाव्यता का पता लगाने के लिए एक उच्च सत्ता प्राप्त आयोग नियुक्त करे। मेरे विचार में पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकती है।

बिजली बोर्डों के बारे में योजना आयोग और वित्त आयोग की यही शिकायत रही है कि वे पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इन बोर्डों का वैज्ञानिक ढंग से गठन करना चाहिए। हर मंत्रालय बिजली बोर्डों का शोषण कर रहा है। राज्य सरकारें कृषकों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना चाहती हैं। मेरा सुझाव है कि बिजली के मामले में आप जो भी राजसहायता कृषकों को देना चाहते हैं वह आप बिजली बोर्डों को न देकर कृषि मंत्रालय के अध्यक्ष को दें। बिजली बोर्डों का गठन इस प्रकार किया जाए जिससे वे अन्य सरकारी उपक्रमों के बराबर आ जाएं।

बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। आज स्थिति यह है कि एक राज्य द्वारा अपने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने पर अन्य राज्यों के कर्मचारी आन्दोलन शुरू कर देते हैं। इससे अनेकों समस्याएं उठ खड़ी होती है। अतः श्रम मंत्री के परामर्श से मंत्री महोदय एक राष्ट्रीय वेतन नीति बनाए जिसे हड़ताल आदि न हो और काम न रुके।

भूतपूर्व सरकार का विचार था कि केन्द्र की देख-रेख के बिना कोई भी कार्य प्रभावकारी ढंग से और शीघ्रता से नहीं हो सकता। पिछली सरकार सब कुछ अपने अधिकार में रखना चाहती थी। लेकिन इससे सहमत नहीं। यदि हम कुछ परिणाम पाना चाहते हैं तो विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए।

पन बिजली पर जोर देते हुए भी हम यह नहीं चाहते कि यह उन तापीय बिजली केन्द्रों की कीमत पर किया जाए जो इस समय चालू है। हमें उन्हें बनाना है। कुछ सुपरतापीय बिजली घरों को बनाने की योजना है लोग व्यर्थ इस बात पर झगड़ रहे हैं कि इन्हें कर्नाटक में बनाया जाए अथवा तमिलनाडु में। उन्हें कोयला खानों के पास स्थापित करने के लिए तूरन्त कदम उठाए जा तथा विजली अन्य जगह भेजने के प्रबंध किए जाए जिससे क्षेत्र के किसी भी भाग में बिजली पहुंचाई जा सके।

मंत्री महोदय परमाणु बिजली केन्द्रों की स्थापना की संभाव्यता को भी प्रोत्साहन दें। ऊर्जा मंत्री वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पर ज़ोर डाले कि यदि आर्थिक प्रगति करनी है और सबको रोज़गार देना है तो देश में बिजली के उत्पादन को सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाए। जब तक आप इन समस्याओं को हल नहीं करेंगे तब तक देश का आर्थिक विकास नही होगा।

ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32	15	श्री पी० के० देव	उड़ीसा में अथमालिक, अटारी के तप्तापानी के गर्म चश्मों में से भू-तापीय बिजली निकालने की वांछनीयता ।	राशि में से 100 रुपया कम किए जाएं
,,	16	,,	पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर ग्रामीण विद्युतीकरण का समान विकास शीघ्र करने की आवश्यकता ।	,,
,,	17	,,	राष्ट्रीय पावर ग्रिड बनाने की वांछनीयता ।	,,
,,	18	,,	उन राज्यों में बड़ी पन बिजली परियोजनाएं राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा आरम्भ करने की वांछनीयता जिनके संसाधन सीमित हैं ।	,,
,,	19	,,	उड़ीसा की हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने का काम शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	20	,,	काली, राप्ती, गंडक, करनाली, बाघमती तथा कोसी नदियों से पन-बिजली उत्पादन का कार्य नेपाल के साथ मिलकर करने की वांछनीयता ।	,,
,,	21	,,	अपर इन्द्रावती परियोजना के पन-बिजली घर को शीघ्र बनाने की आवश्यकता जिससे 600 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी ।	,,
,,	22	,,	देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सूर्य से बिजली उत्पन्न करने की वांछनीयता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32	23	श्री पी० के० देव:	देश में जहां कहीं भी सम्भव हो वहां चुम्बकीय पन गति विधि से बिजली का विकास करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपया कम किए जाएं ।
,,	24	,,	तट के निकट लहरों से बिजली बनाने की वांछनीयता ।	,,
,,	25	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए गोबर गैस संयंत्र को लोकप्रिय बनाने की वांछनीयता ।	,,
33	35	श्री ए० के० राय:	कोयला खानों का आयातित मशीनों द्वारा यंत्रीकरण जिससे खनिकों तथा वैगन भरने वालों में बेरोजगारी आ गयी है ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
,,	38	,,	गत 3 वर्षों में बीसीसीएल और ईसीएलआई में 10000 हरिजनों तथा आदिवासियों का नौकरी से निकाला जाना ।	,,
,,	40	,,	कोयला खान श्रमिकों के लिये सुरक्षा प्रबन्ध करने में असफलता जिससे घातक दुर्घटनाएं बढ़ गयी हैं ।	,,
,,	45	,,	कोयला खान श्रमिकों को अनिवार्य जमा योजना की राशि लौटाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये कम किए जाए ।
,,	46	,,	कोयला खान श्रमिकों के लिये 8.33 प्रतिशत बोनस की घोषणा करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
33	47	श्री ए० के० राय	बी० सी० सी० एल० के अन्तर्गत तन्तुलमारी कोयला खान में गैर आदिवासियों दवारा नौ आदिवासी मजदूरों का रूप धारण करना ।	राशी में से, 100 रुपये कम किए जाएं ।
,,	48	,,	बी० सी० सी० एल० के अन्तर्गत पश्चिम डीदीह कोयला खान से साहूकारों द्वारा 85 आदिवासी मजदूरों को बाहर निकालना ।	,,
,,	51	,,	ई० सी० आई० लिमिटेड के निरसा मुगमा क्षेत्र दवारा नियोजन ।	,,
,,	53	,,	राम कनाली कोयला खान कें मजदूरों और उनके परिवार की महिलाओं पर 7 और 8 जुलाई, 1977 को हुए अत्याचार ।	,,
,,	55	,,	30–5–77 को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सुदामदीह कोयला खान दवारा रखे गये गुन्डों द्वारा सी० आई० टी० यू० के नेताओं पर हमला ।	,,
,,	56	,,	बी० सी० सी० एल०, धनबाद में अमलाबाद कोयला खान में सी० आई० टी० यू० के मजदूर प्रतिनिधियों की बर्खास्तगी ।	,,
,,	57	,,	आपातस्थिति के दौरान दमुदा और केसरगढ़ कोयला खान से 500 मजदूरों की छटनी ।	,,
,,	58	,,	पिछले तीन वर्षों में बी० सी० सी० एल० (धनबाद) की जोगता कोयला खान से 200 आदिवासी मजदूरों को नौकरी से निकाला जाना ।	,,

Shri Yuvraj (Katihar) Mr Chairman, Sir I rise to support the demands of the Ministry of Energy.

If we make a review of the progress achieved in regard to the generation of power in the country, it appears that there is a crisis at the national level and almost evry state is facing an acute shortage of power. Only Kerala, Maharashtra and Gujarat are leading in this sector. There has been 15 to 30 per cent power cut in Tamilnadu and 25 per cent to 40 per cent cut in Karnatka. Both these States have taken help from Kerala.

An amount of Rs. 1453 crores was allocated for the entire powr sector. It has been estimated that per capita power consumption is about 109 K.W.M. Various schemes for the generation of thermal power and hydro electricpower have been sanctiond in eleven states but one can find that Bihar has been totally neglected in this regard, though there is highest potentiality for the generation of power.

Under the rural electrification programme even 16 per cent of the villages in Bihar have not been supplied with electricity.

The Bihar Government have asked for 800 crores of rupees for the 5th five year plan. But the central Government did not accepted their demand. There was a proposal to electrify 24000 villages. The per capita consumption of electricity in Bihar is hardly 9-10 units. Our agriculture and small scale industries are suffering just because of shortage of power. We cannot irrigate our lands because we do not get electricity to run our Tube wells.

We supply iron, coal and maganese to the whole country in a large quantity, but the central Government have not accepted our demand for Rs. 800 crores. We want to set up Thermal power station and Hydro-electric power station to generate electricity in Bihar for running our industries and to make it available to the farmers for irrigation purposes. In June, 1972 the Bihar Legislative Assembly unanimously passed a resolution to set up a thermal power station at Katihar on the North of Bihar. But nothing has been done in this regard. I urge upon the Minister to see that a Thermal power station is set up there.

Under the rural electrification even 16 per cent of the villages in Bihar have not been supplied with electricity. Mostly only those villages have been electrified where Ministers and other leaders used to visit. In Santhal Pargana, Chhotta Nagpur not to speak of electricity even kerosine is not available there. Therefore, it is my humble request that at least the proposal to set up a thermal power Station at Katihar is implemented.

Though a thermal power station has been set up at Barauni, several units in it are not functioning. Similarly a number of units in the Patharatu Thermal power station are also not working. It is, therefore essential to take steps to see that these units are repaired and they are made to function with full capacity.

डा० बी० एन० सिंह : (हजारीबाग) : भारत में कोयला ऊर्जा का मुख्य साधन है। किन्तु यह गांवों में ईंधन का काम नहीं करता। 1973--75 से 1975-76 के दौरान कोयले के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। इस दौरान कोयला का उत्पादन 782 लाख टन से बढ़कर 986 लाख टन हो गया। किन्तु 1976-77 में उत्पादन इतना ही रहा। उत्पादन में इस स्थिरता का कारण है आवश्यकता पूरी करने के बाद उसके उत्पादन को विनियमित करना। प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस समय देश में कोयला उद्योग इसकी आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में है। देश में कोयले की मांग का यह सही चित्र नहीं है। ये बड़े दावे सत्य से कहीं दूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वथा उपेक्षा करके कोयला विभाग ने इस तरह की संतोषजनक स्थिति बताई है।

ईंधन के लिए अन्य कोई विकल्प न होने की वजह से ग्रामीण लोग लगातार पेड़ों को काटे जा रहे हैं। अतः जब तक उन्हें कोयला आदि उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, व पेड़ और वन काटते रहेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड गांवों को कोयले की सप्लाई नहीं करता। यदि हम चाहते हैं कि बहुमूल्य वन सम्पदा सुरक्षित रहे और खतों को सस्ता गोबर का खाद मिले तो कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले का उत्पादन बढ़ाना होगा। यदि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता तो कम से कम उसे वर्तमान स्तर पर अवश्य रखा जाये।

[डा० बी० एन० सिंह]

चालू वर्ष के बजट में कोयला उत्पादन के लिए 1975–76 के पुनरीक्षित अनुमान से भी 15 करोड़ रुपये कम कर दिये गये हैं। इस पष्ठभूमि के आधार पर यह समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीयकरण के बाद 54 खानें क्योंकर बन्द की गई हैं। निजी खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के समय ये खानें मिलकर 30,000 टन कोयला प्रतिदिन अथवा प्रति वर्ष मोटे तौर पर 100 लाख टन कोयले का उत्पादन करती थीं जो ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करता था। ऐसा हो सकता है कि कोल इंडिया लिमिटेड छोटी खानों में रुचि न रखता हो। यदि ऐसा है तो इन छोटी खानों को बिहार खनिज विकास निगम को दे दिया जाना चाहिए।

इन खानों के राष्ट्रीयकरण और बन्द होने से सर्वाधिक हानि मजदूरों को हुई है। इन खानों के बन्द होने से सरकार को तीन तरह से हानि पहुंची है। उत्पादन की हानि, रोजगार के अवसरों की हानि और केन्द्र तथा राज्यों दोनों को राजस्व की हानि। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार को रायल्टी, स्थानीय शुल्क और बिक्री कर के रूप में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है। और केन्द्रीय सरकार ने 3 करोड़ रुपया खोया है। ऊर्जा मंत्री इसकी गहराई से जांच करें जिससे इन खानों का काम उनके या बिहार खान विकास निगम के अन्तर्गत चलाया जा सके।

खान सुरक्षा के सम्बन्ध में जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तियों ने, जिन्हें सरकार ने जांच न्यायालयों का अध्यक्ष नियुक्त किया बड़ी दुर्घटनाओं की परिस्थितियों की जांच करके यही निर्णय दिया कि इतनी बहुमूल्य जानें, प्रबन्ध कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही हुईं। सावधानी और सतर्कता बरतने पर इनसे बचा जा सकता था। फिर खान सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों को सुरक्षात्मक उपायों का सख्ती से पालन न करने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के बाद निदेशालय के अधिकारियों का रवैया प्रबन्धकों के पक्ष में और श्रमिक विरोधी हो गया है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब कभी खनन अपराध हो या सुरक्षा कानूनों अथवा खान अधिनियम के अन्तर्गत नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन हो तो इन खानों के प्रबन्ध निदेशकों, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन तथा अन्य प्रबन्धकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाये। इससे घातक दुर्घटनाएं कम होंगी। यदि प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को भागीदार बनाया जाये तो उनकी अधिकांश शिकायतें दूर हो जायेंगी।

श्रमिकों की आम स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। मकानों की बहुत कमी है। 75 प्रतिशत मजदूरों को मकान मिले ही नहीं हैं। मंत्री महोदय को निर्माण कार्य तेजी से करवाना चाहिए। ताकि मजदूरों को अपना सिर ढकने के लिए छत का सहारा तो हो जाये। उनके लिए बनाये जाने वाले मकान हवादार और आरामदेह होने चाहिएं।

खेद की बात है कि श्रमिकों के लिये हम पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं कर पाये हैं। 24 लाख श्रमिक अभी भी जोहड़ों तथा पोखरों का दूषित जल पीते हैं। जिससे उन्हें अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। मंत्री महोदय को पानी साफ करने वाले संयंत्र लगवाने चाहिएं।

जहां तक कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक शाखाओं की रोजगार नीति का सम्बन्ध है, ऊर्जा मंत्री, उद्योग मंत्री तथा श्रम मंत्री को ऐसे कड़े आदेश जारी करने चाहिएं कि इनमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के रिक्त स्थानों की भर्ती के लिए छोटा नागपुर के स्थानीय लोगों को ही पात्र घोषित किया जाये।

श्री आर० वेंकटारामन् (मद्रास–दक्षिण) : प्राक्कलन समिति ने उल्लेख किया कि संसाधनों का प्रावधान करते समय रक्षा मंत्रालय के पश्चात् ऊर्जा विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस विशेष विभाग या क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे तब तक अन्य क्षेत्रों का भी विकास नहीं हो सकेगा।

हमारी तापीय प्रजनन क्षमता बढ़ गई है। हर्ष की बात है कि व्यास–सतलुज परियोजना पूरी हो चुकी है।

1975–76 में 1.85 लाख गांवों में विद्युतीकरण हुआ। अगले वर्ष लगभग 2 लाख गांवों का विद्युतीकरण हुआ। पम्प सेटों की संख्या 27 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई है। दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में हम विद्युत् उत्पादन के अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रहे हैं। हमेशा ही बिजली का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है। पांचवीं योजना में 330 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। आशा है कि पांचवीं योजना के अन्त में हमें केवल 110 लाख किलोवाट बिजली की कमी रह जायेगी। इसका अर्थ यह है कि चालू वर्ष तथा अगले वर्ष हमें निर्धारित क्षमता में से पांच या छः लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करना होगा जोकि प्रायः असंभव सा है। (**व्यवस्थान**) लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन नहीं होता।

पांचवीं योजना के पश्चात् हमें केवल 110 लाख किलोवाट बिजली की कमी रह जायेगी इसका हमारे कृषि, उद्योग, संचार तथा अन्य सभी पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह कमी देश भर में बिजली की सप्लाई में कटौती किये जाने से परिलक्षित होती है। बिजली या ऊर्जा सम्बन्धी योजना पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित न होकर दीर्घकालिक योजनाओं पर आधारित होनी चाहिए। इस शताब्दी के अन्त तक ऊर्जा की स्थिति के बारे में योजना बनाई जानी चाहिए। योजना आयोग से कहा जाये कि वह 20 वर्ष लम्बी दीर्घकालीन योजना बनाये। 20 वर्ष के अन्त तक हमें 1500 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करने की योजना तैयार करनी होगी। तभी हम अपना बिजली उत्पादन कार्य संगठित कर सकेंगे और बिजली की कमी दूर कर सकेंगे।

बिजली की कमी का दूसरा कारण यह है कि हम देश में अपनी स्वदेशी क्षमता का ही उपयोग नहीं कर पाये हैं। जब हम अपने देश में 60 मगावाट वाले सेट बना सकते हैं तो हम 110 मेगावाट के सेट बनाने के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हमें पांचवीं और छठी योजना की अवधि के दौरान 200 मेगावाट वाले सेटों के लिए मानक तैयार करने चाहिएं। प्रत्येक तापीय बिजली घर में 500 मेगावाट के सेटों के बजाय 200 मगावाट के 5 सेट लगाने चाहिएं। इस तरह से हम बिजली का उत्पादन तेजी से कर सकते हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड तथा भोपाल, हरिद्वार, रामचन्द्र पुरम तथा तिरुचिरापली स्थित सहायक एककों को ऊर्जा मंत्रालय के अधीन लाया जाना चाहिए ताकि बिजली सप्लाई के उपकरणों की सप्लाई और मांग के मामले में सम्यक तालमेल हो सके। जहां तक अति-तापीय बिजली घरों के स्थापना स्थलों का सम्बन्ध है इस बारे में एकमत नहीं है कि इन्हें मुहानों पर बनाया जाये या खपत वाले स्थानों पर। दोनों ही मामलों में यह पारस्परिक स्थिति तथा कार्य संचालन की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है और लगाये गये धन के आधार पर निर्धारण करना होगा ताकि हम किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच जायें।

[श्री आर० वेंकटारामन]

यदि नेवेली में एक सुपर तापीय बिजली घर बनाया जाये तो इससे क्षेत्र में लिगनाईट उत्पादन के वर्तमान स्तर पर कोई भला प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरे मार्डन कर का आदेश देना पड़ेगा।

इस लिये नदियों के किनारे ऐसे बिजली घर बनाये जाने चाहियें। इससे इतना खर्चीला जांच कार्य नहीं करना पड़ेगा। मंत्री महोदय को इन योजनाओं पर तुरन्त कार्य करना चाहिये ताकि अल्पावधि में ही नदियों के किनारे कई बिजली घर बनाये जा सकें जिनसे बिजली की कमी पूरी की जा सकती है।

मैसूर और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी पर होगानाकल परियोजना पर तुरन्त कार्य आरम्भ किया जाये। इस परियोजना से हमें 800 मैगावाट बिजली मिल सकेगी।

समुद्र की ज्वारीय तरंग परियोजनाओं पर कार्य करने की सम्भावनाओं पर भी सरकार को काम करना चाहिये क्योंकि यहां बिजली उत्पादन पर बहुत कम लागत आयेगी। देश की बड़ी नदियों के मुहानों पर इन योजनाओं पर कार्य किया जा सकता है।

राज्य बिजली बोर्ड में बहुत अस्थिरता है। इसमें घाटा हो रहा है। कुछ राज्यों में तो निवेशित पूंजी पर 6 प्रतिशत आय नहीं हो रही है। एक समिति राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण की जांच कर रही है। इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि राज्य बिजली बोर्डों का ऋण का एक भाग साम्य पूंजी मानी जाये और आधा भाग ऋण माना जाये। इस तरह इसमें सुधार हो सकता है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्र को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली भेजने के लिए सांविधिक अधिकार अपने हाथ में लेने चाहियें। यह विभिन्न बिजली बोर्डों की दरों के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों पर मध्यस्थता कर सकता है। इससे देश भर में उत्पन्न विवाद हल हो सकते हैं।

***श्री ए० मुरुगोसन** (चिदम्बरम) : पिछले 30 वर्षों में हम देश में केवल 22 प्रतिशत पन बिजली क्षमता प्राप्त कर सके हैं। यदि आज देश भर में बिजली का संकट हो जाये तो यह केवल उन्हीं बिजली परियोजनाओं के कारण होगा जिन्हें तेजी से कार्यान्वित नहीं किया गया है। अतः देश में बिजली उत्पादन कार्य में तेजी से वृद्धि की जाये। यदि आर्थिक विकास बढ़ाना है तो देश के समूचे देहाती क्षेत्रों में बिजली सप्लाई को जानी चाहिए।

तमिलनाडु में पन बिजली परियोजना की कोई गुंजायश नहीं है और इसी लिये वहां तापीय बिजली घर बनाये गये हैं। यदि नेवेली में दूसरी खान काटने का कार्य स्वीकृत किया जाये तो हम नेवेली में दूसरी खान में उत्पन्न लिगनाईट की सहायता से सुपर तापीय बिजली घर बना सकते हैं। तमिलनाडु में 12000 पम्प सैटों की बिजली नहीं मिली है। पम्प सैटों की बिजली न मिलने से कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता। इसकी अविलम्ब जांच की जानी चाहिए।

***तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर**

Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Tamil.

तमिलनाडु सरकार ने 330 मेगावाट के मैटूर तापीय बिजली घर की जांच के लिये केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को सौंप दिया है। यदि तमिलनाडु में बिजली की मांग पूरी करनी है तो इस परियोजना को अविलम्ब स्वीकृत किया जाये और इस पर कार्य आरम्भ किया जाये।

कलपक्कम परमाणु बिजली घर का प्रथम एकक 1973-74 तक पूरा किया जाना चाहिये था लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पूरा होने में 4, 5 वर्ष और लगेंगे। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि तमिलनाडु की इस गौरवशाली परियोजना के पूरा करने में उन्हें व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिये।

तमिलनाडु में अब कोयले पर आधारित अधिकाधिक तापीय बिजली घर बनाने की योजना बनानी चाहिये ताकि तमिलनाडु की बिजली की आवश्यकतायें सदैव के लिए पूरी हो जाये।

कोयला का उत्पादन बढ़ाने के लिये श्रमिकों को मूलभूत सुविधायें दी जानी चाहियें।

दिल्ली में जहरीली शराब के कारण हुई मोतों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DEATHS DUE TO CONSUMPTION OF POISONOUS LIQUOR IN DELHI

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : यह एक बड़े खेद की बात है कि पिछली रात और आज सुबह भी दिल्ली में जहरीली शराब पीने के कारण कुछ मौतें हुई हैं। अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 7 व्यक्ति मर चुके हैं, 3 विलिंग्डन अस्पताल में, 1 इर्विन अस्पताल में और 3 करोल बाग क्षेत्र में। जहरीली शराब पीने के कारण विलिंग्डन अस्पताल में दाखिल किये गये 3 व्यक्तियों का अभी इलाज हो रहा है। इस मामले के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क के अधीन पुलिस द्वारा 7 अलग अलग मामलें दर्ज किये जा रहे हैं। इन मामलों की छानबीन का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा जा रहा है। जिला मैजिस्ट्रेट, दिल्ली ने अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु के कारण तथा सम्बन्धित मामलों के बारे में जांच करने के आदेश भी दिये हैं। करोल बाग के थानाध्यक्ष, उस इलाके का प्रभारी उप-निरीक्षक तथा बीट कांस्टेबल को इस इलाके में जहरीली शराब बनाने/बिक्री के सम्बन्ध में रोकथाम की कार्यवाही करने में अपनी असफलता के कारण मुअत्तिल कर दिया गया है। दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा विभिन्न दुकानों में शराब का रासायनिक विश्लेषण करने की कार्यवाही भी की जा रही है।

अनुदानों की मांगें, 1977-78—जारी

DEMANDS FOR GRANTS. 1977-78 *Contd.*

ऊर्जा मंत्रालय—जारी

श्री ए० के० राय (धनबाद) : जहां तक कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सम्बंध है इसके तीन कारण हैं। पहला, अव्यवस्थित उत्खनन कार्य, दूसरा उत्पादन में कमी और तीसरा है उद्योग सम्बंधों का सौहार्दपूर्ण न होना। खेद की बात है कि राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य ही नष्ट नहीं हुआ है बल्कि मूलभूत धारणा अर्थात ईधन योजना समिति की सिफारिशें भी बदली जा रही हैं। मुझे

[श्री ए० के० राय]

आशा है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक 40 प्रतिशत ऊर्जा स्रोत कोयले से प्राप्त होगा। गत 3 वर्षों से कोयले के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। पांचवी योजनावधि में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 1350 लाख टन से घटकर 1040 लाख टन कर दिया गया है लेकिन इतना लक्ष्य भी प्राप्त करना कठिन है। इसका यह अर्थ है कि उद्योगों के लिए ऊर्जा स्त्रोत का प्रतिमान बदलना पड़ेगा। इससे दीर्घकालीन औद्योगिकरण की योजना में बाधा आयेगी।

सरकार ने जानबूझ कर कोयले का उत्पादन कम किया है। इसके अलावा ऐसे समय मशीनीकरण किया जा रहा है जबकि उत्पादन में कमी हो रही है। इससे कोयला क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हो जायेगी।

इस बात की जांच करने के लिये संसदीय समिति नियुक्त करनी चाहिए कि उत्खनन कार्य किस तरह चल रहा है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जिन खानों में 25 वर्ष तक माल निकलना था वे 15 वर्ष बाद ही खाली हो जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि दो उद्देश्यों को लेकर कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया है अर्थात अव्यवस्थित रूप से उत्खनन कार्य पर प्रतिबन्ध लगाना और उत्पादन वृद्धि करना, ये दोनों उद्देश्य विफल हुए हैं।

चसनाला, केसरगढ़ और मुदामड़ी, इन तीन खान दुर्घटनाओं की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि ये दुर्घटनायें तकनिकी गलतियों से नही बल्कि खान प्रबंधकों की उपेक्षा के कारण हुई है। जांच आयोगों ने इन तीनों दुर्घटनाओं का कारण प्रबन्ध की लापरवाही बताया है और प्रबन्ध पर ही आरोप लगाये है लेकिन उनके विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इसकी जांच करायें।

जहां तक कोल इंडिया लिमिटेड का सम्बन्ध है इसका कार्यकरण बहुत असंतोषजनक है। इसमें सुधार करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहियें। धनबाद कोयला खान क्षेत्र में खानवासियों को कोयला नहीं मिलता। उन्हें उचित दर पर कोयला देने की व्यवस्था की जाये।

कोयला विभाग के सम्पूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों की पुनरीक्षा की जानी चाहिये। आपातस्थिति के दौरान इस विभाग से 10,000 मजदूरों की छटनी की गई है। मंत्री महोदय को इन मामलों का पुनर्विलोकन करना चाहिए। कोल विभाग को आदेश दिया जाये कि वह औद्योगिक श्रमिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट का पालन करें।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur) : Power generating schemes should be formulated at the national level. We will require 150 million magawat of power by the end of this century. We will be facing power crisis in case who do not prepare necessary schemes well in time. It is regretted that the current projects will not be completed within next two or three years in Uttar Pradesh. There should be same uniform policy for power generation. The Government has been paying subsidy of 2 Paise per unit to the Nevali Lignite Corporation, which is not justified. I have no ill feeling towards Tamilnadu but the power generation management there needs to be reviewed.

North Bengal, North Bihar and Eastern U.P. are backward in the matter of power generation. No steps have so far been taken to remove this imbalance. The Hon. Minister should take necessary steps in this direction. But nothing has been done so far to remove the imbalance in respect of power. I will urge upon the hon. Minister to take immediate steps to remove this imbalance.

There are serious anomalies in regard to power distribution also. While power is supplied to industries, the agriculturists starve for power. The farmer does not get power to emergise his pumps and water to irrigate his fields. While the industries get power at concessional rates, the agriculturist is charged at a higher rate. Government have been giving power to aluminium plant owned by the Birlas in Uttar Pradesh at a special concessional rate. This should be looked into and the concession should be withdrawn forthwith.

In the context of national grid the Central Government should take the responsibility of power generation in the country in a planned manner keeping in view the power needs of the country by the end of this century.

There is great potential for power generation in Singrauli. The work should start there with speed. There is need to provide rail facilities there. A 3000 MW power station can be set up there. The Centre should take up this project.

There are frequent break-downs in our power-generation plants. We should have a spare parts bank which can give spare parts whenever there is a break-down in any plant.

There should be uniformity in the working of Electricity Boards. There is need for a watch by the Central Government over the working, methodology and performance of electricity boards.

Condition of power supply in U.P. is bad. New plants are not coming up. It is not possible to get power from DVC, because it is not able to meet the requirements of Bihar. Steps should be taken to help U.P. in this regard.

With these words I support the Demands for Grants of this Ministry.

Shri Durga Chand (Kangra) : There is great potential for power generation in our country from water, coal and crude oil. But, these sources have not been fully tapped.

There is great potential for generation of hydel power in Himachal Pradesh, but water resources of Himachal Pradesh have not been harnessed.

Our Government is of the view that generation of thermal power is better because it is more dependable and there is an element of continuity in it. This is a wrong thinking. If we want that our country should progress and rural areas should develop, we will have to pay more attention to generation of hydel power.

[कुमारी आभा मैती पीठासीन हुईं
Miss Abha Maithi in the Chair]

Coal deposits in our country are limited. If we consume these deposits we will have to face a lot of difficulty in future.

It is also said that more money and time are required for generating hydel power. The position is that due to bad management hydro-electric projects become costly. If management is good these projects can be executed quickly. Cost of power generation by thermal plants is higher, whereas cost of hydel power generation is less. If we want to provide cheap power to the people in rural areas we have to go in for hydel power.

There is a Nathpa Jhakri Project in Himachal Pradesh. If this project is implemented two thousand MW of electricity will be generated. If we have to set up more and more industries in rural areas we should execute such hydro-electric projects.

The water resources of Himachal Pradesh should be tapped for generating power. If this is done power can be supplied to the whole country. A national grid can be created for this purpose.

The projects which Himachal Pradesh and other State Governments have sent to the centre for approval should be cleared. A hydro electric corporation sholud be set up on all-India level, which should execute these projects by taking foreign loans. These projects will be very paying. We will be able to return the money with interest without difficulty. If hydro-electric projects are taken up in a big way and electricity is generated our agricultural and industrial production will go up.

श्री टी० ए० पाई (उदीपी) : ऊर्जा मंत्रालय में ही ऊर्जा का अभाव है। कई राज्यों में बिजली में कटौती की जा रही है। भारत में विद्युत संपाधनों के मामले में बहुत कुप्रबन्ध है। हमारे देश में 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता है और उसके बदले यदि 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके देश गर्व अनुभव करता है तो स्थिति में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

[श्री टी० ए० पाई]

विद्युत् बोर्डों में कुप्रबन्ध व्याप्त है जिसके कारण 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हानि हो रही है। इसे जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

हम ने हमेशा बड़ी परियोजनाएं स्थापित की हैं लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। निरोधक रख-रखाव पर ज्यादा बल नहीं देना चाहिए। वास्तव में हम चाहते हैं कि बिजली संयंत्र के उपकरणों का भी ध्यान रखा जाये ताकि हमें अधिकतम बिजली प्राप्त होती रहे।

यह उचित समय है कि देश में अधिक लागत वाली परियोजनाओं की लागत को कम किया जाये क्योंकि देश अधिक लागत वाली परियोजनाओं के भार को वहन करने की स्थिति में नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी क्षेत्र में अकुशलता नहीं रहनी चाहिए।

ऊर्जा मंत्री दक्षिण से हैं और दक्षिण में ही बिजली की अत्यन्त कमी है। गत कुछ महीनों से कर्नाटक को प्राप्त होने वाली बिजली में 50 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। कर्नाटक का कसूर यह है कि वह पन बिजली पदा कर रहा है। इस स्थिति में जबकि हमें बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है तापीय बिजली के द्वारा इसे संतुलित करने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से गैस-टर्बाइन आयात करने की अनुमति मांगी है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही?

बिजली की कमी सम्बन्धी योजना का जो सिद्धान्त है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। अतिरिक्त बिजली पैदा करने में कोई हानि नहीं है।

कुछ विद्युत् बोर्डों ने वर्तमान एककों की बिजली में कटौती करके नये एककों को नये कनेक्शन देने का फैशन सा बना लिया है। यह एक भ्रष्ट तरीका है। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जब बिजली की कमी हो तो बिजली के प्रबन्धकों को कुछ स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि किन एककों को बिजली मिलनी चाहिए और किन एककों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसे मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाये जाने चाहियें।

पूर्वोत्तर क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत ही सम्पन्न है। इन क्षेत्रों में सुदूर पूर्व के कई देशों से भी अधिक कोयला और तेल पाया जाता है। दुर्भाग्यवश आसाम में जलने वाली सम्बद्ध गैस बिजली उत्पादन के काम में नहीं लाई जा रही और सारे क्षेत्र में बिजली का अभाव है। देश में ऐसी स्थिति कैसे बनी रहने दी जा सकती है। योजना का उद्देश्य भावनात्मक और आर्थिक एकता का निर्माण करना है लेकिन जिस तरह के आसार हैं उनसे हमें भय है कि ऐसा नहीं होगा।

ऊर्जा और ईंधन नीति एक दूसरे की पूरक हैं। देश के कई भागों में वनों को काटा जा रहा है। ईंधन की लागत बढ़ रही है। जहां एक ओर हम सस्ते भोजन, सस्ते कपड़े, सस्ते मकानों की बात करते हैं वहां दूसरी ओर हमें इस पहलू को भी नहीं भुलाना चाहिए।

बर्लिन में शहरों से एकत्र किये गये कूड़े-कर्कट से भी बिजली पैदा की जा रही है। फिर हमारे बम्बई तथा कलकत्ता जैसे शहरों में एकत्र किये गये कूड़े को ईंधन के रूप में प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? हमें सभी संभाव्यताओं के साथ परीक्षण करना चाहिए। छोटे प्लांट लगाना अधिक उपयोगी होगा। अखिल भारतीय ग्रिड के बारे में बात करने का कोई लाभ नहीं है। इस कार्य को पूरा होने में अभी 50 वर्ष और लग जायेंगे। यदि हम देश के सभी भागों में बिजली पहुंचाना

चाहते हैं तो सारे देश में सम्प्रेषण की व्यवस्था के बजाय विभिन्न स्थानों पर छोटे-छोटे संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार किया जाना चाहिये। ऐसा तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक हमारी सम्प्रेषण पद्धति में सुधार नहीं होता और उसकी कुशलता नहीं बढ़ती।

गुजरात और केरल को छोड़ कर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य बिजली की कमी के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। यदि गुजरात और केरल में ही सभी उद्योग लगाये जाते है तो फिर वहां भी बिजली की कमी पैदा हो जायेगी।

मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि हम जेनरेटर बनाने की अपनी पूर्ण क्षमता का लाभ उठा सकें। भारत हेवी इलक्ट्रिकल्स की क्षमता 5000 मैगावाट जेनरेटर बनाने की है जबकि इसे 3000 मेगावाट से अधिक के आदेश नहीं मिले हैं। हमें योजना आयोग को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत हैवी इलक्ट्रिकल्ज़ के कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है उसके बदले हमें उनसे विद्युत संयंत्रों का निर्माण करवाना है। इसके साथ ही मैं अन्य निवेदन यह करना चाहता हूँ कि हमें दक्षिण के पन-बिजली संसाधनों और कोयला तथा लिगनाइट संसाधनों का विकास केवल तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के लिए ही नहीं अपितु समूचे क्षेत्र के लिए किया जाना चाहिए।

लगभग गत दो वर्षों से हम सुपर स्टेशनों की बात करते चले आ रहे हैं। वास्तव में सुपर तापीय बिजली घरों की स्थापना चार वर्षों के भीतर ही की जानी थी परन्तु दो वर्ष का समय तो योजना बनाने तथा उस पर विचार विमर्श करने में ही गुजर गया। यह खेद की बात है कि अभी तक उसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इनके बारे में हमें शीघ्र ही कोई निर्णय करना होगा ताकि और अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

Shri Subhash Ahuja (Betul) . The power has a vital role to play in our economic as well as industrial sector. 20 per cent of our power is spent on manufacturing works. Power is badly needed for increasing our agricultural as well as industrial output. So every effort should be made to increase power generation.

A study of power demand figures since independence reveals that there has been constant increase in demand for power. So far as Madhya Pradesh is concerned, there are about 70 thousand villages and out of these only 10 to 12 thousand villages have been electrified so far. Madhya Pradesh Government has not got enough funds for the electrification of its villages. This should be looked into.

The mineral wealth of any country is the backbone of economy. The coal-mines have played a very vital role in the economy of our country too as number of our industries are run by coal. The coal mines have also proved helpful in solving the problem of unemployment in the country. There has been considerable increase in the price of coal after the nationalisation of coal mines. It is simply due to carelessness of concerned officers. Due attention should be paid towards increasing the efficiency of coal mines.

I take this opportunity to draw your kind attention towards the irregularities of coal mine industry. During emergency when there was hardly any output, our Congress Leaders and Government talked much about the efficiency and output. In so many cases fictitious figures of output were given.

Now I would like to draw the attention of hon. Minister towards the injustice being done to labourers. During emeregency 542 workers were thrown out of job. Uptill now only 100 workers have been reinstated. My submission is that the others should also be reinstated at the earliest. Secondly, it is said that after 90 days every labour is confirmed but the workers are thrown out of service after 60, 70 or 85 days. The area manager should be directed for doing justice to laboures. More facilities should be provided to the mine labourers. Their Housing problems should also be looked into.

[Shri Subhash Ahuja]

Sir, while supporting the demands of Energy Ministry, I want to submit that the irregularities of Patakhera Coal Mine, committed during emergency should be looked into. I have already written to the hon. Minister in this connection. A Committee should be set up to look into the malpractices of the coal mine. There is a lot of tension between labourers and management. Steps should be taken to normalise the atmosphere in this coal mine.

Bonus should be given to the workers of this coal mine. Normal Sunday holiday should also be given in this coal mine as is given in other coal mines. An educational institution for coal mine engineers should also be opened as the two consisting colleges are inadequate for the increasing demand of coal mine industry.

Minimum number of villages in Madhya Pradesh should be electrified under rural electrification scheme and maximum financial help should be given by the Centre for this purpose.

Lastly, I may submit that an office of General Manager of Western Coalfileds Limited should be opened in Madhya Pradesh which will help keeping good control on coal mines.

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर) : ऊर्जा के बारे में चर्चा करने का तात्पर्य कोयले के बारे में चर्चा करना है। आज समय आ गया है जबकि हमें कोयले के उपयुक्त उपयोग तथा लाभ के बारे में विचार करना होगा क्योंकि उसी से ऊर्जा का उत्पादन भी काफी हद तक हो सकता है। ऊर्जा यद्यपि सर्व्वव्यापी है फिर भी हमें परम्परागत विचारधाराओं को त्याग कर नई विचारधाराओं को अपनाना होगा। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम ऊर्जा के स्रोतों का पता लगायें। हमारे पास ऐसे प्रौद्योगिकी हैं जो इन स्रोतों का पता लगाने तथा इनका उपयोग करने में मदद कर सकती हैं।

जब तक ऊर्जा के नये स्रोतों के उपयोग का लक्ष्य नहीं बना लेते तब तक हम इस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। इसके लिए प्रौद्योगिकी के विकास और धन की आवश्यकता है।

जहां तक पूंजी निवेश का सम्बन्ध है हम सब जानते हैं कि भारत एक निर्धन देश है अतः हमें उन साधनों के बारे में सोचना पड़ता है जो तत्काल उपलब्ध हों इसीलिए हमारे अधिकांश सदस्य इस प्रश्न पर चिन्तित हैं कि कोयला, कोक, लिगनाइट और पन-बिजली पैदा की जा सकती है।

हम इस संबंध में ऊर्जा मंत्री की नीति की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वह ऊर्जा साधनों को इस प्रकार बढ़ाएंगे। बार-बार ग्रामीण विकास के महत्व पर बल दिया जाता है और ग्रामीण विकास ग्रामीण विद्युतीकरण से ही संभव है। अतः हमें ऊर्जा के संबंध में राष्ट्रीय नीति की उत्सुकता से प्रतीक्षा है।

ऊर्जा के पारस्परिक साधन जैसे पेट्रोलियम और कोयला क्षयशील पदार्थ है। अतः मंत्रालय को पन-बिजली के उत्पादन पर विचार करना चाहिए। यद्यपि पन-बिजली परियोजना पर पूंजी निवेश अधिक होगा लेकिन परिचालन व्यय बहुत कम होगा।

यह बहुत दुख की बात है कि हमारे राज्य की शरावती पन-बिजली परियोजना के एकक नम्बर 10 में जून 1977 से उत्पादन नहीं हो रहा है। इस एकक की कुंडलियां (काएल) जल गई थीं। यद्यपि एक साल से इस एकक में काम बन्द पड़ा है। फिर भी अभी यह मालूम नहीं है कि इस एकक में कब काम शुरू होगा। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए। इस एकक की मरम्मत जल्दी से जल्दी कराई जाये।

एक ओर योजना आयोग और केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में दूसरी ओर योजना आयोग और राज्य विद्युत बोर्ड में अधिक समन्वय की आवश्यकता है। यह बहुत आवश्यक है। जब तक

बिजली उत्पादन में सहायक तीनों संस्थाओं में उचित समन्वय नहीं स्थापित किया जाता तब तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कठिन है।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध है यह कहना कि इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया है अनुचित है। भूतपूर्व सरकार ने केन्द्र स्तर पर और राज्य स्तर पर मिलकर इतना योगदान दिया है जिससे कि हम उस स्थिति पर पहुंच गये हैं जहां से कि ग्रामीण विकास का कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।

जहां तक आणविक बिजली का संबंध है यह एक महंगा सौदा है और इसमें कई बाधाएं है। आणविक बिजली संयंत्रों के आणविक-उचिष्टों को ही सुरक्षित रूप से ठिकाने लगाने के लिए 13 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है। यह एक बहुत खतरनाक चीज है यदि किसी दिन कुछ दुर्घटना हो गई तो इससे सारा वातावरण खराब हो जायेगा।

हालांकि इससे सरकार को थोड़ा अधिक पूंजी निवेश करना पड़ेगा फिर भी हमारे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कि और ऊर्जा तथा गोबर का प्रयोग उष्णता तथा बिजली बनाने के काम आये।

आधुनिक प्रौद्योगिक तरीकों से यह पता चलता है कि ऊर्जा ऐसे तापीय आणविक स्रोत हैं जहां समुद्री जल, जिसमें न्यूट्रियम और ट्रिट्रियम होता है का प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है और यह स्रोत आगामी 600 अरब वर्षों में समाप्त नहीं होने वाला जबकि पृथ्वी को आयु केवल 5 लाख वर्ष है हालांकि यह सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। फिर भी हमें ऐसे स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए जो हमेशा उपलब्ध स्थायी एवं विकेन्द्रित है।

Shri R.L.P. Verma (Kodarma) : Prices of coal have increased three times after the nationalisation of coal mines. The outgoing Energy Minister had said that there had been an unprecedented increase in coal production during thel ast few years, but one can find that people are not benefited by it because they have now to pay three times more than what they were paying before. It appears that there are many deficiencies in the administration on the Govement's administrative policies are wrong. The present Government should make a review of those policies.

Coal is being sold at village block level at its blackmarket price. In order to improve this situation, Government should open coal depots at block-level to cater to the needs of the common man. These depots can be allotted to educated unemployed youths.

Several coal mines, especially in Santhal Praganas have been lying closed for a long time. The Mineral concession rules provided for the termination of leases of private colliery owners if they close their mines. This rule should be made applicable to the industry in the public sector as well. Measures should be taken to start operation of these mines.

The question of mines safety is also very important. A sum of Rs. 38 crores is provided for installation of mines safety equipments. But it appears that officials do not perform their duties satisfactorily. It results in mining accidents.

Effective steps should be taken to start the power generation schemes which are pending in abeyance. Central Government should themselves undertake the work that is being done by Rural Electrifiction Corporation.

The work in regard to two new units at Patratu Thermal Power station and in regard to Barauni Thermal power station should be completed at the earliest.

The Chairman of the Bihar Electricity Board has misappropriated large amount therefore the central Government should themselves have a control over the funds that are to be spent on power generation.

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी): विश्व बिजली के संकट से गुजर रहा है। यदि हम वर्तमान दर पर बिजली को खपत जारी रखें तो तेल, कोक या लिग्नाईट का भंडार 400 वर्षों में समाप्त हो जाएगा परन्तु जीवन स्तर तथा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से हो सकता है यह केवल 40 वर्ष चले। अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों, जैसे पन-बिजली, परमाणु ऊर्जा, सौर-ऊर्जा, मैगनेट पन गतिविज्ञान, ज्वारभाटा ऊर्जा तथा भू-तापीय बिजली का भी उपयोग करना चाहिए।

अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण सभी पन बिजली परियोजनाएं रुक गई थीं। गोदावरी आयोग, कावेरी आयोग तथा नर्मदा आयोग ने बहुत समय ले लिया। बाबू जगजीवनराम के सद-प्रयत्नों से कुछ समझौता हुआ है और कुछ पन बिजली परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं। कृष्णा-गोदावरी विवाद के समझौते के कारण पश्चिमी उड़ीसा में अपर इन्द्रावती पन-बिजली परियोजना शुरू हो जाएगी। 600 मैगावाट पन-बिजली उत्पादन करने के अतिरिक्त इस परियोजना से पिछड़े जिले के हमेशा से सूखा पीड़ित क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त वहां 100 करोड़ टन उच्च ग्रेड वाक्साईड भंडार भी हैं और यदि इनका उपयोग किया जाए तो वहां एल्यूमीनियम उद्योग समूह स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए 220 मैगावाट सस्ती बिजली की आवश्यकता है। उड़ीसा सरकार के लिए यह परियोजना शुरू करना क्षमता से बाहर है। अतः इस परियोजना को दो भागों में बांट देना चाहिए (एक) बिजली उत्पादन तथा (दो) सिंचाई। 140 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली बिजली उत्पादन परियोजना केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा शुरू की जानी चाहिए। 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली सिंचाई परियोजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरु की जानी चाहिए। इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जाए और इस वर्ष के बजट में सांकेतिक व्यवस्था की जाए और यदि यह सम्भव न हो तो अनुपूरक बजट में यह व्यवस्था की जाए।

ऐसी कई नदियां हैं जो नेपाल और भारत दोनों में बहती है, जैसे करनाली, गंडक, बागमती और कोसी। ये सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। यदि इनसे पन-बिजली उत्पादन किया जाए तो नेपाल सारे एशिया का बिजली घर बन सकता है।

जहां तक परमाणु ऊर्जा का सम्बन्ध है दो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहली है विखंडन तथा दूसरी है संलग्न। पहली प्रक्रिया में दुर्लभ यूरेनियम या थोरियम, जिनका आयात करना पड़ता है, जैसे रेडियो धर्मी अणुओं को विखराया जाता है और दूसरी प्रक्रिया के लिए भारी जल की आवश्यकता होती है। भारी जल उड़ीसा तट से दूर पाया जाता है तथा यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अतः इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

कभी भी समाप्त न होने वाला अन्य स्त्रोत है सौर ऊर्जा। हम शाश्वत सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश में सूर्य की गर्मी हमेशा रहती है। इसके अतिरिक्त संदूषण की भी समस्या नहीं है।

देश में गर्म पानी के कई झरने हैं। भू-तापीय विधि से इस स्त्रोत से भी बिजली पैदा की जा सकती है।

यदि गोबर गैस संयंत्र का विकास प्रचार किया जाए तो इसे खाना पकाने तथा बिजली एवं छोटे जेनरेटर चलाने का काम लिया जा सकता है। इस प्रकार हम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं और इसे उपयोगी उद्देश्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में उड़ीसा बिहार तथा पश्चिम बंगाल पिछड़े हुए हैं। मंत्री महोदय इसकी जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि इन राज्यों में विद्युतीकरण कार्यक्रम तेजी से चले

बिजली प्रशुल्क राज्यों में अलग-अलग है। इस मामले में एकरूपता होनी चाहिए। इस बारे में केन्द्र को निश्चित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने चाहिए।

रामगुंडम सुपर तापीय संयंत्र और कोरवा सुपर तापीय संयंत्र को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Shri Shrikishan Singh (Monghyr) There must be a national policy in regard to power generation. So far power generation has been done on an *ad hoc* basis and political considerations have affected planning. This should not be allowed to be done. Besides, power tariff varies from one region to other and also from one sector to the other sector. For instance, in rates charged from agriculturists and small industries are more than those charged from large scale industries which in most cases receive power at a concessional rate. Therefore, Government must see that a uniform rate should be charged throughout the country for power consumption.

It is regrettable that Central Power Commission has not taken up Koyal-karo Project in Bihar so far. Similarly, the subaranrekha Project has been hanging fire. The projects of Kolab and Meghabatu Bari are far behind the schedule unlike the thermal plant proposed to be installed at Katihar has been shifted elsewhere. Government must look into it and streamline the functioning of the Central Power Commission.

The Power generation at Barauni Thermal Plant is far below installed capacity. While, its installed capacity is 145 M.W., it is producing only 45 M.W. similarly Pataratu Thermal Plant with an installed capacity of about 700 M.W. is producing only 200 M.W. D.V.C. has not been able to come up to our expectations. This corporation is expected to supply 200 M.W. to Bihar but we have been receiving hardly 100 M.W. This has severely affected the development of Bihar state. If immediate steps are not taken to accelerate development of power in the State a power crisis would become imminent in near future.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Deputy Speaker *in the Chair*

The Rural Electrification Corporation should allocate more funds for Bihar so that rural electrification programmes could be expedited.

It is regrettable that production of coal India has come down. The reason is that coal has accumulated on the pit heads and it is not being consumed. One of the factors affecting consumption of coal may be the present high prices. Steps should be taken to bring down the prices of coal. That can only be done by bringing down the cost of production. The Minister should take effective steps to bring economy in his department.

One of the main objectives of nationalising coal mines is to improve the conditions of labour in the coal mines. But I regretfully say that drinking water is not available to workers in many areas even now.

One of the aims to nationalize the coal industry was to improve the living condition of coal mines workers. But it is regrettable that we have not been able to supply them drinking water.

Arrangements should be made to provide them pulseserice, wheat and other essential commodities through Cooperative Societies at reasonable prices. If it is done, they will get a lot of relief.

It is necessary to improve the present management in Eastern coal, Central coal, Western Coal and Bharat Cooking coal. Only those officers should be appointed in these managements who have new approach and dynamic thought so that they might improve the functjoning of these coal mines. All the loopholes should be removed and effiorts be should be made to increase energy.

पत्तन तथा गोदी मजदूरों और प्रबंधकों के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE AGREEMENT ARRIVED AT BETWEEN THE PORT AND DOCK WORKERS AND MANAGEMENT

संसदीय और कार्य श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): पत्तन तथा गोदी मजदूरों के लिए मजूरी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में आल इंडिया पोर्ट डाक वर्कर्स फेडरेशन, इंडियन नेशनल पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स फैडरेशन, पोर्ट, डाक एंड वाटरफ्रंट वर्कर्स फैडरेशन तथा वाटर चन्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप आज एक करार हुआ है। जिन फेडरेशनों ने विभिन्न प्राधिकरणों तथा नियोक्ताओं को हड़ताल का जो नोटिस दिया था, वापस ले लिया है।

अनुदानों की मांगें 1977-78—जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1977-78—*Contd.*

ऊर्जा मंत्रालय—जारी

ऊर्जा मंत्री (श्री गो० रामचन्द्रन): देश में बिजली की उपलब्धता की स्थिति के बारे में सदन में चिन्ता व्यक्त की गई है। विद्युत क्षेत्र में भारी पूंजी विनियोग के बावजूद, कुछ राज्यों में बिजली की कमी बनी हुई है। बहुत कम राज्यों में बिजली की अधिकता है और अन्य राज्यों में इसकी मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य तथा भावी आयोजनों के संदर्भ में इसको देखना है। बिजली परियोजनाओं का निर्माण एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः बिजली की भावी मांग को पूरा करने के लिए योजना बनाने से पूर्व भी एक समस्या है और वह यह है कि वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता से अधिक से अधिक बिजली उत्पादन कैसे किया जाये।

हमें जबर्दस्ती बिजली में कटौती करने के मामलों में कमी करनी चाहिए क्योंकि इससे बिजली संयंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा रखरखाव के लिए जाने वाले समय तथा दोषों को दूर करने में लिए गए समय को कम करना होगा। हमने देखा है कि जब भी बिजली बन्द की जाती है तो उसे ठीक करने में, चाहे वह वर्कशाप स्तर पर हो या स्थानापन्न स्थल स्तर पर बहुत ज्यादा समय लगाया जाता है। इससे बिजली बोर्ड की आय में भी कमी होती है और बिजली के उत्पादन में भी कमी होती है। मरम्मत करने में लगने वाले समय को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं।

वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता से बिजली उत्पादन की समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि हमने ये निदेश दिए हैं कि जबर्दस्ती बिजली बन्द करने, आंशिक रूप से बिजली बन्द करने तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समस्या ज्ञात करने में आने वाली रुकावटों तथा तत्कालिक तकनीकी हल निकालने के लिए संयंत्रवार पुनरीक्षण किया जाये। हमें अपने उपकरण के स्तर तथा कार्य निष्पादन को सुधारने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए ताकि वर्तमान क्षमता से अधिकाधिक उत्पादन किया जा सके।

हालांकि लघु अवधि उपाय के रूप में बिजली उत्पादन में सुधार से बिजली की स्थिति अच्छी हो जायेगी, फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजनाओं के निर्माण में कम से कम समय लगेगा। हमने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित

करने के लिए कि निर्माण की निर्धारित अवधि बढ़ाई न जाये, एक "मानीटरिंग" संगठन बनाया है। मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्माणाधीन परियोजनाएं धनाभाव या संगनात्मक कमियों की वजह से प्रभावित न हों ।

अधिकांश राज्यों में इस समय बिजली की कमी का एक कारण पूर्व योजना का अभाव तथा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त धनराशि या सही संगठन उपलब्ध न कराना है। हमने छठी योजना के अंत तक विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों में प्रत्याशित बिजली की खपत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और अनुमान के आधार पर पता चला है कि छठी योजना के दौरान बिजली की मांग में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी। इसलिए हमने केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को यह अनुदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित क रे कि विशिष्ट क्षेत्रों में होने वाले घाटे को ध्यान मे रखकर आर्थिक रूप से लाभकर परियोजनाओं को शीघ्र तकनीकी स्वीकृति दी जाये। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नई परियोजनाएं स्वीकृत की जायें और निर्माण संगठन समय पर काम पूरा करें।

छठी योजना के अंत तक बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हम अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। फिर भी हमारे सुप्रयासों के बावजूद कहीं न कहीं बिजली की कमी हो सकती है। इसके लिए बिजली के उपयोग में समझदारी से काम लेना होगा और बिजली की बरबादी को रोकना होगा। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा कि कृषि एवं उद्योग के विकास की प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकताओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जाये।

हम बिजली उत्पादन के लिए क्षेत्रीय आधार पर कोयले के मुहानों पर बड़े तापीय बिजली घर के नाम से प्रचलित हैं, के 5 सम्भावित स्थापना स्थलों का पता लगाया गया है और ये स्थापना स्थल उत्तर, पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्वी क्षेत्र में है। गत वर्ष उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली सुपर तापीय बिजली घर पर काम शुरू हुआ था और इस वर्ष हमें आशा है कि दो नए सुपर तापीय बिजली घर स्थापित किये जायेंगे।

बिजली उत्पादन में सुधार न केवल उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है बल्कि परिषण और वितरण व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। हमें न केवल इस व्यवस्था का विस्तार करना होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पारेषण हानियों को तकनीकी दष्टि से यथासंभव कम किया जाये।

कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी एवं पारेषण तथा वितरण प्रणाली में आने वाली रुकावटों के अतिरिक्त बिजली की सप्लाई स्तर विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं के मामले में अविश्वसनीय तथा गलत है। मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने राज्य में बिजली की सप्लाई सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाएं। मैं निकट भविष्य में राज्यों के विद्युत् मंत्रियों से बात-चीत करूंगा।

बिजली के क्षेत्र में कार्यकुशलता तथा सुधार लाना राज्य विद्युत् बोर्डों के कुशल प्रबन्ध पर निर्भर करता है। राज्य विद्युत् बोर्डों के वित्तीय कार्यकरण में सुधार लाने के लिए विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम में उचित संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

ऐसे संगठनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो बिजली परियोजनाओं का वाणिज्यिक एवं वित्तीय लाभकर तरीके से निर्माण कर सकें एवं चालू कर सकें, हमने दो केन्द्रीय निगमों राष्ट्रीय

[श्री वी० रामचन्द्रन]

तापीय बिजली निगम तथा राष्ट्रीय पन बिजली निगम की स्थापना की है जो केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं को कार्यरूप दे सकेंगे और चला सकेंगे। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय पन-बिजली परियोजना शुरू करने के लिए पूर्वोत्तर बिजली निगम की स्थापना की है।

हमारा उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को किफायती ढंग से पूरा करना तथा ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना है। ऊर्जा आवश्यकताओं के मामले में अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों का हमें पता लगाना होगा। इस पृष्ठ भूमि में कोयला काफी लम्बे समय तक मुख्य ईंधन तथा ऊर्जा का स्रोत रहेगा।

जहां तक परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का सम्बन्ध है जीव गैस का अच्छा भविष्य है और हम इस कार्यक्रम को शीघ्रता से कार्यान्वित करना चाहते हैं। सौर ऊर्जा से भी काफी सम्भावनाएं हैं। अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र को कहा गया है कि वह भारतीय स्थितियों के अनुरूप कृषि के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग को सम्भव बनाने का कार्य करे।

मुझे उन परम्पराओं का पता है जो कोयला उद्योग ने राष्ट्रीयकण के समय ग्रहण की थीं। मुझे इस उपलब्धि का भी ज्ञान है कि उत्पादन के स्तर में 80 करोड़ टन वार्षिक से बढ़कर 10 करोड़ टन हो गया है। लेकिन ऐसे कई काम हैं जो आधूरे पड़े हुए हैं और ऐसे भी कई काम हैं जिन्हें आरम्भ नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय उद्योग का सर्वप्रथम कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता को अपेक्षित सप्लाई की जाये। कारण कुछ भी रहे हों, आज कोयले का काफी स्टाक है। स्थिति यह है कि कोयले की मांग काफी कम हुई है। गत दो वर्षों में 20 लाख टन कोयले का उत्पादन कम किया गया फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई स्थानों से शिकायतें आ रही हैं कि उनकी कोयले की मांग पूरी नहीं की जा रही है। स्पष्ट है कि सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का समुचित सामंस्य स्थापित नहीं किया गया है। अब कोयला उद्योग को सबकी मांग का ध्यान रखना होगा। क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो राष्ट्रीयकरण का आधारभूत लक्ष्य पराजित हो जायेगा। स्टीम कोयले को पुनः प्रयोग के योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में जो पग उठाये जा रहे हैं उनका भारी प्रभाव होगा।

इस्पात संयंत्रों का क्षेत्र एक अन्य प्राथमिकताओं वाला क्षेत्र है। उन्हें समुचित मात्रा में कोकिंग कोयला सप्लाई किया जाना चाहिए। समय-समय पर कई स्थानों पर यह बात कहीं गई है कि कोकिंग और अच्छी कोटि के कोयले की काफी कमी है। झरिया कोयला खान के पुनर्निर्माण की जो योजना बनी है उस सारी योजना के अन्तर्गत खनन तकनीक को अपनाने के बारे में विचार किया गया। यदि इसमें सफलता मिल गई होती तो कोयले के रक्षित भंडारों में से बहुत अधिक मात्रा में कोयला निकाला जा सकता था। ऊपर के क्षितिजों से भी कोयला निकालने की सम्भावनाओं पर विचार करना होगा जिसे आज तक असम्भव माना गया है। इससे हमारे कोकिंग कोयला भंडारों में बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और सुरक्षा के स्तर में भी सुधार होगा और रेल की पोजीशन पर भी आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।

एक सामान्य शिकायत यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। वास्तव में इसका सम्बन्ध कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के साथ है जो कि दो गुणा बढ़ गई हैं। साथ ही मुद्रा स्फीति का भी प्रभाव है। कोयला उद्योग इससे नहीं बचा है।

कोयला उद्योग में सुरक्षा सम्बन्धी जो परिमाप स्थापित हैं, उनमें भी सुधार करने का विचार है । सुरक्षा के प्रति जागरूकता के कारण ही दुर्घटनाएं कम हुई हैं । अधिकारी और सामान्य कर्मचारी तो सुरक्षा के प्रति सचेत हैं ही मशीनरी और प्रवीणता में भी काफी सुधार हुआ है । इन सब बातों को प्राथमिकता दी जा रही है ।

हमारे कार्यक्रम में कोयला उद्योग के कर्मचारियों के कल्याण के मामलों को बहुत ही महत्व दिया जायेगा। यह वित्तीय तथा आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य है। परन्तु हम इसे पूरे निश्चय से तथा विविध चरणों में करेंगे। कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवास, डाक्टरी सहायता और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। खनन क्षेत्र में साहुकारी के धंधे को समाप्त करने का भी पूरा प्रयास करूंगा।

साइलैंट वली परियोजना की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है । परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला दल वहां गया और उसने स्थितियों का अध्ययन करके कहा है कि इससे इस स्थान की परिस्थितियां बिगड़ जायेंगी और यहां के जीवों तथा वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। जो चीजें काफी मात्रा में मिल रही हैं, उनका भी अभाव हो जायेगा। यही कारण है कि इसमें देर हो रही है।

दक्षिण क्षेत्र के माननीय सदस्यों की इस उत्सुकता को मैं समझता हूं कि दक्षिण में विद्युत निर्माण को बढ़ावा दिया जाये क्योंकि वहां विद्युत का नितांत अभाव रहा है । इस ओर समुचित ध्यान दिया जाये। मेरे माननीय मित्र श्री टी० ए० पाई ने मंत्रालय में प्रबन्ध के बारे में बहुत कुछ कहा है । यह विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में लगाये गये उपकरणों के कारण है । इसके लिये मैं पिछली सरकार को कोई दोष नहीं देता। मैं आप को आश्वासन देता हूं कि ये त्रुटियां शीघ्र ही दूर की जायेंगी और विद्युत उत्पादन क्षेत्र में पूर्ण क्षमता तक काम किया जायेगा।

श्री वेंकटरामन ने इस देश में लगाये जा रहे बड़े-बड़े थर्मल प्लांटों के बारे में कहा है । मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सब कुछ प्रतिष्ठा के लिये ही नहीं किया जा रहा है और न ही इस दृष्टि से ही तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने की योजना है। यह इसलिये किया जा रहा है कि बिजली की कमी को पूरा किया जाये। इस बारे में छोटे विद्युत केन्द्र भी काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। परन्तु हमने साथ ही साथ बड़ी इकाइयों को स्थापित करने का भी निरन्तर प्रयास किया है। बिना सोचे समझे हम बड़े एकक स्थापित नहीं करेंगे । सभी तरह से तकनीकी जांच करके ही ऐसा किया जायेगा।

पांच तापीय केन्द्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है । उत्तरी क्षेत्र में एक केन्द्र काम कर रहा है । चार अन्य केन्द्र रामगुन्डम, कोरबा, फार्रखा और नेवेली में काम कर रहे हैं। नेवेली में यह विद्युत केन्द्र के साथ लिगनाइट परियोजना के साथ मिल कर चल रहा है । ये सभी परियोजनायें विचाराधीन हैं। जैसे-जैसे हमें साधन उपलब्ध होंगे हम वैसे वैसे ही शीघ्रता से इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने विद्युत उद्योग कर्मचारियों की मजूरी में पुनरीक्षण करने का मामला उठाया है । वास्तव में यह मामला कर्मचारियों और सम्बन्धित विद्युत बोर्डों के बीच का है । वे उन्हें द्विपक्षीय बातचीत द्वारा सुलझा सकते हैं। वैसे मैं मुख्य मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा

[श्री वी रामचन्द्रन]

और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने-अपने राज्यों में विद्युत कर्मचारियों की समस्याएं हल करने की ओर ध्यान दें ।

कोयला उद्योग में जिन कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में नौकरी से हटा दिया गया था, उन्हें पुनः वहां नियुक्त कर दिया जायेगा । परन्तु जिन लोगों ने अवैध खननों में काम कर लिया है, उन्हें नौकरी पर वापस लेना कठिन होगा । हां, यदि वे राष्ट्रीयकरण से पहले के कर्मचारी होंगे तो मामला कठिन नहीं होगा । फिर भी सारी समस्या पर विस्तार से विचार करना होगा ।

हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाये । इस दिशा में बहुत कुछ किया जा रहा है । इस बारे में ग्रामीण विद्युत निगम काफी अच्छा काम कर रहा है और राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय के कटौती प्रस्ताव संख्या 38 और 40 को छोड़कर शेष सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए० के० राय के कटौती प्रस्ताव संख्या 38 और 40 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived,

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई :

The following demands for grants in respect of Ministry of Energy were put to vote of the House by the Dy. Speaker and were adopted.

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
	ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व रु०	पूंजी रु०
31.	ऊर्जा मंत्रालय . .	45,51,000	
32.	विद्युत विकास . . .	34,57,39,000	140,54,62,000
33.	कोयला और लिग्नाइट . .	15,35,35,000	211,20,02,000

अनुदानों की शेष मांगें (स्वीकृत)

Outstanding Demands for Grants (Voted)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मंत्रालयों विभागों के संबंध में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें सभा के मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई :—

The following demands for grants relating to following Ministries/Departments were put to vote of the House by the Dy. Speaker and were adopted :

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
	संचार मंत्रालय		
17	संचार मंत्रालय	1,08,68,000	7,54,67,000
18	विदेश संचार सेवा	7,18,21,000	5,66,90,000
19	डाक-तार—कार्यकरण व्यय	407,54,88,000	..
20	डाक-तार—सामान्य राजस्व को लाभांश आरक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	109,12,23,000	..
21	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	..	231,55,33,000
	विदेश मंत्रालय . .	64,89,58,000	5,60,93,000
	वित्त मंत्रालय		
35	वित्त मंत्रालय . .	20,56,09,000	..
36	स्टाम्प . .	15,65,33,000	76,51,000
37	लेखा परीक्षा . . .	39,50,00,000	..
38	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	32,23,54,000	16,70,23,000
39	पेंशन . . .	27,28,50,000	..
40	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण . .	362,60,94,000	..

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	112,59,75,000	289,58,83,000
42	सरकारी सेवकों आदि को उधार	..	38,66,67,000
43	राजस्व और बैंकिंग विभाग .	5,47,75,000	76,66,98,000
44	सीमा शुल्क .	18,57,86,000	..
45	संघ उत्पाद शुल्क . .	31,78,39,000	
46	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धनकर और दान कर . .	29,55,21,000	..
47	अफीम और एल्केलाइड कारखाने	5,42,68,000	48,99,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
48	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	56,34,000	..
49	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	76,40,14,000	38,62,82,000
50	परिवार कल्याण . .	64,15,06,000	9,33,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
65	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	54,91,000	..
66	सूचना और प्रचार .	11,84,87,000	55,13,000
67	प्रसारण . . .	38,33,09,000	14,85,17,000
	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय		
70	विधि, न्याय और कंपनी काय मंत्रालय	8,87,20,000	..
71	न्याय प्रशासन	25,11,000	
	योजना मंत्रालय		
74	योजना मंत्रालय .	5,40,000	
75	सांख्यिकी . .	8,56,89,000	..
76	योजना आयोग .	2,89,60,000	..
77	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	13,28,54,000	1,13,00,000
78	भारतीय सर्वेक्षण . .	12,43,43,000	
79	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान . .	33,09,19,000	..

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	2	3	
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
80	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,98,47,000	
81	सड़क . .	[57,61,97,000	[57,86,08,000
82	पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन .	21,16,03,000	139,13,75,000
83	सड़क और अंतर्देशीय जल परिवहन]	41,57,000	3,98,39,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
87	पूर्ति विभाग .	16,28,000	. .
88	पूर्ति और निपटान .	5,06,15,000	. .
89	पुनर्वास विभाग] . .	16,71,00,000	6,25,53,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
90	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	37,40,000	. .
91	मौसम विज्ञान .	11,05,73,000	2,31,55,000
92	विमानन]	14,82,69,000	19,84,04,000
93	पर्यटन	[3,09,63,000	2,73,35,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
94	निर्माण और आवास मंत्रालय	83,61,000	
95	लोक निर्माण .	42,99,11,000	15,57,23,000
96	जल पूर्ति और मल निकासी .	42,00,74,000	. .
97	आवास और नगर विकास]	[8,78,44,000	20,21,49,000
98	लेखन सामग्री और मुद्रण .	21,03,46,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
99	परमाणु ऊर्जा विभाग .	33,91,000	. .
100	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं .	43,91,41,000	61,92,81,000
101	न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें .	26,52,77,000	33,76,00,000

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग		
104	इलैक्ट्रोनिक्स विभाग . .	5,64,67,000	2,96,85,000
	अंतरिक्ष विभाग		
	अंतरिक्ष विभाग		
105	अंतरिक्ष विभाग .	25,99,45,000	4,12,22,000
	संसद्, संसद् कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और लोक सेवा आयोग		
106	लोक सभा . .	3,02,35,000	..
107	राज्य सभा .	1,30,91,000	..
108	संसद् कार्य विभाग . .	12,87,000	..
109	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय .	3,75,000	..

विनियोग (संख्या 2), विधेयक, 1977

APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1977

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त वर्ष 1977-78 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त वर्ष 1977–78 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त वर्ष 1977–78 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 15 जुलाई, 1977 24 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, the 15th July, 1977/Asadha 24, 1899 (Saka)

म०प्र०भा०स०मु०मि०रो०न०दि०–एल० एस० III–2023 एल० एस०–28-10-77–200